लोक-सभा

शुक्रवार,
२९ जुलाई, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५५

(२५ जूलाई से २० अगस्त, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

842 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से १५, १७ से २२, २४, २५, २७, २९ से ३३, ३६ और ३७	१–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १६, २३, २६, २८, ३४, ३५ और ३८ से ५२ .	४५–४८
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १४ .	१८–६६
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ५५, ५६, ५८, ७३, ५९ से ६८, ७०, ७२ से ७५, ७८ और ८० . .	६७–१११
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४, ५७, ६९, ७१, ७६, ७७, ७९ और ८१ से११७	१११–१३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५ से ४२, ४४ और ४५	१३५–१५२
अंक ३—बुधवार, २७ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८ से १२५, १२७ से १२९, १३१ से १३४, १३६ से १३८, १४१, १४२, १४४ से १५५ .	१५३–१९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१९७-२०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३५, १३९, १४०, १४३, १५६ से १६३	२०३–२१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७३	२१०–२२४
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४ से १६९, २०२, १७० से १७२, १७४ से १७७, १७९ से १८१, १८३ से १८५, १८७, १८८ और १९० से १९२	२२५–२६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८, १८२, १८६, १८९, १९३ से २०१, २०३ से २१६	२६६–२८२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९१ . . .	२८२-२९२

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २२१, २२३ से २२७, २२९ से २४०, २४२, २४५, २४८ से २५४ . २९३ ३४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४७, २५५ से २७३ . . ३४४–३५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२५ ३५८–३८२

अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८० से २८२, २८५ से २९२, २९५ से २९९, ३०३ से ३०५, ३०७, ३०९, ३११, ३१२, ३१४, २७६, २८३, २९३, ३०६, ३१३ और ३०८ . ३८३–४२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७८, २८४, २९४, ३००, ३०१ और ३१० . ४२१–४२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ से १४७ . . ४२४–४३६

अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३३२, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४ से ३४९, ३५१, ३५२ और ३५४ . ४३७ ४८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२१, ३३३, ३३६, ३३९, ३४१, ३४८, ३५३, ३५५ और ३५६ . . ४८१ ४८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६७ . ४८५–४८९

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३५९, ३६४ से ३६८, ३७० से ३७५, ३७७, ३७९ से ३८४, ३८६ से ३९२, ३९५, ३९८ से ४०० और ४०२ . ४९९ ५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . ५४५ ५४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६०, ३६१, ३६३, ३६९, ३७६, ३७८, ३८५, ३९३, ३९४, ३९६, ३९७, ४०३ से ४११ और ४१३ से ४१८ . ५४९ ५६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १९८ ५६२ ५८४

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१९, ४२०, ४२४ से ४२९, ४३१, ४३२, ४३४ से ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७, ४५० से ४५६, ४५९ से ४६१ और ४२३ ५८५-६२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२१, ४३०, ४३३, ४३८, ४३९, ४४१, ४४२ ४४४ ४४९ और ४५७ . . ६२५ ६३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ से २१४ ६३१-६४२

अंक १०—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६३, ४६२, ४६४ से ४६७, ४९३, ४६९, ४६८, ४७१ से ४७५, ४७७ से ४८१, ४८४ से ४८६ और ४८८ से ४९२ ६४३ ६८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७०, ४७६, ४८३, ४८७, ४९४ से ४९६, ४९८ और ५०० से ५०२ . . ६८९ ६९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२८ ६९५ ७०४

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ से ५०६, ५०८ से ५१४, ५१६, ५१९ से ५२२, ५२६ से ५३१, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८ से ५५० . ७०५ ७४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०३, ५०७, ५१५, ५१७, ५१८, ५२४, ५२५,५३२ से ५३५, ५३९, ५४३, ५४७ और ५५१ से ५६० ७५०-७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २५७ . . ७६३-७८०

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५६४ से ५६७, ५६९, ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४ से ५९०, ५९७, ६००, ५६८,५९२ ५६३, ५९१ और ५९३ . ७८१—८२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ८२४—८२६

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७२, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९८ और ५९९	८२६–८३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से २८३	८३२–८४८
अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६०३, ६०५ से ६१५, ६१८, ६२० से ६२२, ६२६, ६२७, ६३१ से ६३३, ६३५ से ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४४ . . .	८४९–८९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६१६, ६१७, ६१९, ६२३ से ६२५, ६२९, ६३०, ६३४, ६३८, ६४३, ६४५ से ६५७, ६५९ और ६६०.	८९२–९०६
अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ से ३०३ .	९०६–९१८
अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ से ६६७, ६६९, ६७२ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८८ और ६९० से ६९३ . . .	९१९ ९६०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६८, ६७०, ६७१, ६७९, ६८१, ६८९ और ६९४ से ७०२	९६१–९६९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ से ३०८, ३१० से ३१२ और ३१४ से ३४३ .	९६९–९९४
अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४, ७१०, ७०५ से ७०७, ७११, ७१३, ७१५ से ७१७, ७१९, ७२२, ७२४, ७२५, ७३०, ७३१, ७३४, ७३५, ७३७ से ७३९, ७०९, ७२९ और ७३२	९९५–१०३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . .	१०३२ १०३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७१२, ७१४, ७१७, ७१८, ७२०, ७२१, ७२३, ७२६ से ७२८, ७३३, ७३६ ७४०, २७९ और ३०२ .	१०३५–१०४३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ३५६ .	१०४३–१०५०

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४५, ७४६, ७४९, ७५३ से ७५५, ७५७ से ७५९, ७६२, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२ से ७७४, ७७६ से ७८०, ७८९, ७८२, ७८४ से ७८६, ७८८, ३१८, ४९७ और ७६४. १०५१-१०९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . १०९७–११००

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ से ७४४, ७४७, ७४८, ७५० से ७५२, ७५६, ७६०, ७६१, ७६३, ७६५, ७६६, ७६९, ७७१, ७७५, ७८१, ७८३, ७८७ और ३४३ . . . ११००–१११३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३८१ १११३–११२८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९२, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०९, ८११, ८१२, ८१४ से ८१६, ८१८, ८२२, ८२३ और ८२५ से ८२९ ११२९–११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ९९५, ७९८, ८१०, ८१३, ८१७, ८१९ से ८२१, ८२४, ८३० से ८५१, ३६२ और ४०१ ११७३–११९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ से ४३५ ११९३–१२२८

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५३, ८५४, ८५७ से ८६५, ८६९, ८७०, ८७२, ८७३, ८७६, ८७७, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४, ८८८, ८५५, ८७१, ८८०, ८८७ और ८७५ . १२२९-१२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५२, ८५६, ८६६ से ८६८, ८७४, ८७८, ८८३, ८८५ और ८८६ . . १२७६–१२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ से ४५१ . १२८२–१२९२

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८९, ८९३, ८९८, ९००, ९०२ से ९०४, ९०६ से ९१०, ९१२, ९१३, ९१६, ९१७, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६ से ९२८, ९३०, ४८२, ८९९, ८९४, ८९७, ८९५, ९०५ और ९१४ . . १२९३–१३३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९२, ८९६, ९०१, ९११, ९१८, ९१९, ९२१, ९२२, ९२५ और ९२९ १३३६–१३४५

अतारांकित प्रश्न सख्या ४५२ से ४७२ १३४५ १३५८

अंक २०——शनिवार, २० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ से ९३५, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४५, ९४७, ९४८, ९५० से ९५३, ९५७, ९५९ से ९६२, ९६८, ९७०, ९७१, ९७४, ९७५, ९३१, ९३८, ९३६, ९४९, ९५४, ९६५ और ९७२ . १३५९ -१४०३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ १४०३–१४०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३२, ९३७, ९३९, ९४२, ९४६, ९५५, ९५८, ९६३, ९६४, ९६६, ९६७, ९६९ और ९७३ . . . . १४०८–१४१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ से ५१३ . . . १४१४–१४३८

समेकित विषय सूची . . . . . .

लोक सभा

शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

टिड्डियां

*२१७. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय टिड्डी नाशक संगठन की कार्यवाहियों के फलस्वरूप टिड्डियों के आक्रमण को रोकने के संबंध में चालू वर्ष में क्या प्रगति हुई ह और अगले वर्ष क्या प्रगति होने की सम्भावना है?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : सभा के टेबल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५९]**

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं की टिड्डियों की रोकथाक के लिये प्रति वर्ष कितना धन व्यय करने का निश्चय किया गया है और उसमें से कितना धन इस देश में खर्च होगा और कितना उन देशों में खर्च होगा जहां से कि टिड्डियों का भारत में आना रुक सके ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझता कि इसके लिए बाहर देशों में जो हम डेपुटेशन भेजते हैं, उन पर हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, उन पर खर्च का हिसाब मेरे पास नहीं है मगर यह होने वाला खर्चा हर साल बढ़ता जाता है। सन् १९४९-५० में यह खर्चा २ लाख, ४८ हजार था, अब वह बढ़ते बढ़ते २१ लाख, ३० हजार तक पहुंच गया है।

श्री एम० एल द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि उन देशों में जहां से कि टिड्डियां यहां पर आती हैं, वे देश भी इस सम्बन्ध में कुछ रुपया खर्च करते हैं और सरकार को सहयोग देते हैं और यदि हां, तो वह क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसके लिय मैं नोटिस चाहूंगा, वैसे मुझे मालूम है कि एफ० ए० ओ० इस पर काफ़ी खर्च करता है और देश भी देते हैं।

श्री एस० एन० दास : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि इस मद में खर्च बढ़ता ही जाता है, तो इसके सम्बन्ध में क्या यह बात सही बैठती है कि ज्यों ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता ही गया ?

डा० पी० एस० देशमुख : टिड्डियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : टिड्डी दल मर्ज साबित हो रहे हैं।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं जिन के साथ सरकार ने इस टिड्डी विभीषिका से संघर्ष करन के हेतु किसी प्रकार का करार किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम पाकिस्तान, ईरान और अफ़्रीका के दूर पश्चिमी राज्य क्षेत्रों तक के साथ मिल कर काम कर रहे हैं ।

चीनी का भाव

*२१८. **श्री राधा रमण :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न चीनी के गिरते हुए भाव को रोकने के लिये कोई उपाय किए हैं; तथा (ख) यदि किये हैं तो वह कहां तक सफल रहे हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). चीनी के भाव में कोई ऐसी कमी नहीं हुई है कि जिस के लिए सरकार द्वारा किसी विशेष कार्यवाही की आवश्यकता समझी जाय ।

श्री राधा रमण : आयात की गई चीनी और भारत में उत्पादित चीनी के तलनात्मक भाव क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : आयातित चीनी का भाव, अपने उत्पादन स्थानों पर तो काफी कम है किन्तु हमारी ओर से शुल्क आदि लगने के पश्चात चालू भावों में कुछ अधिक अन्तर नहीं रहता ।

श्री राधा रमण : क्या भारतीय उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन इस आशय का प्राप्त हुआ है कि भारत में चीनी के मूल्य को स्थिर किया जाय ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : इस आशय का कोई औपचारिक अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु लखनऊ में हुए त्रिपक्षीय सम्मेलन में कुछ सुझाव दिए गए थे । जांच करने पर यह पाया गया कि जहां तक चीनी के भाव का प्रश्न है कोई चिन्ता का कारण नहीं है ।

श्री झूलन सिंह : क्या सरकार ने वास्तव में इस बात का पता चलाया है कि क्या उपभोक्ता केन्द्रों में भावों में कोई वास्तविक कमी हुई है, अथवा क्या केवल डॉक और निर्यात केन्द्रों में ही कमी हुई है ?

श्री ए० पी० जैन : यदि थोक भाव में कमी हुई है तो उसका प्रभाव परचून भाव पर भी पड़ना चाहिए ।

श्री झूलन सिंह : क्या सरकार ने यह पता चलाया है कि क्या वास्तव में कोई कमी हुई है ? कोई कमी नहीं हुई है ।

श्री ए० पी० जैन : कुछ कमी हुई है ।

साहीवाल के ढोर

*२१९. **श्री बर्मन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहीवाल अभिजाति के ढोरों को भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, दिल्ली से करनाल भिजवाने से क्या कोई बचत हुई है और यदि हुई है तो कितनी;

(ख) गत तीन वर्षों में करनाल के साहीवाल वाले गल्ले द्वारा दिए जाने वाले दूध में कहां तक वृद्धि हुई है ; तथा

(ग) यहां से बदले जाने से पूर्व इस गल्ले द्वारा दिए जाने वाले दूध की अधिकतम मात्रा क्या थी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) एक विवरण जिस में साहीवाल हर परकार और लाल सिन्धी ढोरों के करनाल में इकट्ठा किए जाने

से हुई बचत दिखाई गई है सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६०**] केवल साहीवाल वाले अभि जाति समूह के बारे में पृथक आंकड़ उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) करनाल स्थित साहीवाल वाले गल्ले द्वारा दिए जाने वाले दूध की औसत मात्रा जो १९५२–५३ में १६ पाऊंड थी अप्रैल, १९५५ में १८·८ पाऊंड हो गई थी ।

(ग) २२.३ पाऊंड प्रति गाय प्रति दिन ।

श्री बर्मन : साहीवाल अभिजाति की गायों द्वारा दिए जाने वाले दूध की औसत मात्रा उस समय क्या थी जब वह भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में थीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को इस बात का ज्ञान है कि वह गायों का समुदाय विशेष बढिया प्रकार का था । उन द्वारा दिये जाने वाले दूध की औसत मात्रा मेरे विचार में, २८.८ पाऊंड के लगभग थी ।

श्री बर्मन : क्या यह सत्य नहीं है कि इस गल्ले के करनाल दिये जाने के पश्चात जब प्राक्कलन समिति ने उस स्थान का दौरा किया तो उन्होंने इस बात की जोरदार सिपारिश की कि इन कम मिलने वाले ढोरों का अवहास को देखते हुए उन्हे फिर से भारतीय कृषि गवेषणा संस्था को लौटा दिया जाय और यह कहा कि उक्त संस्था का निदेशक उन्हें फिर से वापिस लेने के लिए पूर्णतया उद्यत है ? यदि ऐसा है, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं कि जहां तक प्राक्कलन समिति की सिपारिशों का सम्बन्ध है मेरे माननीय मित्र भली भांति अवगत हैं ।

डा० रामा राव इस बात के देखते हुए कि इस बहुमूल्य अभिजाति विशेष का अन्त हो रहा है क्या सरकार ने इस अभिजाति और प्रसिद्ध ओंगोले अभिजाति के बीच किसी संकरण का प्रयत्न किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं अपने माननीय मित्र की यह बात नहीं मानता हूं कि इस का अन्त हो रहा है : वास्तव में हमारे पूर्ण प्रयत्न इन्हें बनाए रखने और इस की वृद्धि करने में लगे हुए हैं ।

डा० रामा राव : मैं इनके अंत की की बात कह रहा था :

डा० पी० एस० देशमुख : इनके अन्त की बात कोई संभावना नहीं है ।

रेलवे सुरक्षा संस्था

*२२०. **श्री राघवैया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा तथा प्रतिपालन विभाग के पुनर्गठन और "रेलवे सुरक्षा बल" के निर्माण के बारे में कोई निश्चय किया गया है; तथा

(ख) यदि किया गया है तो उस योजना के लक्षण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान्

(ख) एक विवरण सभा–पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१**]

श्री राघवैया : नये बल की सेवा की शर्तें क्या हैं?

श्री अलगेशन : यह सब बातें जारी की गई अधिसूचना में स्पष्ट की गई हैं इस सेवा सम्बन्धी नियम १५ अप्रैल से लागू किये गये हैं ।

श्री राघवैया : क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षण नियम इन कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं ?

श्री अलगेशन : कौन से नियम ?

श्री राघवैया : राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षण नियम । मेरा प्रश्न यह है कि क्या ये कर्मचारी भी विभाग की दया और मन-मानी पर होंगें ?

श्री अलगेशन : राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षण नियम सब सेवाओं पर लागू होते हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मंत्रालय का इरादा यह है कि यथा समय यह रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे पुलिस का स्थान ले लेगा ?

श्री अलगेशन : नहीं । पहले इस बल को रेलवे की वाच ऐंड वार्ड शाखा कहा जाता था । अब इसे रेलवे सुरक्षा बल का नाम दिया गया है इसे पुलिस के तुल्य दर्जा देने के लिये एक विधेयक भी हमारे विचाराधीन है ।

श्री कामत : क्या नया बनाया गया बल प्रत्यक्षत : रेलवे बोर्ड के आधीन होगा या प्रत्येक रेलवे के महा प्रबन्धक के ?

श्री अलगेशन : यह महाप्रबन्धकों और रेलवे बोर्ड दोनों के अधीन काम करेगा ।

श्री कामत : क्या यह प्रत्यक्षत : महाप्रबन्धकों के आधीन होगा या रेलवे बोर्ड के?

श्री अलगेशन : इन दो में कोई भेद नही है ।

श्री राघवैया : इश में कितने पदाधिकारी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य का प्रश्न यह था कि वे किस के प्रत्यक्ष नियन्त्रण के आधीन काम करेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : ये प्रत्यक्षत : रेलवे बोर्ड के अधीन होंगे । सुरक्षा पदाधिकारी प्रत्यक्षत : रेलवे बोर्ड के अधीन होगा और मुख्य सुरक्षा सलाहकार महाप्रबन्धकों के आधीन काम करेंगे ।

भारत-जापान विमान संचालन समझौता

***२२१. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत और जापान के बीच विमान कम्पनियों के बारे में कोई द्विपक्षीय समझौता हुआ है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय समझौते की शत तय कर ली गई हैं किन्तु इस पर हस्ताक्षर किये जाने से पहले अभी औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह समझौता हिन्दी में होगा ?

श्री राज बहादुर : आशा यही है ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस समझौते के अधीन जापान और भारत के बीच सर्विस की बारम्बारता क्या होगी ?

श्री राज बहादुर : ये मामले समझौते की शर्तों के अधीन आत हैं । किन्तु हमारा विचार यह है कि बर्मूडा सदृश समझौता किया जा सकता है किसके अनुसार संख्या या बारम्बारता पहले से निश्चित नहीं की जाती ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि हमारे भारत-टोकियो पथ पर अधिकतम प्रतिस्पर्धा होती है और यदि हां तो कठिनाइयां क्या हैं—मैंने सुना है कि इस प्रतिस्पर्धा के फलस्परूप कुछ कठिनाइयां हैं—और क्या मैं यह भी जान सकती हूं कि क्या इस समझौते की शर्तों के अनुसार हमें कम से कम वही सुविधाएं मिलेंगी जो कि कुछ और विमान कम्पनियों को जो कि इस पथ पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, दी गई हैं ?

श्री राज बहादुर : इस समझौते की शर्तों के अनुसार एयर इंडिया इन्टरनैशनल के लिए यथासंभव अधिक से अधिक मितव्ययता से सर्विस चलाना संभव होगा । जहां तक यथार्थ शर्तों का सम्बन्ध हैं, औपचारिक रूप से समझौते पर हस्ताक्षर हुए बिना इन के बारे में कुछ कहना उचित नहीं ।

तृणक नियन्त्रण

*२२३. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे व्यक्ति जिन्हें तृणक नाशिकीट और पौधों की बीमारियों के नियन्त्रण के नवीनतम तरीकों का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन भेजा गया था, अपना कोर्स समाप्त करके वापस आ गये हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि यह कोर्स कोलम्बो योजना के अधीन आयोजित किया गया था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) इस प्रयोजन के लिए ब्रिटेन भेजे गये प्रशिक्षणार्थियों के चार दलों में से तीन वापस आ गये हैं। चौथा दल अभी प्रशिक्षण ले रहा है ।

(ख) जी हां ।

श्री एम० आर० कृष्ण : इन व्यक्तियों ने जो औद्योगिक ज्ञान प्राप्त किया है और तरीके सीखे हैं क्या उन के कारण, उस देश से बड़े पैमाने पर कीटनाशक और मशीनरी खरीदने की आवश्यकता पड़ती है !

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री एम० आर० कृष्ण : कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षिण दिया गया है और उनके अनुभव से इस देश में कैसे लाभ उठाया जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : १९५२ में ७ व्यक्तियों को, १९५३ में ८ को और १९५४ में ६ को प्रशिक्षित किया गया था । मेरे विचार में ५ अभी प्रशिक्षिण ले रहे हैं । सब को उन कामों पर नियुक्त किया जा रहा है, जिन के लिये उन्होंने प्रशिक्षिण लिया है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : उन को ब्रिटेन क्यों भेजा गया था जहां जलवायु और फसल की स्थिति इस देश से बिल्कुल भिन्न है ?

डा० पी० एस० देशमुख : क्योंकि ब्रिटेन में तृणक नाशक औषधियों सम्बन्धी विज्ञान और तरीके अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक विकसित हैं ।

श्री सी० आर० चौधरी : अनुसूचित जातियों। अनुसूचित आदिमजातियों और पिछड़ी हुई जातियों के कितने सदस्य भेजे गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

रेलवे उपकरण

*२२४. **श्री एस० एन० दास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे उपकरण की उन वस्तुओं के विषय में, जो कि इस समय विदेशों से प्राप्त की जाती हैं, आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए अब तक कोई पग उठाये गये है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में रेलवे सामान समिति ने जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने कोई सुझाव दिये हैं ;

(घ) क्या किसी निजी समवाय ने इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दिये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सुझाव हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) यह समिति जांच कर रही है ।

(घ) समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) और (ङ). सरकार को यह विदित नहीं है, किन्तु संभव है सामान समिति को सुझाव दिये गये हों ।

श्री एस० एन० दास : रेलवे सामान का कितना प्रतिशत भाग, वस्तुओं की संख्या के हिसाब से और वार्षिक मूल्य के हिसाब से भारत में बनाया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : वस्तुओं की प्रतिशतता बताने में मैं असमर्थ हूं किन्तु मैं कुल क्रय में से आयात की गई वस्तुओं के मूल्य की प्रतिशतता बता सकता हूं । १९४९-५० में यह २३ प्रतिशत, अगले वर्ष में २२ तिशत, १९५१-५२ में ३० प्रतिशत, १९५२-५३ में ३० प्रतिशत और १९५३-५४ में २८ प्रतिशत थी ।

श्री एस० एन० दास : इस विषय में रेलवे के कारखानों तथा अन्य रेलवे स्थापनाओं में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री अलगेशन : वास्तव में इस समिति को इसलिए नियुक्त किया गया है कि वह देशी क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करने के उपाय बताये । किन्तु रेलों को पहले से अनुदेश दिए गए हैं कि वे यथा संभव केवल देश में बनी हुई वस्तुओं का, जहां तक कि वे देश में उपलब्ध हों, प्रयोग करे । जहां तक देशी उत्पादन का सम्बन्ध है, यह सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में बढ़ाया जा रहा है । हमने डिब्बों, सिगनल और इन्टर लाकिंग का सामान और गाड़ियों में प्रकाश के डायनैमों के निर्माण के लिए कुछ फर्मों से समझौते किये हैं । इसका सम्बध गैर-सरकारी क्षेत्र से है । माननीय सदस्य को विदित है कि हम इंजनों के निर्माण के सम्बन्ध में चित्तरंजन, टैलको की और डिब्बों के निर्माण के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी की क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : रेलवे शताब्दी उत्सव के बाद, क्या भारतीय निर्माताओं ने इस विषय में अपने सुझाव दिए हैं और क्या उन में सहयोग मांगा गया है ?

श्री अलगेशन : जी हां । हमने प्रदर्शनी के दौरान में कुछ ऐसी वस्तुओं को प्रदर्शित करके जो कि रेलें प्रयोग करती हैं और जो कि इस समय देश में नहीं बनतीं, उनसे सहयोग मांगा था । उन्हें सब नाप आदि दिए गये थे । ताकि

वे इन वस्तुओं का निर्माण आरम्भ कर सकें ।

श्री एस० एन० दास : इसका क्या परिणाम है.....

अध्यक्ष महोदय : श्री० टी० एस० ए० चेट्टियार ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : इंजीनियरिंग उद्योग के गैर-सरकारी क्षेत्र में बढ़ी हुई क्षमता को ध्यान में रखते हुए, क्या समिति ने कोई आन्तरिम प्रतिवेदन दिया है ताकि अन्तिम प्रतिवेदन आने तक उस क्षमता का उपयोग किया जाये ?

श्री अलगेशन : समिति ने कोई आन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया किन्तु इसकी सिफ़ारिश पर बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में शो-रूम स्थापित किए गए हैं और एक दिल्ली में भी शीघ्र स्थापित करने का विचार है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सामान खरीदने में, हमारी रेलें आयात माल की अपेक्षा देशी उत्पाद के लिए मूल्य अधिमान के सिद्धान्त का अनुसरण करती हैं, यदि हां, तो ऐसे मूल्य अधिमान की औसत प्रतिशतता क्या है ?

श्री अलगेशन : मुझे इस प्रश्न का निश्चित उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहिए। इस समय कुछ प्रतिशत मूल्य अधिमान दिया जाता है।

चर्चगेट रेलवे स्टेशन

*२२५. **श्री गिडवानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई में चर्चगेट स्टेशन के रूप परिवर्तन का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का विस्तार क्या है;

(ग) इसका व्यय क्या है; और

(घ) इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है ।

(ख) इस योजना के अधीन प्रवेश और प्रस्थान की अतिरिक्त लाइनों और अतिरिक्त प्लैटफार्मों के निर्माण की व्यवस्था की जायेगी । स्टेशन के सामने का खुला क्षेत्र भी बढ़ाया जायेगा ।

(ग) लगभग ५२ लाख रुपये ।

(घ) भूमि मिलने और अन्य प्रारम्भिक कार्यवाहियों के पूरा होने के बाद काम शुरू कर दिया जायेगा । इसे समाप्त करने में दो वर्ष लगेंगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस तारों की दरें

*२२६. **श्री डाभी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा विज्ञान संस्कृति संघ (यूनेस्को) के अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस-सन्देश प्रेषण सम्बन्धी प्रतिवेदन में इस बात पर ज़ोर दिया है कि विश्व के समाचारों को अधिकतर भेजने आदि और अपेक्षतया अधिक जानकारी-प्राप्त जनमत पैदा करने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस तारों की दरें घटा दी जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) प्रतिवेदन पर आर्थिक और सामाजिक परिषद् में विचार किया गया था । जिसने इसे और आगे सविस्तार विचार करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार-संघ को निर्दिष्ट किया है ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार-संघ द्वारा प्रतिवेदन पर विचार कर लिये जाने के बाद और उसकी सुदृढ़ सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद ही सरकार के विचारों को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

श्री डाभी : अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस तारों की वर्तमान दर क्या है ?

श्री राज बहादुर : अलग-अलग मामलों, देशों, स्थितियों में वे अलग-अलग हैं । पर मैं इतना कह सकता हूं कि हमने कुछ एशियायी देशों विशेषतः इण्डोनेशिया, थाईलैंड और चीन के विषय में प्रेस-सन्देशों की दरों को कम करने के लिये पहले ही कुछ कार्यवाही की है और हम ईरान और अफगानिस्तान के बारे में भी कुछ ऐसी ही कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं यह जान सकती हूं कि 'यूनेस्को' द्वारा की गयी सिफारिशें विश्व में सर्वत्र दरों की एक सी कमी करने के बारे में हैं या वे विशिष्ट देशों के लिये हैं, जिनमें एक हमारा देश भी है ?

श्री राज बहादुर : यदि संबंधित सरकारें 'यूनेस्कों' की सिफारिशें मान लें तो दरों में कमी हो जायेगी और वह एक सम आधार पर ही होगी । जहां तक हमारे देश का संबंध है, वस्तुतः हमारे यहां चालू दरें बहुत से मामलों में तो 'यूनेस्को' द्वारा सुझायी गयी दरों से भी कम हैं, केवल अफगानिस्तान के मामले में ऐसा नहीं है । इस सम्बन्ध में सामान्य दर में एक तिहाई की कमी करन के लिये बातचीत चल रही है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या किसी और देश ने भी दरें घटाने के सम्बन्ध मे इन सिफारिशों के किये जाने के बाद उन को मंजूर किया है ?

श्री राज बहादुर : जैसा मैंने बताया, इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार-संघ को सौंप दिया गया है । वहां ब्यौरे वार सिफारिशों पर विचार होगा और जब अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार-संघ अपनी सिफारिशें 'युनेस्को' के पास भेज देगा तब वे संबंधित सरकारों द्वारा मंजूर कर, लिये जाने पर प्रभावी होंगी । मैंने चलते-चलते यह बता दिया था कि हमारी दरें अनेक मामलों में पहले से ही उन दरों से कम हैं, जिनकी कि सिफारिश की गई है ।

चीनी-उत्पादन

*२२७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५४-५५ में किन-किन कारणों से चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : गन्ने की अधिक पैदावार और गुड़ का मूल्य तुलना में कम होने के कारण गुड़ बनाने की बजाय गन्ने का चीनी के कारखानों में भेजा जाना ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि विगत पांच वर्षों में प्रायः हर दूसरे वर्ष चीनी की कमी क्यों पड़ रही है और क्या सरकार ने इस स्थिति को समाप्त करने के लिये कुछ उपाय सोचे हैं, जिससें पिछले वर्ष होने वाला चीनी का बढ़ा हुआ उत्पादन इस वर्ष और भविष्य में भी कायम रखा जा सके ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : सरकार चीनी का बढ़ा हुआ उत्पादन कायम रखने के लिये पूरे उपाय कर रही है और इस समय भविष्य के संबंध में जो सूचनाएं उपलब्ध हैं, उनके अनुसार अगले मौसम में प्राप्त होने वाले गन्ने की मात्रा पिछले मौसम में प्राप्त मात्रा की अपेक्षा कहीं अधिक होगी ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि १९५४-५५ में गन्ने की खेती के क्षेत्र में वृद्धि हुई है या कमी ?

श्री ए० पी० जैन : १९५३-५४ की तुलना में चार लाख एकड़ से कुछ कम की वृद्धि हुई थी ।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि अब की ईख की खेती अच्छी हुई है और गन्ना ज्यादा पैदा होगा, तो क्या सरकार स्टेट्स को आदेश देगी कि इस साल गन्ना जल्दी पेरा जाय ?

श्री ए० पी० जैन : हम इस पर गौर कर रहे हैं, और इस बात की कोशिश करेंगे कि हर मुमकिन तरीके से गन्ने को उस वक्त से पहले पेरना शुरू किया जाय जैसे पहले होता था ।

श्री हेडा : कुछ स्थानों से गत वर्ष यह शिकायत आयी थी कि गन्ना वहां काफी पैदा हुआ, लेकिन फैक्ट्रियों ने उस को कुछ अर्से के बाद पेरने से इन्कार कर दिया । तो क्या इस साल, जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने दर्याफ्त किया, कुछ अर्से बाद तक इन फैक्ट्रियों को काम करने के लिये कहा जायेगा ?

श्री ए० पी० जैन : असल में दो बातें हो सकती है । एक तो यह कि मामूलन जब गन्ना पेरने का सीजन शुरू होता है उस से पहले पेरना शुरू किया जाय और मामूलन जब पेरने का सीजन खत्म होता है उस के बाद भी उसको जारी रक्खा जाय । पिछले साल हमने इस बात की कोशिश की कि जब पेरने का सीजन खत्म होता है उस के बाद भी उस का पेरना जारी रक्खा जाय । इस का नतीजा यह हुआ कि जितना गन्ना पैदा हुआ था, वह सब का सब पेरा गया । इस मर्तबा चूंकि गन्ने की पैदावार ज्यादा है, इस लिये हम दूसरी तरफ यह भी कोशिश करेंगे कि जो मामूलन गन्ना पेरने का वक्त होता है उस से पहले ही पेरना शुरू किया जाय ।

बिहार में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय

*२९९. **श्री झुलन सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में बिहार में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों के सम्बन्ध में कुल कितना व्यय किया गया; और

(ख) इसी काल में उनसे कुल कितनी आय हुई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी ।

श्री झूलन सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इन में से कुछ सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों जहां पर ऐसा करना परिस्थिति के अनुकूल उचित हो को 'एक्सचेंजों' में बदलने की संभावना पर विचार किया है ?

श्री राज बहादुर : हमने इन मामलों में इस बात पर समय-समय पर विचार किया है, और संचार के परिमाण की परिस्थितियों का औचित्य और भंडार तथा वित्त उपलब्धि की सीमा तक हमने परिवर्तन किया है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं वहां के सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री राज बहादुर: ३१ मार्च १९५४ को यह संख्या ८८ थी ।

गन्ने के दाम

*२३०. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने के दामों को उसकी किस्म के आधार पर देने के प्रस्ताव के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): प्रस्ताव को भारत सरकार के संकल्प संख्या एस० वी०-१०१ (५-१)/५४ के अधीन २ अप्रैल, १९५५ को नियुक्त की गयी विशेषज्ञ समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया है । समिति से अपना प्रतिवेदन अगले सितम्बर तक भेजने की अपेक्षा की जाती है ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या मैं यह जान सकता हूं कि गन्ने की अविकसित खेती को और खेती संबन्धी सुविधाओं के अभाव को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार का ध्यान इस संभावना की ओर आकर्षित किया गया है कि 'किस्म' सम्बन्धी सूत्र को मंजूर कर लेने से उत्तर भारत के गन्ना-उत्पादकों को घाटा रहेगा ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं माननीय सदस्यों को समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करने की सलाह दूंगा ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या दूसरा वैकल्पिक सूत्र भी कि दाम खेती की लागत के अनुसार निश्चित किये जायें, विचारार्थ सरकार के सामने हैं ?

श्री ए० पी० जैन : गन्ने का दाम ऐसे स्तर पर निश्चित करने के हेतु जिससे किसान को उचित मुनाफा मिल सके, सरकार खेती की लागत का पता लगाने के लिये तथ्यों की खोज आदि करती रही है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या जहां पर सरकारी फारमों में शूगर केन की कल्टीवेशन होती है वहां पर कास्ट आफ कल्टीवेशन अभी तक मालम नहीं हुआ है और अभी तक भी एक्सपैरिमेन्ट पर एक्सपैरिमेंट किए जा रहे हैं ?

श्री ए० पी० जैन : यह बहुत टेढ़ा सवाल है और इस में कम से कम तीन साल लगेंगे । एक साल खत्म हो गया है और दो साल अभी और लगेंगे, इस बात को मालूम करने के लिए ।

पंडित डी० एन० तिवारी : किदवई साहब के जमाने में यह बात कही गई थी और यह तय भी हो गयी थी कि जो ऊख के दाम मिले वह शूगर के दामों पर निर्धारित रहें और उसी साल या अगले साल दाम मिलने वाले थे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह दाम अभी तक किसी को दिए गए हैं या नहीं ?

श्री ए० पी० जैन : पेशतर कारखाने वालों ने रुपये की अदायगी कर

दी है । कुछ थोड़े से कारखाने अभी तक बाकी हैं जहां पर किसी किस्म का टंटा अभी बाकी है । वह भी अब अदायगी कर रहे हैं ।

चीनी उत्पादन-शुल्क

*२३१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ चीनी मिलों ने संघ सरकार से अभ्यावेदन किया है कि चीनी पर उत्पादन-शुल्क हटा दिया जाय ; और

(ख) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं किन्तु वे केवल अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को, जो कि १ मार्च १९५५ से लगाया गया था, हटाने के लिए हैं ।

(ख) सरकार अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को समाप्त नहीं करने का निश्चय कर चुकी है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या अब जब कि शूगर के दाम गिर रहे हैं गवर्नमेंट इस बात पर विचार करेगी कि ड्यूटी उठाई जाए ताकि मिल वालों को, ग्रोअर को और कंज्यूमर को, सब को फायदा पहुंच सके ।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : इस बात को भी सोच लेंगे ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने चीनी उपकर विधेयक पारित होते समय सरकार द्वारा दिये गए इस आश्वासन पर विचार किया है कि चीनी उपकर थोड़े समय तक ही रहेगा और बहुत समय तक नहीं चलेगा ?

श्री ए० पी० जैन : प्रश्न का संबंध चीनी उपकर से नहीं, बल्कि चीनी उत्पादन-शुल्क से है ।

विमानों का बाध्य हो कर उतरना

*२३२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५५ में काश्मीर जाने वाले विमानों को अपनी उड़ानों के दौरान में कितनी बार बाध्य होकर भूमि पर उतरना पड़ा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): दो बार ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या इन दोनों केसों में एंजिन की खराबी के कारण इन विमानों की नीचे उतरना पड़ा या कोई और कारण थे और कौन कौन से स्थानों पर इन्हें नीचे उतारा गया ?

श्री राज बहादुर: इन दोनों केसों में नहीं सिर्फ एक केस में एंजिन की खराबी पैदा हो गई थी । २२ अप्रैल को जब अम्बाला से हवाई जहाज़ उड़ा तो मालूम पड़ा कि पैट्रोल की बदबू आ रही है । जहाज़ को नीचे उतारा गया और उतारने के बाद जब चैकिंग की गई तो मालूम हुआ कि उसमें कोई खराबी नहीं है । टैस्ट फलाई किया गया । टैस्ट फलाईट में भी वह ठीक मालूम हुआ । इसके बाद उसे चालू कर दिया गया । एहतियात के तौर पर चालक ने हवाई जहाज़ नीचे उतारा था ।

दूसरे केस में अमृतसर में इसे नीचे उतारना पड़ा । देखने के बाद मालूम हुआ कि सिलैंडर में थोड़ी सी खराबी है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जब यह सेवा ग़ैर-सरकारी प्रबन्धकों द्वारा चलाई जाती थी तब कितनी बार विमानों को बाध्य होकर उतरना पड़ा था और इसके सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने के बाद कितनी बार ऐसा हुआ है ?

श्री राज बहादुर : पूर्व सूचना मिलने पर मैं यह बता सकूंगा । हमने अभी १९५५ के आंकड़े बताए हैं ।

पोरबिलिया कोयला-खान में आग

*२३३. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा १७ अप्रैल, १९५५ को पोरबिलिया-खान में लगी आग के कारणों के बारे में कोई प्रतिवेदन भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो इन कारणों के ब्योरे क्या हैं ;

(ग) क्या आग के कारण कोई हताहत हुआ; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सावधानी के क्या क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). खानों के मुख्य निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार जब तक खान को फिर से न खोला जाये, इस आग का कोई संभव कारण बता सकना मुश्किल है, पर ऐसा सन्देह है कि यह मामला छत के गिरने से एक बिजली के तार के फट जाने का था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उस क्षेत्र को बंद कर दिया गया है और प्रबन्धकों को सलाह दी गयी है कि खाली दिनों में बिजली के तारों में करेंट न रहने दें । बंद किये गये स्थानों की देखभाल रखी जाती है और हवा का समय समय पर परीक्षण किया जाता है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस विशिष्ट कोयला-खान में आग वाली गैस के साथ ही कारबन मोनो-क्साईड भी थी, जो बहुत ही ज़हरीली है और यदि हां, तो उन्हें खोलते समय सावधानी के लिए किस किस कार्यवाही के करने का विचार है ?

श्री आबिद अली : आरंभ से ही इस खान को खतरनाक खानों में समझा गया है । क्योंकि अनेक बार जल उठने वाली गैस मिली है । परन्तु इस विशेष घटना के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसका कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कोयला-खानों में हुई अनेक भीषण दुर्घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए कम से कम उन खानों में जिनकी रिपोर्ट कुछ विशेष अच्छी नहीं है, काम करने की आज्ञा देने के पहले काम करने की दशाओं और विशेषत: जमीन के अन्दर काम करने की दशाओं की जांच करा लिया करेगी ?

श्री आबिद अली : खान अधिनियम के अधीन जो कुछ करना आवश्यक है, किया जा रहा है और अब निरीक्षण अपेक्षतया अधिक बार होने लगा है ।

झींगा मछलियों का निर्यात

*२३४. **श्री सी० आर० अय्युण्णि** : **क्या खाद्य और कृषि** मंत्री २२ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित **प्रश्न संख्या**

२४९५ के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुली साधारण अनुज्ञप्ति (ओ० जी० एल०) पद्धति के समाप्त किये जाने के बाद बर्मा को झींगा मछलियों का निर्यात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने नये-नये बाजार खोजने के लिये या देश में ही खाद्य पदार्थ के रूप में झींगा मछलियों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) बर्मा सरकार ने खाद्य पदार्थ के रूप में झींगा मछलियों की कुछ मात्रा के आयात के लिये अनुज्ञाएं दी हैं, जो कोचीन और मद्रास से जहाज में भेजे जाने को अभी पड़ी हैं ।

(ख) रंगून स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार बर्मा में कोचीन और मद्रास से मई के महीने में प्रौन मछलियों के आयात की मात्रा १२५०० थैले हैं ।

(ग) जी हां, इन संभावनाओं की जांच की जा रही है ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले वर्ष के तत्संबादी आंकड़े ठीक ठीक क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: वे आंकड़े इन महीनों की तुलना में बहुत अधिक हैं । औसतन हम १३ से २० लाख तक संख्या में मछलियों का निर्यात कर रहे थे, हां, प्रौन मछलियों के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री अच्युतन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या बर्मा को निर्यात के साधन न मिल सकने के कारण कोचीन के बंदरगाह पर पड़ी मछलियों की मात्रा के बारे में सरकार को कोई सूचना प्राप्त है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारे पास ठीक-ठीक आंकड़े नहीं हैं ।

श्री ए० एम० थामस : जब यह बात पहले सभा के सामने आयी थी, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि इस मामले में बर्मा सरकार से बात की जारही है क्या यह मैं जान सकता हूं कि इस मामले में भारत सरकार और बर्मा सरकार के बीच हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैं पहिले ही बता चूका हूं कि बर्मा सरकार खाद्य पदार्थ के रूप में इन के आयात के बारे में अनुज्ञा देने के लिये सहमत हो गई है ।

श्री कामत : क्या हमारा विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिये हमारे विदेश स्थित दूतावासों और नियोजनों से उन-उन देशों में प्रौन मछलियों का प्रचार करने के लिये कहा गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां श्रीमान्। हमने कुछ देशों में अपनी प्रौन-मछलियों का प्रचार करने का प्रयत्न किया है, पर उत्तर कुछ उत्साहवर्द्धक नहीं रहा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : भाग (ग) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या यह सच है कि रेल डिब्बों की कमी भी एक ऐसा कारण थी जिससे प्रौन मछलियों के स्थानीय विक्रय को यद्यपि संभवत: इसे बढ़ाया जा सकता था बढ़ाया नहीं जा सका, और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : क्या मैं यह निवेदन कर दूं कि यह प्रश्न प्रौन मछलियों के निर्यात से संबंधित है, अन्तर्देशीय विक्रय से नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैंने भाग (क) का निर्देश किया था ।

बर्मा का चावल

*२३५. **श्री के० पी० सिन्हा**: क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बर्मा से सारा नौ लाख टन चावल पूर्ण मात्रा में आ चुका है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): नहीं, श्रीमान् । परन्तु मैं यह बता दूं कि थोड़ी सी मात्रा, अर्थात् १०,१९१ टन चावल आना शेष है ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या यह शेष मात्रा केन्द्रीय संचय के लिये है अथवा देश में उपभोग के लिए है और यदि हां, तो देश के किस भाग के लिए ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह केन्द्रीय संचय के लिए है परन्तु श्रीमान् मैं जानता हूं कि भारत में इसकी मांग है और इसमें से कुछ बम्बई में बेचा जा रहा है ।

श्री के० पी० सिन्हा: इस वर्ष अतिरेक राज्यों से कितना चावल खरीदा गया है और किस दर पर ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम चावल के केवल पुराने स्टाक को ले रहे हैं। इस वर्ष, केन्द्रीय सरकार को किसी राज्य से चावल खरीदने की आवश्यकता नहीं हुई है ।

पंडित डी० एन० तिवारी: क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि जितना राइस (चावल) बर्मा से आया, उसके दाम का कितना हिस्सा नकद दिया गया और कितना कर्जे में दिया गया ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह तो पुराना सवाल है और इस पर पहिले भी बहस हो चुकी है । इस क्षण मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : वह राइस ४८ पौंड फी टन खरीदा गया था, जिसमें से १३ पौंड कर्जे म लगाया और ३५ पौंड नकद दिया गया ।

"हिरोन विमान'

*२३६. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने 'हिरोन' विमान आये ओर विभिन्न विमान मार्गों पर चलाय गये हैं;

(ख) वे किन किन स्थानों के बीच उड़ान करते हैं; और

(ग) भावी उड़ानों में वे किन किन मार्गों पर चलाये जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जिन आठ 'हिरोन' विमानों के लिये इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने क्रयादेश दिये थे, वे आ गये हैं। अब तक उनमें से दो विमान-मार्गों पर चलाये गए हैं ।

(ख) (१) दिल्ली । आगरा । ग्वालियर । भोपाल । इन्दौर । ओरंगाबाद । बम्बई ।

(२) दिल्ली । लाहौर । दिल्ली ।

(ग) (१) बम्बई । बड़ौदा । अहमदाबाद ।

(२) दिल्ली । बीकानेर । जोधपुर । अहमदाबाद । राजकोट ।

(३) दिल्ली । जालन्धर । कुलू ।

(४) कलकत्ता । जमशेदपुर । रांची । पटना ।

(५) मद्रास । मद्रास वृत्ताकार मार्ग द्वारा बेंगलोर, कोयम्बटूर । कोचीन । त्रिवेन्द्रम् । मदुराई और तिरुचिरापल्ली ।

श्री भागवत झा आजाद : अन्य 'हिरोन' विमानों को अभी सेवा में क्यों नहीं लगाया गया है ?

श्री राज बहादुर : वे बहुत बाद में आये हैं । हमें पहिले दो १५ अप्रैल १९५५ को प्राप्त हो गये थे, तीन १५ जून को, दो २१ जुलाई और अन्तिम एक २२ जुलाई को प्राप्त हुआ है ।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात की क्या गारन्टी है कि ये अपने पूर्वगामी विमानों की अपेक्षा, जो इन मार्गों पर चल रहे थे, उत्तमतर हैं ?

श्री राज बहादुर : ये मार्ग--जिन मार्गों पर हम उन्हें चलाना चाहते हैं--नये हैं । वहां भी तुलना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । यह उन अन्तिम प्रकार के विमानों में से एक है जो बहुत अच्छी समझी जाती हैं । अतः उनकी परीक्षा केवल हमारे ही देश में नहीं की जाती है अपितु बहुत से अन्य देशों में उनका सफल प्रयोग किया जा रहा है ।

डा० रामा राव : आन्ध्र के विषय में माननीय मंत्री ने वचन दिया था कि 'हिरोन' विमानों के आते ही बेजवाड़ को विमान मार्गों में सम्मिलित कर लिया जायेगा ? माननीय मंत्री ने जो सूची पढ़ी है उसमें मुझे बैजवाड़ा दिखाई नहीं देता । इसे कब तक सम्मिलित किया जायेगा ?

श्री राज बहादुर : वह--जैसा कि मैं पहिले भी बता चुका हूं--यह बात अधिक यातायात और कुछ अन्य बातों पर निर्भर करती है । विशेषज्ञ इनका अध्ययन कर रहे हैं अतः यह उनके उस परामर्श पर निर्भर होगा जो वे इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के प्रधान को प्रस्तुत करेंगे ।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह सच है कि इन विमानों के भारतीय वायु सेना को दिये जाने के सम्बन्ध में पहले से बातचीत चल रही है ?

श्री राज बहादुर : मुझे ऐसी किसी बातचीत के बारे में पता नहीं है ।

रेल दुर्घटना

*२३७. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ मई, १९५५ की शाम को पूर्वोत्तर रेलवे के रेवती स्टेशन के निकट एक सवारी गाड़ी (पैसेंजर ट्रेन) पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो जन-धन की कितनी हानि हुई; और

(ग) पटरी से उतरने का कारण क्या था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) २७ मई, १९५५ को शाम के वक्त लगभग ५ बजकर ५४ मिनट पर इलाहाबाद तेज सवारी गाड़ी जिस समय पूर्वोत्तर रेलवे के औड़िहार-छपरा सेक्शन के रेवती

स्टेशन में दाखिल हो रही थी, उस समय गाड़ी का इंजन पटरी से उतर कर उलट गया । साथ ही इंजन से लगे हुए तीन डिब्बे भी फेसिंग प्वाइंट (Facing Point) पार करने के बाद उलट गए ।

(ख) (१) रेल की पटरी पार करता हुआ एक आदमी कट कर मर गया ।

(२) इससे रेलवे को लगभग ३,२०० रुपये की हानि हुई ।

(ग) इस दुर्घटना की जांच उस रेलवे के रीजनल अफसरों की एक कमेटी से करायी गयी । कमेटी को पता चला है कि बहुत तेज रफ्तार के कारण गाड़ी पटरी से उतर गयी ।

श्री एस० एन० दास : उस गाड़ी की निर्धारित रफ्तार क्या है और क्या इसका कारण अधिक गति है ?

श्री शाहनवाज़ खां : अब मेरे पास यह विस्तृत सूचना नहीं है । यदि माननीय सदस्य मुझे पूर्वसूचना दें, तो मैं उन्हें ठीक निर्धारित रफ्तार बता दूंगा । परन्तु मेरा विश्वास यह है कि गाड़ी उस रफ्तार से नहीं अधिक रफ्तार पर चल रही थी जिस पर उसे चलना चाहिए था ।

श्री एस० एन० दास : क्या जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और क्या उसमें अधिक गति तथा निर्धारित रफ्तार का भी उल्लेख किया गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : प्रतिवेदन केवल इस मास की २६ तारीख को अन्तिम रूप में तैयार हुआ है और हमें यहां जो सूचना प्राप्त हुई है, वह टेलीफोन पर मिली थी । यदि माननीय सदस्य कुछ और सूचना प्राप्त करना चाहें, तो हम इसे पूर्व सूचना मिलने पर देने को तैयार हैं ।

खोज-विषयक नल कूप

*२३८. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोज-विषयक नलकूपों के निर्माण सम्बन्धी प्राविधिक समिति इस उद्देश्य से यथोचित स्थान चुनने के लिए आन्ध्र राज्य का भ्रमण कर चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि भाग (क) उपरोक्त का उत्तर नकारात्मक हो, तो समिति कब उस राज्य का भ्रमण करेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) आशा है कि समिति १९५६ वर्ष के पूर्वार्द्ध में उस राज्य का भ्रमण करेगी ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : लगभग १,१/२ वर्ष पूर्व माननीय मंत्री ने इस सभा को बताया था कि अभाव वाले क्षेत्रों में शीघ्र नलकूप बनाये जायेंगे। मैं इतना अधिक बिलम्ब होने का कारण जानना चाहता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : समूचा कार्य-क्रम अखिल भारतीय आधार पर बनाया गया है, उस कार्य-क्रम के अनुसार हमारी समिति अनेकों राज्यों का भ्रमण कर रही है । कार्यान्वित मशीनों आदि के उपलब्ध होने पर निर्भर है ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या माननीय मंत्री ने समिति को आन्ध्र राज्य में रायल सीमा में अभाव वाले क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए निर्देश दे दिये हैं?

डा० पी० एस० देशमुख : पहिले भूतत्ववेत्ता जाकर यह निश्चय करते हैं कि खोज के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन कौन से हैं और वे अपनी सूचना व खोज के अनुसार, आन्ध्र के किसी भी भाग में जायेंगे ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या यह समिति को रायल सीमा का भ्रमण करने का निर्देश देंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे विश्वास है कि अगर वहां संभावनायें हैं तो, यह किया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि भूतत्ववेत्ता सहमत न हों तो यह आवश्यक नहीं है कि यह क्षेत्र रायलसीमा ही हो ?

सोने के डिब्बे

*२३९. **श्री हेडा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून १९५५ को तीसरे दरजे के यात्रियों के लिए सोने के कितने डिब्बे थे ।

(ख) क्या यह संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो आवश्यकता क्या है; और

(घ) क्या १९५५-५६ के वर्ष में उनके अधिक निर्माण का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ९ बड़ी लाइन के और ६ छोटी लाइन के ।

(ख) और (ग). उन गाड़ियों के लिए इनकी संख्या पर्याप्त है जिनमें ये चलती हैं । इन गाड़ियों के अतिरिक्त अन्य गाड़ियों में सोने के स्थान की व्यवस्था के प्रस्ताव हैं जिन पर विचार हो रहा है ।

(घ) जी नहीं । प्रागरूप डिब्बों का क्रय-आदेश दिया जा रहा है । इनके स्वीकृत होने पर निर्माण लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे ।

श्री हेडा : भाग (ख) के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि आवश्यकताओं का निर्धारण किस आधार पर किया गया है ? अर्थात क्या वे केवल बड़ी गाड़ियां तीव्र गति गाड़ियां होनी चाहियें। किस प्रकार की गाड़ियों को विचाराधीन रखा गया है ?

श्री अलगेशन : मैं विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के बारे में बता सकता हूं । वे जनता गाड़ियों में और कदाचित अन्य गाड़ियों में भी लगाये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है यह सिद्धान्तानुसार निश्चय किया जाता है ?

श्री अलगेशन : अधिक दूर जाने वाली गाड़ियां जिनमें यात्रियों को एक रात्रि से भी अधिक बिताना पड़े—यह साधारण सिद्धान्त है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या नार्थ ईस्ट्रन रेलवे में कोई स्लीपिंग कोचिज़ है ?

श्री अलगेशन : जी हां इन ट्रेन्ज़ में हैं :

३१३	अप	कटिहार से शाहपुर पटोरी ।
३१३	अप	गोरखपुर से लखनऊ जंकशन
३१४	डाउन	लखनऊ जंकशन से मुण्डेखां ।
३१४	डाउन	बरौनी जंकशन से कटिहार ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यह सब विवरण बताने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री डाभी : क्या सरकार ने तीन नीचे ऊपर सोने की सीटों के बीच, जो इन डिब्बों में हैं, अधिक जगह रखने के लिए कार्य वाही की है ताकि यात्री लोग उन पर सीधे बैठ सकें ।

श्री अलगेशन : विद्यमान डिब्बों में भी हमने कुछ समायोजन करने का प्रयत्न किया है । इसके अतिरिक्त, नये डिब्बों में जो बनाये जा रहे हैं; इसका ध्यान रखा जा रहा है ।

श्रीमती ए० काले : स्त्रियों के डिब्बों में सोने के स्थान की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ?

श्री अलगेशन : इस समय स्त्रियों को सोने के डिब्बों में जाना पड़ता है और वे वहां सोती हैं । हमारे पास स्त्रियों के सोने के अलग डिब्बे नहीं हैं ?

गांवों के डाक घर

***२४०. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या ग्रामों में निजी इमारतों में खोले गए डाक घरों के सम्बन्ध में कोई किराया दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका भुगतान एकसम आधार पर होता है ।

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अनुमान किया गया है कि सदस्य महोदय का निर्देश अतिरिक्त विभागीय, उप-डाक घरों या शाखा डाकघरों की ओर है । ऐसे मामलों में सरकार कोई किराया नहीं देती ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंडित डी० एन० तिवारी : उन स्थानों में जो पोस्ट आफिसेज काम करते हैं, उनके मकान का इन्तिजाम कौन करता है और वह इंतिज़ाम कैसे होता है ?

श्री राज बहादुर : डाकखाने स्थापित करते समय और डाकखानों के चलाने के लिए ई० डी० पोस्टमास्टर को नियुक्त करते समय यह देखा जाता है कि वह कहां रहता है । अगर उसके पास दुकान है तो वह डाकखाने का बक्स वगैरह उसमें रख लेता है और अगर वह स्कूल मास्टर होता है तो स्कूल में रख लेता है आदि आदि

पंडित डी० एन० तिवारी : उन गांवों में जहां पोस्ट आफिसों के खर्च से आमदनी ज्यादा होती है, क्या सरकार अपने मकान बनाकर या कोई अच्छे किराये के मकान लेकर पोस्ट आफिस कायम करने का विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : ऐसे डाकखानों को ई० डी० डाकखाने से डिपार्टमेंटल कर दिया जाता है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सच है कि इन जगहों के डाक घरों को न केवल मकानों का किराया नहीं मिलता बल्कि कागज, रोशनाई और स्टेशनरी वगैरह के लिए भी पैसा नहीं मिलता है । क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगी ?

श्री राज बहादुर : जो एलाउंस फिक्स किया जाता है उसमें इन सब की गुंजाइश होती है । इसके अलावा जो फार्म आदि चीजें हैं वे सब दी जाती हैं ।

आसाम की सड़कें

*२४२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के स्वायत्त शास्त्री जिलों के आदिमजाति लोगों की भलाई के निमित सड़कों के विकास पर व्यय करने के लिए १९५४-५५ में आसाम सरकार को ६२ लाख रुपये सहायक अनुदान के रूप में दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कौन २ सी और कितने मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी है, लोक सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या ६२**]

श्री रिशांग किशिंग : क्या अब तक की गई प्रगति से भारत सरकार संतुष्ट है ।

श्री अलगेशन : हां, श्रीमान् । हम सन्तुष्ट हैं, परन्तु हम जानना चाहते हैं कि क्या माननीय सदस्य सन्तुष्ट हैं ?

श्री रिशांग किशिंग : आसाम के स्वायत्तशास्त्री जिलों में सड़कों के निर्माण में आदिमजाति के लोगों ने कितनी सहायता दी है ।

श्री अलगेशन : इस समय मेरे पास कोई सचना नहीं है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या राज्य सरकार आंशिक रूप में व्यय के लिए व्यवस्था करेगी और यदि हां तो कितनी ?

श्री अलगेशन : नहीं, श्रीमान् । केन्द्रीय सरकार धन दे रही है ।

श्री कामत : क्या समूचे अनुदान का प्रयोग और व्यय का लेखा परीक्षण हो चुका है ?

श्री अलगेशन : अभी तक स्वीकृत प्राक्कलन १९३·८३ लाख रुपये का है तथा अभी तक किया गया व्यय १०३·७४ लाख रुपये है ।

रायगढ़ रेलवे बस्ती

*२४५. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री २० अप्रैल १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९३८, जो किया झोला परियोजना (उड़ीसा) से रायगढ़ रेलवे उपनगर को पानी देने के सम्बन्ध में था, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर के लिये भी अतिरिक्त जल उपलब्ध हो सकेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : जी नहीं ।

श्री संगण्णा : पिछले सत्र में माननीय मंत्री ने बताया था कि इस सम्बन्ध में प्रयोग किया जा रहा है तथा अतिरिक्त जल के संभरण का निश्चय किया जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि प्रयोग का क्या यही परिणाम हुआ ?

श्री शाहनवाज़ खां : निश्चित रूप से श्रीमान् ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अथवा जनता से, इस परियोजना से जल के संभरण सम्बन्धी कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस प्लांट के चलाने से, जो अनुभव प्राप्त हुआ उसके

परिणामस्वरूप, हमें ज्ञात हुआ कि इसका पानी बाहर निकालने की शक्ति बड़ी सीमित है तथा टैंक में भी सीमित पानी ही आ सकता है। इसके अतिरिक्त टीटलागढ़ से सम्बलपुर जाने वाली लाइन के भी निकट भविष्य में खुलने की आशा है; जबकि रायगढ़ का विकास प्रथम श्रेणी के लोको शेड में होगा तथा उस समय अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार यह प्लांट अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकेगा। इस कारण मुझे खेद है कि वहां से पानी नहीं दिया जा सकेगा।

श्री संगण्णा : वहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों से व्यक्तिगत चर्चा के परिणामस्वरूप मुझे सूचना मिली है कि रेलवे बस्ती की आवश्यकताओं के पश्चात वहां अतिरिक्त पानी होगा।

अध्यक्ष महोदय : उच्च अधिकारियों के परस्पर विरोधी विचारों को यहां बताना ठीक नहीं है। यदि कर्मचारियों से चर्चा के परिणामस्वरूप उनको कोई आपत्ति है तो वह इसकी सूचना मंत्री महोदय को दे सकते हैं।

पटसन सम्बन्धी औद्योगिक समिति

*२४८. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या श्रम मंत्री १६ नवम्बर १९५४ के पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग सम्बन्धी की त्रैपक्षीय समिति ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से; तथा

(ग) यदि नहीं, तो यह कबसे कार्य प्रारंभ कर देगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) समिति की बैठक बुलाने के प्रश्न पर जूट कपड़ा न्यायाधिकरण के पंचाट के प्राप्य होने पर विचार किया जायेगा।

श्री तुषार चटर्जी : इस विचार से कि सात वर्ष पूर्व यह निश्चय किया गया था कि समिति बनाई जायेगी, क्या मैं जान सकता हूं कि समिति के द्वारा कार्य आरम्भ किए जाने के सम्बन्ध में इतनी देरी क्यों की गई ?

श्री आबिद अली : पटसन उद्योग सम्बन्धी कुछ झगड़े पहले भी न्यायनिर्णायक के सम्मुख प्रस्तुत थे। इस समय न्याय-निर्णयण का काम चल रहा है तथा हमें आशा है कि पंचाट शीघ्र ही प्राप्य हो जायेगा। हमने बैठक को इसलिये आवश्यक नहीं समझा क्योंकि कोई विशेष कार्यावलि हमारे पास नहीं थी तथा न ही किसी पक्ष ने इसकी मांग की थी।

श्री तुषार चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन सात वर्षों में न्यायनिर्णयण तथा न्यायाधिकरणों के कारण से ही समिति कार्य नहीं कर सकी है ?

श्री आबिद अली : मैंने अभी बताया था कि हमारे पास कार्यावलि नहीं थी तथा किसी भी पक्ष ने बैठक की मांग नहीं की। त्रैपक्षीय समिति अवश्य थी परन्तु उसकी बैठक बुलाने के लिये कुछ कार्यावलि तो अवश्य होनी चाहिये थी।

श्री तुषार चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि कार्यावलि के निर्धारित करने का उत्तरदायित्व किसका है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हो सकता है ?

श्री तुषार चटर्जी : मैं जानना चाहता हूं इस समिति के कार्य प्रारंभ करने की व्यवस्था किस प्रकार की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि इस त्रैपक्षीय समिति के निर्देश-पद क्या हैं तथा इस विचार से कि जूट उद्योग के समक्ष मज़दूरों तथा उद्योग दोनों के सम्बन्ध में असंख्य समस्यायें नहीं हैं; क्या सरकार के पास इस समिति द्वारा किए जाने के लिए कोई समस्या नहीं थी ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने पूर्ण स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन्होंने स्पष्ट नहीं की है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य उत्तर समझ नहीं पाये तो मुझे खेद है ।

धान कूटने सम्बन्धी समिति

*२४९. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धान कूटने सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या फैसले किये गये हैं; और

(ग) उनके कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग) । समिति की सिफारिशें, भारत सरकार के विचाराधीन हैं तथा शीघ्र ही निश्चय किया जायेगा ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार समिति की सिफारिशों को सभा पटल पर रखेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, ये रखी जायेंगी ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि एसा करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैंने बताया कि हम यथासंभव शीघ्रता करेंगे ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों के विचारों को जाना गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार से यह राज्य सरकारों को भेजा जा चुका है ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या मैं समिति की इन सिफारिशों की मुख्य बातें जान सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : लगभग २० सिफारिशें हैं । यह बताना बड़ा कठिन है कि कौन सी मुख्य हैं तथा कौन सी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या अभी उन्हें यह प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है; यह बताया गया था कि प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है तथा वह विचाराधीन है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : हमारे पास प्रतिवेदन है परन्तु उस प्रश्न का उत्तर देने क लिये २० मिनट चाहियें।

विमान-उड्डयन का प्रशिक्षण

*२५०. **श्री राम दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन राज्यों में महिलाओं कों विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) इन राज्यों में महिला प्रशिक्षार्थियां कितनी हैं; और

(ग) महिला प्रशिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिये, सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा किस कार्यवाही के करने का विचार कर रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). मैं अपेक्षित सूचना सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३]**

श्री राम दास : इस स्टेटमेंट से मालूम होता है कि सारे देश में आठ फ्लाइंग क्लब हैं, जो कि तसल्लीबख्श नहीं कहा जा सकता। इनमें से कितने ऐसे हैं जो कि सिर्फ औरतों को ट्रेनिंग देने के लिए हैं ?

श्री राज बहादुर : अगर माननीय सदस्य का तात्पर्य स्कालरशिप्स से है तो गवर्नमेंट ने जो पचास स्कालरशिप्स रक्खे हैं उनमें से पांच महिलाओं को मिले हैं और शेष पुरुषों को मिले हैं।

श्री राम दास : क्या मैं जान सकता कि इसके वास्ते जो दूसरी पंच साला योजना आ रही है, उसके अन्दर गवर्नमेंट इस बात के लिए कोई विशेष व्यवस्था करेगी कि स्त्रियों को फ्लाइंग ट्रेनिंग में प्रोत्साहन देने के लिए और अधिक स्कालरशिप्स दिये जायें ?

श्री राज बहादुर : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, इसकी ट्रेनिंग पाने के लिए पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं रक्खा गया है, बल्कि हम तो चाहेंगे कि स्त्रियां उड़ना अधिक सीखें।

राष्ट्रीय दुग्ध गवेषणा संस्था, करनाल

*२५१. **डा० रामा राव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २३ फरवरी, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करनाल में राष्ट्रीय दुग्ध गवेषणा संस्था लगभग कब से कार्य प्रारंभ कर देगी,

(ख) क्या कार्य वस्तुत: प्रारम्भ हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो अभी तक क्या प्रगति हुई है; तथा

(घ) वर्तमान भारतीय दुग्ध गवेषणा संस्था के कौन से विभाग करनाल भेजे जायेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). दुग्ध गवेषणा के निदेशक के कार्यालय का १६-७-१९५५ को करनाल में स्थान परिवर्तन होने पर ही संस्था ने सरकारी तौर पर करनाल में कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

(ग) दुग्ध-संग्रह सम्बन्धी अध्ययन के लिये, एक गुण प्रकार नियंत्रण सम्बन्धी प्रयोगशाला तथा दूध के दूरवर्ती स्थानों

तक पहुंचाने के लिय परिवहन की व्यवस्था की जा चुकी है । कन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संस्था के लिये अपेक्षित भवनों की योजना तथा रूपरेखा बना रहा है ।

(घ) कोई नहीं । वर्तमान संस्था के सभी विभाग बंगलौर में कार्य करते रहेंगे तथा उन्हें इतना बढ़ाने का विचार दिया गया है, जिससे वह समस्त दक्षिणी प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति कर सके ।

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि इस संस्था में कितने प्रशिक्षार्थियों को भरती किया जायेगा तथा कितनों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार से इतना पहल यह बताना संभव नहीं है ।

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने अपने व्यय से ५४० एकड़ भूमि खरीद कर उसे संस्था को देने के लिये कहा था परन्तु सरकार ने फिर भी इस संस्था को करनाल भेजने का ही निश्चय किया ?

डा० पी० एस० देशमुख : उन्होंने यह फैसला बहुत देर में किया दूसरी बात यह कि जिस भूमि को उन्होंने देने का विचार किया था, उसकी हमें विस्तार कार्य के लिए आवश्यकता है ।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री० ए० पी० जैन) : इसके अतिरिक्त मैं यह बताना चाहता हूं कि जो भूमि मैसूर सरकार संस्था को देना चाहती थी वह संस्था से लगभग छः या सात फर्लांग दूर थी । एकदम अलग होने के कारण, मैसूर सरकार द्वारा दी गई भूमि का उपयोग असंभव था ।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या बंगलौर में एक अलग निदेशक रखा जायगा तथा बंगलौर में प्रशासनिक प्रवन्ध किस प्रकार का होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : वहां अब भी एक निदेशक है तथा संस्था के प्रारंभ होने पर उपयुक्त प्रशासनिक प्रबन्ध किया जायेगा ।

श्री वासप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि बंगलौर के दुग्ध गवेषणा संस्था के विभिन्न विभागों की वृद्धि करने पर ध्यान दिया जायेगा तथा क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ने अपने कुछ दिन पूर्व के दौरे पर उस भाग की जनता को आश्वासन दिया था कि दुग्ध गवेषणा संस्था के विकास पर पूर्ण ध्यान दिया जायेगा ।

श्री ए० पी० जैन : तो ने मूल प्रश्न के उत्तर में अभी बताया था ।

संचार का विकास

*२५२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सभी राज्यों की राजधानियों तथा अन्य नगरों में विमान यात्रा के लिये सुविधायें देने का विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या योजनायें बनाई गई हैं; और

(ग) इस प्रयोजना के लिये कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, सरकार का लक्ष्य यह है कि प्राय: सभी राज्यों की राजधानियों को वायुमार्ग द्वारा संबन्धित कर दिया

जाय, और छोटे-छोट नगरों को भी चालन-व्यय का उचित ध्यान रखते हुये सहायक सेवायें चालू की जांय । भारत के २७ राज्यों में से २० राज्यों की राजधानियों में विमानक्षेत्र हैं । इनमें से १८ विमान सेवाओं द्वारा संयुक्त हैं जिसका विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६४]**

जहां तक देश के मुख्य केन्द्रों का सम्बन्ध है भारतीय वायुपथ निगम का वर्तमान कार्यजाल वायु यातायात की मांग मोटे तौर पर पूरी कर रहा है । सहायक मार्गों पर चालनों के लिये तथा उन मार्गों के लिये जो डकोटा के लिए मंहगे पड़ते हैं, ८ हेरन वायुयान अभी हाल ही में खरीदे गये हैं ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई विशेष योजना तो नहीं बनाई गई है । फिर भी सिविल विमानी विभाग और भारतीय वायुपथ निगम कार्यजाल को दूसरे केन्द्रों तक बढ़ाने की संभावना पर बराबर विचार कर रहे हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह काम कितने सालों में पूरा हो जायेगा ? तमाम नगरों में यह वायुयान के जो अड्डे बताये जाने हैं, उनके सम्बन्ध में काम कितने सालों में पूरा हो जायेगा और कितनी रक़म प्रतिवर्ष इस पर खर्च होगी ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यदि सदस्य महोदय ने सूची देखी होगी, तो उसस मालूम होगा कि जहां तक पार्ट ए० स्टेट्स का सम्बन्ध है, उनमें करनाल, चंडीगढ़ और शिलांग में ऐयर सर्विस नहीं है । शिलांग में न होते हुए भी गोहाटी में है, चंडीगढ़ का ऐयरोड्रोम प्रायः बन चुका है और शायद अगले जाड़े से वहां पर ऐयर सर्विस चालू हो जायेगी । कुरनूल का एयरोड्रोम को बनाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है । पार्ट बी० स्टेट्स में अधिकतर स्थानों पर वायु सेवाएं हैं । मैसूर में नहीं है, लेकिन बंगलौर में है और मैसूर की राजधानी बंगलौर और मैसूर दोनों हैं । पार्ट सी० स्टेट्स में ऐसे स्थान हैं जहां पर कि इस तरह के हवाई जहाज़ को ले जाना सम्भव नहीं होगा ।

श्री गाडगील : पार्ट सी स्टेट्स तो अब खत्म हो रही हैं ।

श्री जगजीवन राम : जो स्टेट्स रिआरगेनाइज़ेशन कमिशन है, उसकी क्या रिपोर्ट होगी और उनका क्या हश्र होगा, यह अभी कहना सम्भव नहीं है । २७ राज्यों में से २० राज्यों की राजधानियों म विमानक्षेत्र हैं और जिनमें से १८ विमान सेवाओं द्वारा संयुक्त हैं और जहां बाक़ी है, वहां भी बहुत जल्दी इनको शुरू किया जायेगा, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा योजना की ज़रूरत नहीं है और न पंचवर्षीय योजना में उसको डालने की आवश्यकता है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार के पास कोई विशेष वायु सेवा के विस्तार की योजना है जिसके द्वारा मुख्य मुख्य शहरों तथा विभिन्न छोटे छोटे शहरों को वायु सेवा के द्वारा आपस में जोड़ा जा सके ?

श्री जगजीवन राम : ऐसी कोई विस्तार योजना तो नहीं है और विस्तार योजना पहले से बनाने की आवश्यकता

भी नहीं होती है। मुख्य मुख्य शहरों से या छोटे छोटे शहरों से जब कभी देखते हैं कि वहां पर इसकी मांग है और मांग में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि वहां से सचमुच ट्रैफ़िक या फ्रेट मिलेगा तो वहां पर इस तरह की सेवा चलाने का प्रयत्न किया जाता है।

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री ने कहा कि राजधानियों के अतिरिक्त भी जो दूसरे बड़े बड़े शहर हैं, उनमें भी हवाई यातायात आरम्भ करने का विचार है, तो क्या माननीय मंत्री यह बात जानते हैं कि कुछ बड़े शहर ऐसे हैं कि जहां पर पहले हवाई यातायात था और अब यह बन्द कर दिया गया है, तो क्या उन स्थानों पर हवाई सर्विस फिर दुबारा जारी करने का विचार है ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, मुझे मालूम है कि कुछ ऐसे शहर हैं कि जहां पर पहले हवाई जहाज जाता था और अब नहीं जा रहा और यह भी मालूम है कि शायद वहां के लोगों ने कुछ हिम्मत नहीं दिखलाई और उन स्थानों से काफी यात्री और फ्रेट नहीं मिले जिसके कारण उन सेवाओं को बन्द कर देना पड़ा। अगर एसा मालूम हो कि वहां से यात्री और फ्रेट काफी मिलेंगे तो ऐयर कार्पोरेशन तो एक व्यवसायिक संस्था है, जब उसे लाभ की आशा होगी तो वह उस सर्विस को फिर जारी कर देगी।

के० इ० एम० अस्पताल, बम्बई

*२५३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) के० इ० एम० अस्पताल बम्बई में अंगहीन व्यक्तियों के लिए पुनर्वास तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के कार्य में क्या प्रगति की गई है; तथा

(ख) क्या किसी और राज्य ने भी केन्द्र से इसी प्रकार के केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता की प्रार्थना की है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये, परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(ख) जी नहीं।

श्री एस० एन० दास : इस योजना पर आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय को मिला कर जो राशि बनती है, उसके कितने अनुपात को केन्द्रीय सरकार करेगी तथा कितने अनुपात को दूसरे सम्बन्धित पक्ष करेंगे ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : कुल व्यय के तीसरे भाग को केन्द्रीय सरकार करेगी; शेष व्यय के एक तिहाई भाग को बम्बई सरकार तथा एक तिहाई को बम्बई निगम द्वारा किया जायगा।

श्री एस० एन० दास : उस केन्द्र में कितने व्यक्तियों को लिया जायेगा तथा क्या दूसरे राज्य के अंगहीन व्यक्ति भी वहां प्रशिक्षण के लिए लिये जायेंगे ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : आरम्भ में केवल ५० रोगी ही लिए जायेंगे। मेरे विचार से सारे भारत से इन रोगियों को लिया जायेगा।

डाक व तार विभाग की बिना दावे की वस्तुएं

*२५४. **श्री गिडवानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग की १६८५ रुपये के मूल्य की वस्तुएं एक रेलवे स्टेशन पर पड़ी पाई गई हैं जिनके सम्बन्ध में कोई स्वत्व दावा नहीं किया गया है;

(ख) क्या रेलवे स्टेशन से २६५० रुपये के विलम्ब-शुल्क की अदायगी के बाद इन वस्तुओं को हस्तगत किया गया है;

(ग) यदि हां तो रेल विभाग के पास कितने समय तक यह वस्तुएं बिना दावे के पड़ी रहीं; और

(घ) क्या इन वस्तुओं के उठाने में विलम्ब के उत्तरदायित्व को किसी पर डाला गया है ।

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). एक विवरण जिसमें आपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६६]**

श्री गिडवानी : १६८५ रुपये के मूल्य की वस्तुओं पर २,६५० का विलम्ब शुल्क कितने समय के लिए दिया गया है ?

श्री राज बहादुर: इसका ज़िक्र विवरण में किया गया है ।

श्री गिडवानी : यह विवरण में नहीं दिया गया है ।

श्री राज बहादुर : यह समय विवरण में अंकित है ।

श्री गिडवानी : बक्स पर किसी चिन्ह के न होने की अवस्था में अम्बाला के पोस्टमास्टर जनरल को सूचना अब क्यों दी गई है तथा इससे पहले क्यों नहीं दी गई ? सूचना देने के बाद भी कितना समय लगा है ?

श्री राज बहादुर : वस्तुएं आपेक्षित स्थान पर इसलिए नहीं पहुंच सकीं कि मार्ग में कहीं पर किसी कारण से लेबल उतर गया था । अतएव रेल अधिकारियों तथा डाक व तार विभाग के अधिकारियों को उस स्थान का निश्चित करना कठिन हो गया जहां इन वस्तुओं को पहुंचाया जाता था । यही तथ्य है तथा ऐसा किसी समय भी हो सकता है ।

श्री गिडवानी : २ वर्ष तथा ३ मास के बाद भी किसी पर उत्तरदायित्व क्यों नहीं डाला गया है तथा इसे कब निश्चित किया जायेगा ?

श्री राज बहादुर : मामले में जांच हो रही है । उत्तरदायित्व को निश्चित किया जायेगा । हो सकता है कि इस विशेष मामले में लेबल रेल विभाग के कर्मियों की उपेक्षा से उतर गया हो तथा यदि ऐसा सिद्ध हो गया तो ज़िम्मेवारी रेलवे की होगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिना टिकट यात्रा

*२२२. **डा० सत्यवादी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए चलती हुई रेलगाड़ियों में टिकट चेकिंग के तरीके में हाल ही में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ख) यदि हां तो यह नई प्रणाली किन-किन सेक्शनों पर अपनाई जा रही है ?

रेलवे परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) शायद इस सवाल का मतलब उन टिकट परीक्षकों से है जो कुछ गाड़ियों में टिकटों की जांच के लिए हर दो डिब्बों पर एक के हिसाब से रखे गए हैं ।

कुछ लम्बी यात्रा की गाड़ियों में टिकटों की कड़ी जांच का यह ढंग प्रयोग के रूप में शुरू किया गया है ।

(ख) जिन सेक्शनों पर हर दो डिब्बों के लिए एक टिकट परीक्षक रख कर टिकटों की जांच करायी गयी है और जहां जांच का यह ढंग अब भी जारी है उनके नाम ये हैं :—

मद्रास-मंगलौर, दिल्ली-बेज़वाड़ा, दिल्ली-अम्बाला, कटिहार-कानपुर, अनवर-गंज-हावड़ा, दिल्ली, दिल्ली-बड़ोदा-बम्बई ।

बम्बई पत्तन से माल का यातायात

*२२८. **श्री इब्राहीम** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पत्तन से १९५४-५५ में कितने टन माल बाहर भेजा गया और बाहर से आया ;

(ख) १९५४-५५ में कौन-कौन से मुख्य माल इस पत्तन से बाहर गये और यहां पर आये ; और

(ग) उक्त वर्ष में इस पत्तन की शुद्ध आय कितनी थी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६७**]

भारतीय खान अधिनियम

*२४१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री २० अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस के बाद भारतीय खान, अधिनियम १९५२ के अधीन विनियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब लागू किया जायेगा ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). विनियमों की सम्पूर्ण संहिता को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में अभी तक विचार किया जा रहा है । परन्तु सरकार यह सोच रही है कि कोयला खानों के मजदूरों के लिए प्रस्तुत संहिता के अतिरिक्त आपातिक विनियमों का प्रख्यापन किया जाय । आशा है कि ये विनियम जल्दी ही प्रख्यापित कर दिए जायेंगे ।

फसल प्रतियोगिता योजना

*२४३. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फसल प्रतियोगिता योजना के अधीन "सामुदायिक पारितोषिक" देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य के लिये इस सम्बन्ध में कुल कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) जी हाँ।

(ख) किसी राज्य के लिए अभी तक कोई राशि मंजूर नहीं की गई परन्तु चालू वर्ष में "सामुदायिक पारितोषिक" देने के लिए १,३९,६०० रूपये की व्यवस्था की गयी है ।

नौवहन निगम

*२४४. **श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी** : क्या **परिवहन** मंत्री १५ दिसम्बर १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न

संख्या १२२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एक और नौवहन निगम स्थापित करने की प्रस्थापना के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

यात्रियों के लिए सुविधाएं

*२४६. **श्रीमती इला पालचौधरी:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों पर दूसरी श्रेणी के यात्रियों को अपने नौकरों के लिए टिकट खरीदने और इन नौकरों द्वारा नौकरों के लिए सुरक्षित डिब्बों में बैठने के सम्बन्ध में वैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं जैसी कि पहली श्रेणी के यात्रियों को दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तुत दूसरी श्रेणी पुरानी मध्यम (इन्टर) श्रेणी के बराबर है जिस के यात्रियों को यह सुविधा नहीं दी जाती थी ।

किराया तथा भाड़ा संरचना समिति

*२४७. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के किराये तथा भाड़े की संरचना की जांच करने के लिए कोई समिति बनाई गयी है ;

(ख) इस समिति के निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि समिति सरकार के इस निर्देश से जकड़ी हुई है कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये जिससे रेलों की आय कम हो ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) माल गाड़ियों द्वारा माल ले जाने के भाड़े की वर्तमान संरचना का पुनर्विलोकन करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६८**]

(ग) जी नहीं । परन्तु समिति की इस बात को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया है कि रेलों की वित्तीय स्थिति को स्थिर बनाये रखने की आवश्यकता है ।

गव्यशाला सम्बन्धी प्रशिक्षण

*२५५. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गव्यशाला कर्मचारियों और क्षेत्र कार्यकर्त्ताओं को गव्यशाला सम्बन्धी कार्य के आधुनिक ढंगों का प्रशिक्षण देने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के कब लागू किये जाने की आशा है ; और

(ग) इस योजना के अधीन कितने गव्यशाला कर्मचारियों और क्षेत्र कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिया जायगा ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) दूसरी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये एक योजना बनाई जा रही है ।

(ख) १९५६ के प्रारम्भ में ।

(ग) लगभग २,००० ।

गुड़

*२५६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बाजार में गुड़ का भाव स्थिर करने के लिये यह निश्चय किया है कि वह स्वयं गुड़ खरीद कर रख ले ; और

(ख) यदि हां, तो किस मूल्य पर गुड़ खरीदा जायगा और उसे गोदामों में रखने और बेचने आदि के सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विधि-कार्य

*२५७. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **रेलवे** मंत्री ४ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस विशेष कार्याधिकारी की सिफारिशों पर कोई निर्णय किया गया है जिसे भारतीय रेल विभागों में विधि-कार्य के सम्बन्ध में जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सरकार ने उस के बाद उस विशेष कार्याधिकारी की सिफारिशों पर निर्णय कर लिये हैं, जिसे भारतीय रेल विभागों में विधि-कार्य के सम्बन्ध में जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था । विभिन्न रेलों के रेल प्रशासनों को आवश्यक हिदायतें दे दी गयी हैं ।

भारत-पाकिस्तान रेल यातायात

*२५८. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री बी० के० दास :
श्री आर० के० चौधरी :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वी पाकिस्तान से हो कर भारत और आसाम के बीच मालगाड़ियों के चलाने की योजना सफल सिद्ध हुई है ।

रेलवे तथा परिहवन उपमंत्री (श्री अलगेशन) जी हां ।

पालम हवाई अड्डा

*२५९. **श्री राधा रमण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार को ज्ञात है कि पालम के भारतीय वायु सेना के हवाई अड्डे पर उपयुक्त प्रतीक्षालयों की सुविधा नहीं है;

यदि हां, तो सरकार ने वहां प्रतीक्षालयों की व्यवस्था करने के लिये कोई योजना बनाई है;

(ग) इसके क्रियान्वित होने में कितना समय लगेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग)। पालम हवाई अड्डे पर एक असैनिक टरमिनल बिल्डिंग पहले से ही मौजूद है जहां हवाई यात्रियों के लिये पर्याप्त सुविधाएं हैं। हां, प्रमुख प्रतिष्ठित महानुभावों के आगमन तथा प्रस्थान के सम्बन्ध में स्वागत तथा विदाई करने की व्यवस्था तथा भारतीय वायू सेना के टैक्नीकल एरिया में है जहां कि अब कूटनीतिक दल के सदस्यों, मंत्रियों, अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों तथा आम जनता के प्रयोग के लिये एक नये ढंग का स्थायी पैविलियन बनाने का विचार है। इस अवस्था पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह विचार कार्य रुप में कब तक परिणत होगा।

सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय

*२६०. **श्री हेडा:**
श्री पा० रामस्वामी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य के कितने जिला मुख्यालय स्थानों में अभी तक सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय नहीं खुले हैं; और

(ख) वहां सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय न खुलने के क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कोई भी स्थान ऐसा नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशों से संविदाएं

***२६१. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री ७ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०६० के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विदेशों के साथ हुए करारों में इंजन, डिब्बों आदि के लिये दिये गये आर्डरों का निश्चित तिथि तक पालन न किये जाने के संबंध में कोई दांडित खंड है; और

(ख) यदि हां, तो क्या करार के अन्तर्गत किसी सार्थ को दंड दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) दंड जैसी किसी चीज के सम्बन्ध में तो कोई खंड नहीं है; हां, ऐसे सब करारों में यह उपबन्ध है कि यदि संविदाकार निश्चित अवधि के भीतर माल न भेजे तो उससे निर्धारित हानिपूर्ति वसूल की जाये।

(ख) करार के अन्तर्गत निर्धारित हानिपूर्ति वसूल की गई है।

बेकारी बीमा

*२६२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव:**
डा० सत्यवादी :

क्या **श्रम** मंत्री ३ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५१८ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बेकारी बीमा के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त विशेष कार्यदल ने अब अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६९]**

हवाई अड्डे

*२६३. { **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:**
श्री डी० सी० शर्मा :

क्या **संचार** मंत्री २८ फरवरी, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़, कांडला और उदयपुर में हवाई अड्डों के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) प्रत्येक पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख)। मैं सभा-पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७०]**

इम्फाल-तेंमिगलोंग सड़क

*२६४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन** मंत्री १६ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इम्फाल-तेंमिगलोंग सड़क के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७१]**

केंद्रीय यंत्रीकृत फार्म, जम्मू

*२६५. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू स्थित केंद्रीय यंत्रीकृत फार्म में जून १९५५ तक कुल कितने एकड़ भूमि पर खेती की गई; और

(ख) भूमि के कृषि योग्य बनाए जाने पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ७,७८५ एकड़।

(ख) क्योंकि फार्म की एक ही प्रकार की मशीनों तथा कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले भिन्न-भिन्न कार्यों पर होने वाले व्यय का हिसाब अलग अलग नहीं रखा जा सकता, यह नहीं बताया जा सकता कि केवल भूमि के कृषि योग्य बनाये जाने पर कितना व्यय हुआ। हां, ३१ मार्च, १९५५ तक फार्म पर कुल व्यय २४.२६ लाख रुपये हुआ जिसमें से १३.६९ लाख रुपये आवर्त्तक हैं तथा १०.५७ लाख रुपये अनावर्त्तक।

विमान सेवाएं

*२६६. **डा० रामा राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने गैर-सरकारी सार्थ भारत में अब भी विमान-सेवाएं संचालित कर रहे हैं;

(ख) क्या उन में विदेशियों के भी अंश हैं; और

यदि हां, तो उनके नाम तथा राष्ट्रीयता क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) उड्डयन क्लबों के अतिरिक्त जो मुख्यतः प्रशिक्षण संस्थाएं हैं किन्तु अनुसूचित सेवाएं संचालित करने के लिये अनुज्ञप्त हैं, दस गैर-सरकारी समवाय ऐसे हैं जिन्हें अनुसूचित सेवाएं संचालित करने के लिये अनुज्ञप्ति मिली हुई है। कोई गैर-सरकारी समवाय अनुसूचित सेवाएं नहीं संचालित करता।

(ख) तथा (ग)। जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

चीनी तथा गुड़

*२६७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५४-५५ में चीनी और गुड़ की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : १९५४-५५ उत्पादन काल (नवम्बर-अक्तूबर) में चीनी, गुड़ और खंडसारी की अनुमानित प्रति व्यक्ति खपत २७ ५८ पौंड थी ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

*२६८. **श्री झूलन सिंह :**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री गिडवानी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना से आरम्भ से लेकर अब तक हुई कुल आय तथा उस पर किया गया व्यय बताने की कृपा करेंगी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): उपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तटीय नौवहन

*२६९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि किसी राज्य विशेष की प्रादेशिक सीमाओं के बाहर उपभोग किये जाने वाले कोयला आदि के संग्रहों और भण्डारों पर सीमा शुल्क और विक्रय कर लगा देने से तटीय नौवहन में कोई बाधा पड़ती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : समय-समय पर सरकार से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन किये गये हैं कि कोयला आदि के संग्रहों और भंडारों पर सीमा शुल्क और विक्रय कर लगाने से तटीय नौवहन में बाधा पड़ती है इस लिये इन्हें समाप्त कर देना चाहिये । नौवहन समवायों से परामर्श हो रहा है और यह प्रश्न विचाराधीन है ।

दिल्ली उपनगरीय रेलगाड़ी सेवा

*२७०. **श्री राधा रमण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सिलामपुर ग्राम के निकट एक रेलवे स्टेशन खोलने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ; और

(ग) कार्य कब तक आरम्भ होने वाला है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग)। प्रश्न उत्पन्न नहीं होने ।

गोदी कर्मचारी जांच समिति

*२७१. **श्री हेडा :**
श्री पी० रामस्वामी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या श्री एस० एस० वशिष्ठ के सभापतित्व में स्थापित की गई गोदी

कर्मचारी जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्रम सम्बन्ध समिति

*२७२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **संचार** मंत्री २८ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २६७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ४१ में निर्दिष्ट श्रम सम्बन्ध समिति की तब से स्थापना हो चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उसकी स्थापना कब तक होने वाली है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). विमान निगम, नियम, १९५४ के अनुसार प्रत्येक निगम अपने कर्मचारियों को श्रम सम्बन्ध समिति में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिये छः एककों में बांट देगा । इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन अनेक विमान समवायों से लिये गये कर्मचारी वर्ग के एकत्रीकरण सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने और उनकी सेवा की शर्तें निश्चय करने में और एयर इण्डिया इन्टरनेशनल अपने हवाई बेड़ों तथा कार्यों में विस्तार हो जाने के कारण अपने विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने में व्यस्त है जिससे कार्य पूरा हो सके । दोनों निगमों द्वारा समुचित रूप से बनी श्रम सम्बन्ध समिति के लिये प्रतिनिधियों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निर्वाचन क्षेत्र बताने के लिये अपने-अपने कर्मचारियों के वर्गीकरण किये जाने में अभी कुछ समय और लगेगा ।

प्रिंसेज और विक्टोरिया गोदियां, बम्बई

*२७३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **परिवहन** मंत्री बम्बई के प्रिंसेज और विक्टोरिया गोदियों के आधुनिकीकरण की योजना की विशेषतायें बताने की कृपा करेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इस समय ये गोदियां ज्वार के समय ही प्रयोग में आने वाली हैं और केवल सीमित वहति पोत ही इसका उपयोग कर सकते हैं । आधुनिकीकरण का उद्देश्य यह है कि प्रिंसेज और विक्टोरिया गोदियां में गहन वहति पोतों को ठहराया जा सके और वहां किसी भी समय पोते आ जा सकें । योजना में, गोदियों में प्रदेश जलावरोध का निर्माण करते, दोनों गोदियों के बीच आने-जाने के मार्ग को चौड़ा करने और कुछ अतरणी लांगल स्थानों को लम्बा करने की व्यवस्था की गई है ।

टिड्डियां

९२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो मास में टिड्डियों ने किन-किन क्षेत्रों पर आक्रमण किया ; और

(ख) उससे कितनी हानि हुई ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) मई और जून १९५५ में टिड्डियों के झुंडों ने राजस्थान, सौराष्ट्र, बम्बई, विन्ध्य प्रदेश, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में आक्रमण किया।

(ख) नहीं के बराबर।

दाइयां

९३. डा० सत्यवादी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि। विश्व स्वास्थ्य संघ-प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य परिचर्या परियोजनाओं के अन्तर्गत कितनी दाइयों को प्रशिक्षित किया गया है अथवा प्रशिक्षित किया जा रहा है ;

(ख) ८४,००० डालरों की संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात् निधि में से सहायता के लिये इन में से प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ग) प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को कितना वजीफा दिया जाता है; और

(घ) १९५५–५६ का कार्य क्रम क्या है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) पंजाब, पेप्सू अथवा हिमाचल प्रदेश के राज्यों में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात् निधि। विश्व स्वास्थ्य संघ द्वारा सहायता दी गई कोई भी प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना चालू नहीं है।

(ख) से (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भूमि कृष्यकरण

९४. श्री राम शंकर लाल :
श्री बर्मन :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) भूमि कृष्यकरण योजना के अधीन अब तक राज्यवार कितनी बंजर भूमि का कृष्यकरण किया गया है; और

(ख) इस समय कृष्यकरण कार्य में कितने ट्रैक्टर लगे हुए हैं और देश के किन-किन भागों में ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). नवीनतम उपलब्ध सूचना देने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे हैं। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७२**]

भाखड़ा नंगल परियोजना

९५. श्री बर्मन : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में भाखड़ा नंगल परियोजना से कितनी एकड़ भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधायें प्राप्त हुई ;

(ख) इसमें से कितना क्षेत्रफल ऐसा है जिस पर मध्यम रेशे वाली कपास की कृषि आरम्भ हो गई है; और

(ग) अतिरिक्त कपास की पैदावार, यदि कुछ हुई हो तो ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) लगभग ९०९ हजार एकड़।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नाविक संघ, ट्यूटीकोरीन

९६. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन महानिदेशालय, बम्बई, के विशेष कार्याधिकारी (प्रस्थानकारी जलयान) हाल ही में ट्यूटीकोरीन पत्तन गये थे ;

(ख) क्या ट्यूटीकोरीन के नाविक संघ के प्रतिनिधियों ने उनके सामने कुछ तकलीफें रखी थीं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) और (ग)। देशी नाव मालिक संस्था और ट्यूटोकोरीन के नाविक सङ्घ ने कोलम्बो बन्दरगाह में केवल कुछ ही रास्तों से होकर जाने और आने की आज्ञा के कारण प्रस्थानकारी जलयानों के नाविकों द्वारा अनुभव की गई कुछ कठिनाइयों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया था । कोलम्बो पत्तन के प्राधिकारियों से पूछताछ करने से पता लगा कि १९५० के कोलम्बो पत्तन विनियमों के अधीन लगाये गये थे प्रतिबन्ध किसी श्रेणी विशेष के कर्मचारियों के साथ भेद-भाव न रखकर जहाज के उन सभी कर्मचारियों और यात्रियों पर लागू थे जो कोलम्बों पत्तन पर आते थे।

बी० सी० जी० आन्दोलन

९७. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १९५४–५५ में बी० सी० जी आन्दोलन पर, राज्यवार, कितना व्यय किया गया ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा १९५४–५५ में बी० सी० जी० आन्दोलन पर किया गया व्यय बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७३**]

आयुर्वैदिक प्रणाली के वैद्य

९८. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि भारत में अब तक पंजीकृत आयुर्वैदिक प्रणाली के वैद्यों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) ८९,११८ ।

क्षयरोग के मरीज़

९९. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलवे कर्मचारियों की संख्या वर्ग-वार, क्या है जिन्हें १९५३-५४ और १९५४-५५ में क्षयरोग हुआ ; और

(ख) उनमें से कितनों को क्षयरोग के अस्पतालों में भरती किया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ७४**]

उत्तर रेलवे में भरती

१००. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में १९५४ में किन श्रेणियों के पदों की भरती के लिए आवेदन-पत्र मांगे गये ;

(ख) कितने आवेदन-पत्र आये और कितने आवेदकों को भेंट के लिए बुलाया गया ;

(ग) उनमें से अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी ;

(घ) कितने व्यक्तियों को चुन गया; और

(ङ) उनमें से अनुसूचित जाति के कितने थे ;

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ङ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट, १ अनुबन्ध संख्या ७५**]

चावल की खेती का जापानी ढंग

१०१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में पंजाब में जापानी ढंग से चावल की खेती कितने एकड़ भूमि में की गयी ;

(ख) नये ढंग से खेती करने से उत्पादन में किस औसत दर से वृद्धि हुई; और

(ग) चालू वर्ष में कितनी भूमि को इस ढंग की खेती के आधीन लाने का विचार है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ९८,१४७ एकड़ ।

(ख) लगभग ५० प्रतिशत ।

(ग) १,२४,३०० एकड़ ।

गन्ना सम्बन्धी गवेषणा

१०२. **श्री बाल्मीकी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गन्ने की किसी ऐसी सुधरी किस्म का पता चला है जो पाइरिल्ला से प्रभावित नहीं होती ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : अभी तक गन्ने की किसी भी ऐसी किस्म का विकास नहीं हुआ है जो कि पाइरिल्ला से प्रभावित न हो । तो भी कुछ किस्में ऐसी विकसित की गई हैं, जिन पर पाइरिल्ला के हमले का असर कम होता है ।

कुशेश्वर शाखा डाक-घर

१०३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा ज़िले के समस्तीपुर सब-डिवीज़न के कुशेश्वर शाखा डाकघर को उप डाकघर (सब पोस्ट आफिस) में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) इस विषय में अभी जांच हो रही है ।

(ग) जी हां ।

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली

१०४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली में वैक्सीन की जो शीशियां तैयार हुई थीं उन में से कितनी शीशियां गत वर्ष बेकार हो गईं ; और

(ख) उसका क्या कारण था ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) कोई भी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

वैक्सीन

१०५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगी जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों ;

(क) केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली द्वारा १९५४-५५ में कितनी वैक्सीन तैयार की गई थी ;

(ख) विभिन्न राज्यों को कितनी वैक्सीन भेजी गई और उन राज्यों के नाम क्या है जिन्हें उपरोक्त समय में वैक्सीन भेजी गई थी ; और

(ग) उनकी कितनी मांग है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था, कसौली द्वारा १९५४ में तैयार की गई वैक्सीन की मात्रा इस प्रकार है :—

वैक्सीन का नाम	तैयार की गई मात्रा
कालरा वैक्सीन	१४,७४,४२९ सी–सी
टी० ए० वी० वैक्सीन	९,३१,३१६ सी–सी
ऐन्टीरैबिक वैक्सीन (मानवी)	४८,२३,०१५ सी–सी
ऐन्टीरैबिक वैक्सीन (पशु)	५७,२९५ सी–सी
ऐन्टीरैबिक वैक्सीन २० प्रतिशत (कुत्ते)	३,१७५ सी–सी
क्यूरेटिव वैक्सीन	४,१९७ खुराकें

(ख) राज्यों के नाम और उनको भेजी गयी वैक्सीन की मात्रा निम्न प्रकार है :—

राज्य का नाम	वैक्सीन का नाम					
	कालरा वैक्सीन सी–सी	टी० ए० वी० वैक्सीन सी–सी	क्यूरेटिव वैक्सीन खुराकें	ऐन्टीरेबिक वैक्सीन (मानवी) सी–सी	ऐन्टीरैबिक वैक्सीन (पशु) सी–सी	ऐन्टीरैबिक वैक्सीन (कुत्ते) सी–सी
१	२	३	४	५	६	७
पंजाब	४,७१,८९७	८८,६१०	६१५	९,९४,०४१	७,२५९	४३०
पेप्सू	८२,१७०	३०,५२१ १/२	८०५	२,३२,७५४	९२०	१०
हिमाचल प्रदेश	११,७५६	६,८०९	१२	२२,३६७	—	—
दिल्ली	५,४१,८५४ १/२	१५,९०० १/२	४०	१,८२,२२५	१२,९७९	५१०
उत्तरप्रदेश	१७,८३२	९६,८५५	७८	२०,१२,००९	२८,५८२	१,७२५
पश्चिम-बंगाल	१,६६५	१,०४३ १/२	१८	—	१,०२०	७०
असाम	३९,२५०	३,५००	—	—	—	—
बिहार	२,४२५	८६६ १/२	६८	४२०	५२५	२०
राजस्थान	१,१७,४७५	१२,१२०	—	३,६१,४१५	५,२५०	२५

१	२	३	४	५	६	७
काश्मीर	३,०००	६,३४५	५२	९८,४८०	१,१९०	२५
मध्यप्रदेश	—	१,२००	४	४,४३८	३८५	२१०
मध्यभारत	७,००५	१२६	—	२,९१,५२१	१,८७५	१५०
सौराष्ट्र	—	—	८	६८,७५८	—	—
अजमेर	१,११२	१२१	—	३१,४७०	१०५	—
विन्ध्यप्रदेश	१,४०,०००	—	—	—	—	—
उड़ीसा	—	२००	—	—	—	—
पाण्डीचेरी	—	२,०००	—	—	—	—
बम्बई	—	१०	—	—	१४०	—
मद्रास	—	—	८	—	७०	—
कच्छ	—	—	—	११,४००	—	—
हैदराबाद दक्कन	—	—	—	—	१७५	—

(ग) राज्यों की मांगें पूर्णरूप से पूरी की गई ।

बिहार में डाक तथा तार कार्यालय

१०६. श्री इब्राहीम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९५५ को बिहार में संयुक्त डाक तथा तारघरों की संख्या क्या थी ;

(ख) ३० जून, १९५५ को रांची में डाकघरों की संख्या (ग्राम और शहर के क्षेत्रों में अलग अलग) क्या थी ; और

(ग) ३० जून, १९५५ को बिहार में कितने टेलीफोन एक्सचेंज थे और कितने स्थानों पर टेलीफोन लगे थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३६९

(ख) (१) रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में .. १४०

(२) रांची जिले के नगर क्षेत्रों में .. १५

(ग) (१) टेलीफोन एक्सचेंज ४१

(२) टेलीफोन सम्पर्क ६,७६६

खाद्यान्नों की कृषि

१०७. श्री इब्राहीम : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय बिहार में कुल कितने एकड़ भूमि में खाद्यान्नों की कृषि होती है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : १९५३-५४ वर्ष में बिहार में कुल २३,२६२,२०० एकड़ भूमि में खाद्यान्नों की कृषि होती थी । इसी वर्ष तक के विभिन्न खाद्यान्न फसलों के अन्तिम प्राक्कलन उपलब्ध हैं ।

अस्पताल

१०८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) ऐसे कितने अस्पताल हैं जिनका प्रबन्ध अथवा आंशिक प्रबन्ध भारत स्थित ईसाई मिशनरियों द्वारा किया जाता है अथवा जिन्हें उनसे सहायता मिलती है ; और

(ख) उनके सहायता निमित्त कितना धन विदेशों से भारत में आता है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) और (ख). राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गई है और मिलने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

काम के घण्टे

१०९. श्री ए० के० गोपालन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के लोको-शेडों में रोज़ाना मजूरी पर काम करने वालों को १२ घण्टे प्रतिदिन काम करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें अधिक समय काम करने का कुछ भत्ता भी दिया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दक्षिण रेलवे के लोको-शेडों में काम करने वाले कर्मचारियों को जो पहले रोज़ाना मजूरी पर काम करते थे और जो केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन क्रमों के लागू होने के बाद मासिक वेतन पर काम करने लगे, सेवा नियोजन विनियमों के कार्य घण्टों के अधीन विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया है । कर्मचारियों का वह वर्ग जो

अविराम कहलाता है, उसे ८ घण्टों की पाली में काम करना पड़ता है और जो "अनिवार्यत: सविराम" कहलाता है उसे १२ घण्टों की पाली में काम करना पड़ता है ।

(ख) जब कर्मचारियों को निश्चित घन्टों से अधिक काम करना पड़ता है तो उन्हें अधिक समय का भत्ता दिया जाता है ।

चावल

११०. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च १९५५ को केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध चावल की मात्रा क्या थी ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : १०,४४,०२० टन ।

खानों का निरीक्षण

१११. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में दूसरी और तीसरी पाली के दौरान खानों के निरीक्षकों ने कितन प्रतिशत निरीक्षण किये ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : १०·६ प्रतिशत ।

अपीलीय न्यायाधिकरण

११२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **संचार** मंत्री २८ अप्रैल, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से डाक तथा तार विभाग में अपीलीय न्यायाधिकरण नियुक्त करने के संबंध में कोई निश्चय किया गया है :

(ख) यदि हां, तो निश्चय का स्वरूप क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसा प्रबन्ध करने का उपाय सोचा जा रहा है जिसके अधीन अपीलीय प्राधिकार के अधिकार एक पराधिकारी को सौंप दिये जायेंगे। अभी मामले का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है।

पत्तन

११३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर १९५४ से मार्च १९५५ की अवधि में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कोचीन के पत्तनों पर कुल कितनी आय हुई और कुल कितने व्यक्ति आये-गये ;

(ख) यह आंकड़े अक्टूबर १९५३ से मार्च, १९५४ और अप्रैल, १९५४ से सितम्बर, १९५४ की अवधि के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ; और

(ग) इन पत्तनों पर आय और यातायात बढ़ाने के लिये क्या कुछ कार्यवाही, यदि हुई हो, की गयी है या की जाने वाली है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७६]**

(ग) पत्तन प्राधिकारियों के पास पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत यातायात को संभालने की सुविधाओं को बढ़ाने और उनका आधुनीकरण करने के लिए कई योजनायें हैं । इनके पूर्ण हो जाने

के बाद आय और यातायात दोनों बढ़ जायेंगे । वास्तविक यातायात तो व्यापार और आर्थिक दशाओं के अनुसार ही होगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

११४. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **संचार** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घर खोलने के लिए राजस्व तथा पूंजी लेखाओं के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना काल में प्रतिवर्ष कितना व्यय किया है; और

(ख) नये टेलीफोन लगाने तथा पुरानों की मरम्मत एवं उनकी देख भाल पर प्रति वर्ष कितना व्यय हुआ है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-घर खोलने के लिए कोई व्यय नहीं हुआ । इस प्रकार का कुल व्यय डाक-तार विभाग के राजस्व अनुदान में से पूरा किया गया है । १९५१-५२ से किये गये व्यय का वार्षिक ब्योरा नीचे दिखाया गया है :—

१९५१-५२ में	.	९·३२ लाख रुपये
१९५२-५३ में	.	२२·५२ लाख रुपये
१९५३-५४ में	.	३०·०९ लाख रुपये
१९५४-५५ में	.	४०·२५ लाख रुपये

(ख) नये टेलीफोन लगाने का कुल व्यय मालूम किया जा रहा है और उचित समय में यह सभा-पटल पर रखा जायेगा । १९५१-५२ से टेलीफोनों के देख-भाल पर किया गया कुल व्यय नीचे दिया गया है :—

१९५१-५२ में	. .	५५·०६ लाख रुपये
१९५२-५३ में	. .	६५·५५ लाख रुपये
१९५३-५४ में	. .	८१·३३ लाख रुपये
१९५४-५५ में	. .	७७·७५ लाख रुपये

(संशोधित प्राक्कलन)

मनीपुर में बंजर भूमि

११५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ के बाद मनीपुर में कितने एकड़ चराई के मैदान, पड़ती भूमि और बंजर भूमि को कृषि के लायक बना लिया गया है;

(ख) आदिम जातियों के कृषकों तथा अन्य कृषकों को कितने एकड़ भूमि आवण्टित की गई;

(ग) भूमि प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं; और

(घ) उनसे प्रतिवर्ष कितनी भूराजस्व की प्राप्ति होती है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग आंकड़े अपलब्ध नहीं हैं । तीनों श्रेणियों की भूमि को मिला कर कुल भूमि निम्न प्रकार कृषि योग्य बनायी गयी :

४,००० एकड़	१९५१-५२ में
४,८५१ एकड़	१९५२-५३ में
१,०८० एकड़	१९५३-५४ में
५०० एकड़	१९५४-५५ में

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) यद्यपि प्रत्येक मामले को उस की निजी विशेषता के आधार पर तय किया जाता है पर बंजर भूमि और पड़ती भूमि को खेती के योग्य बनाने के लिए सामान्यतः निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है :–

(१) जिस व्यक्ति को आविष्टत हुई हो वह एक भूमिहीन कृषिक हो और एक आसाम क्षेत्र का निवासी हो ।

(२) किसी भी व्यक्ति को १ पारी अर्थात् २ १/२ एकड़ से अधिक भूमि का आवण्टन न किया जाय ।

(३) उक्त (१) के सिद्धान्तों की अवहेलना किये बिना, उन आदिम जातियों के कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है जो निकट के क्षेत्रों में भूमि कृषि द्वारा अपनी जीविका कमाते हैं जिन्हें वन लगाने की व्यवस्था के कारण वहां से हटा दिया है और या जो नियमित रूप से कृषि करना चाहते हैं ।

(घ) लगभग ३७,५०० रुपये ।

विमान भाड़ा

११६. श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से बंगलौर का विमान भाड़ा दिल्ली से मद्रास के विमान भाड़े से कहीं अधिक है यद्यपि दिल्ली से बंगलौर की दूरी और यात्रा का समय उससे कम है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार की असमानता को हटाने के लिये क्या प्रयत्न किया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिंचाई की छोटी योजनाएं

११७. श्री अमर सिंह डामर : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत सरकार को सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिए १९५३-५४ में तथा १९५४-५५ में ऋण तथा अनुदान के रूप में कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने उपरोक्त काल में उस सभी धन का उपयोग कर लिया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) उल्लिखित वर्षों में इस काम के लिए मध्य भारत सरकार के वास्ते निम्न अनुदान तथा ऋण स्वीकार किया गया है ।

स्वीकृत व्यय

साल	ऋण	अनुदान
	(रुपये लाखों की संख्यामें)	
१९५३-५४	५३ ८८	२ २५
१९५४-५५	३९ १०	२·६९

(ख) जी नहीं ।

बचत बैंक में जालसाजी का मामला

११८. श्री टी० बी० विठ्ठल राव : क्या **संचार** मंत्री १२ अप्रैल १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २१८७ के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैपुर के डाकघर बचत बैंक के जालसाजी के मामले में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां तो उन्होंने क्या पता लगाया है ?

संचार उपमंत्री श्री (राज बहादुर) : (क) थोड़े से मामलों की जांच पूरी हो चुकी है।

(ख) जिन मामलों की पुलिस जांच पूरी हो गई है उन्हें न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया है ।

पानी ठंडा करने की मशीनें

११९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रलवे के बहुत से स्टेशनों पर पानी ठंडा करने की मशीनें बहुधा बिगड़ जाया करती हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इस संबन्ध में क्या कार्यवाही करती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं वे यदा-कदा ही खराब हुई हैं और इसके परिणाम-स्वरूप जून १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष में पानी ठंडा करने के सामर्थ्य में ·७६ प्रतिशत की हानी हुई है ।

(ख) दोषपूर्ण पुरजों के स्थान पर नये पुर्जे लगा दिये जाते हैं और अन्य यांत्रिक खराबियों को शीघ्रता से ठीक किया जाता है ।

उड़ीसा में डाक सम्बन्धी सुविधायें

१२०. **श्री लक्ष्मीधर जेना** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य में १९५२ से १९५५ तक कितने नये डाकघर, तार घर तथा सार्वजनिक टेलीफोन खोले गये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण-पत्र जिसमें कि मांगी हुई जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिट १, अनुबन्ध संख्या ७७**]

फसल प्रतियोगिता योजना

१२१. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५४-५५ के दौरान फसल प्रतियोगिता योजना के लिये कितनी राशि मंजूर हुई थी ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : १,७९,६०० रुपय मंजूर हुए थ

रेल गाड़ियों की गति

१२२. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) सोराष्ट्र में डाक, एक्सप्रेस तथा यात्री गाड़ी की प्रति घंटा औसत गति क्या है; और

(ख) क्या उनकी गति को बढ़ाने की कोई योजना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियां १६·५ मील प्रति घंटा । यात्री गाड़ियां १३·३ मील प्रति घंटा ।

(ख) जी हां ।

रेल दुर्घटना

१२३. **श्री एम० एल० अग्रवाल** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे भैरोंगढ़ स्टेशन पर ६ जुलाई, १९५५ को एक मालगाड़ी किसी दूसरी माल गाड़ी से टकरा गई; और

(ख) यदि हां, तो इस भिड़न्त का ब्योरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) जी हां दिनांक ६-७-५५ के सवा सात बजे प्रातः संख्या १०३४ अप माल गाड़ी पश्चिमी रेलवे के रतलाम–गोधरा खंड के भैरोंगढ़ स्टेशन हाते में प्रवेश करते समय संख्या १०३० अप मालगाड़ी के पिछले भाग से टकरा गई ।

७-१५ म० पू० संख्या १०३० अप मालगाड़ी भैरोंगढ़ रेलवे स्टेशन की मुख्य पटरी से रवाना होकर अगले स्टेशन को जा रही थी, और संख्या १०३४ अप मालगाड़ी बाहर के अप सिगनल पर प्रतीक्षा कर रही थी । इसके लिए स्टेशन में मुख्य पटरी पर प्रविष्ट होने के लिये सिगनल देने की शर्तों को पूरा किये बिना ही, सिगनल दिया गया । इसी बीच संख्या १०३० अप माल गाड़ी के चालक ने कुछ विरोधी सिगनलों को देखकर गल्ती से गाड़ी उसी पटरी पर पीछे मोड़ दी और इस से यह दुर्घटना हो गई ।

काकिनाडा-कोटिपल्ली रेल-सम्पर्क

१२४. **डा० रामा राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काकिनाडा कोटिपल्ली की उखाड़ी हुई पटरी को फिर से बिछाने का कार्य द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है अथवा किया जाने वाला है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान हाथ में ली जाने वाली रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है ।

दुर्घटनायें

१२५. **श्री राम दास** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४-५५ के दौरान यात्रियों के पायदानों पर यात्रा करने से कुल कितनी दुर्घटनायें हुईं;

(ख) कितने व्यक्ति मर गये; और

(ग) सरकार भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर चुकी है या करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ६५५ ।

(ख) ७३ ।

(ग) जनता को गाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शित की गई सूचनाओं तथा लाउड स्पीकर से की गई घोषणाओं द्वारा पायदानों पर यात्रा न करने की चेतावनी दी जाती है। पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ा जाता है और उन पर अभियोग चलाया जाता है ।

GIPD—H.NS—744 LSD—20-3-56—240.

लोक-सभा

शुक्रवार,
२९ जुलाई, १९५५

वाद - विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ५, १९५५

(२५ जुलाई से १३ अगस्त, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

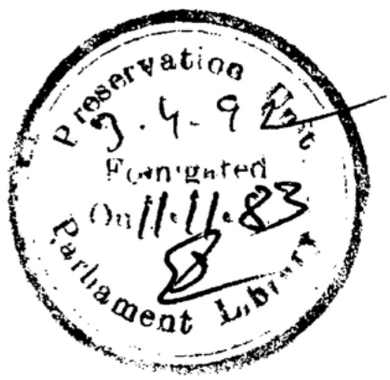

दशम सत्र, १९५५

(खंड [redacted] में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	सतम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर प्रदेश में बाढ़ें	१–३
श्री एन० एम० जोशी तथा श्री पतिराम राय का निधन .	३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३–४
सभा पटल पर रखे गये गये पत्र—	
भारतीय विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना .	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम . .	४–५
नवम सत्र की समाप्ति पर प्रख्याप्ति अध्यादेश	५–६
सरकार द्वारा आश्वासनों, आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	६–७
प्रथम साधारण निर्वाचन का प्रतिवेदन, खण्ड २ .	७
भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की प्रगति का विवरण	७
सोदपुर ग्लास वर्कस सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय का संकल्प	८
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधि-सूचनायें .	८
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें	९
पुनर्वास वित्त प्रशासन के विवरण और प्रतिवेदन .	९–१०
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१०
गोआ की स्थिति	१०–२०
अष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०
अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०–२१
हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक—संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत . . .	२१–१०७
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७–१२८
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
त्रावनकोर खनिज व्यापार-संस्था, चवारा में हड़ताल .	१२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन—	
(१) इस्पात का प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के लिये कोयला खान खण्ड मानने के सम्बन्ध में; . .	१२९–१३१

	स्तम्भ
(२) कैलशियम क्लोराइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
(३) सोडा ऐश उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में ;	१२९–१३१
(४) टिटेनियम डायक्साइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में; और	१२९–१३१
(५) हाइड्रोकुनीन उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१३१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि .	१३२
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१३२
समय के बंटवारे का आदेश–चर्चा असमाप्त	१३२–१३४
सभा का कार्य . . .	१३४–१३५
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति	१३४–१४९
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पारित.	
विचार करने का प्रस्ताव—	१४९–१७०
खण्ड २ और १,	१७०–१७१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	१७१–१७३
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक . विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१७३–१७७
श्री ए० सी० गुह	१७३–१७७
गोआ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—समाप्त .	१७७–२३६
अंक ३—बुद्धवार, २७ जुलाई, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश . संख्या २४ से २९ . .	२३७–२३८
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . .	२३८–२३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति— इकतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . .	२३९
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक. विचार करने का प्रस्ताव–स्वीकृत	२४०–३२६
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क रियायतों का विश्लेषण विवरण	३२७

	स्तम्भ
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
दसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	३२७–३२८
स्थगन प्रस्ताव—	
महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, गोरखपुर .	३२८–३२९
समय के बंटवारे का आदेश .	३२९–३४१
सभा का कार्य	३४२–३८१
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—	
खण्ड २ से ६	३४३
खण्ड ७	३४३–३५१
खण्ड ८ से १५	३५६–३५९
खण्ड १६	३५९–३६१, ३७०
खण्ड १७ से २३	३६२–३७०
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७०–३८१
भारतीय टंकन संशोधन विधेयक	३८१–४२०
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३८१–३९४

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५

सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
अनुदानों की मांगों (रेलवे) १९५५–५६, के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . .	४२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	४२१–४२२
भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४२२–४३१
खण्ड २	४३१–४५०
खण्ड १	४५०–४५१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव— स्वीकृत . .	४५१
भू–सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	४५१–४६५
खण्ड २ और १	४६५
पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	४६५
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	४६५–४६७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत .	४६८
केन्द्रीय कृषि वित्त निगम के बारे में संकल्प—	
वापस लिया गया	४६८–४९८

	स्तम्भ
वतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प--	
असमाप्त	४९८–५१०
अंक ६--सोमवार, १ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र--	
१९५५–५६ के लिये एयर–इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के आय तथा व्यय के आयव्ययक प्राक्कलनों का सारांश	५११
बीमा अधिनियम, १९३८ के अन्तर्गत अधिसूचना .	५११–५१२
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) आध्यादेश प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण . .	५२४–५२५
अनुपस्थिति की अनुमति	५१२
समिति के लिये निर्वाचन--	
लोक लेखा समिति	५१२–५१३
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५२--	
वापस लिया गया	५१३–५१४
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५५--पुरःस्थापित	
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित . .	५१४
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक---राज्य–सभा को भेजने के बारे में अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य . . .	५१५
मद्यसारिक उत्पाद (अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) संशोधन विधेयक---	५१५–५७०
विचार करने का प्रस्ताव---स्वीकृत	
खंड २ से १४ तथा १	५३९–५६९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव---स्वीकृत	५७०
बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक---	
विचार करने का प्रस्ताव---पारित	५७०–५९५
खंड २ से १० तथा १ . . .	५९२–५९९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव---	
स्वीकृत .	६००–६०२
अंक ७---मंगलवार, २ अगस्त, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव---	
पुर्तगाली पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार . . .	६०३–६०४
संसद् भवन की सीमा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग	६०४–६०६
एयर-इंडिया इंटरनेशनल विमान के दक्षिण चीन सागर में गिरने के बारे में वक्तव्य	६०६–६०९

	स्तम्भ
उत्तर प्रदेश में बाढ़ों के बारे में वक्तव्य . . .	६०६–६१२
दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक-- .	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	६१२–६१७
खण्ड २ से ६ और १	६३७
संशोधित रूप में पारित .	६३७–६३८, ६६१
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--अपमाप्त	६३८–६६१, ६६१–६८६

अंक ८--बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र--	
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन के अभिसमय संख्या ५ के अनुसमर्थन के बारे में वक्तव्य	६८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
बत्तीसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	६८७
पुर्तगाली पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में वक्तव्य	६८८–६८९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित .	६८९
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक	
विधेयक--पुरःस्थापित .	६८९–६९०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--अपमाप्त	६९०–७९०

अंक ९-- गुरुवार, ४ अगस्त, १९५५

गोआ की सीमा पर घटनाओं के बारे में वक्तव्य	७९१–७९३
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक--	
पुरःस्थापित	७९३
सभा-पटल पर रखा गया पत्र--	
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन अध्यादेश, १९५५ के प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण	७९३
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन)	
विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपा गया	७९३–८१८
श्री पाटस्कर	७९३–८१७
दरगाह ख्वाजा साहब विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८१९–८५१
खण्ड २ से २२ और १	८५१–८८१

	स्तम्भ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८१-८८३
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८४-८९६

अंक १०--शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति--	
बाईसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	८९७
विधि आयोग के बारे में वक्तव्य	८९७-९००
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--	
खण्ड २ से ६ और १	९००-९०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	९०१-९०५
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--	
असमाप्त	९०५-९३६
तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९३६-९४१
बत्तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९४१
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४२९ का संशोधन)--पुरःस्थापित	९४१-९४२
बाल विवाह रोक (संशोधन)	
विधेयक (धारा १२ का संशोधन)--पुरःस्थापित	९४२
कारखाना (संशोधन) विधेयक	
(धारा ५९ के स्थान पर नई धारा रखना)--पुरःस्थापित	९४२-९४३, ९५८-९५९
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४३५ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वाद-विवाद	
स्थगित	९४३-९४७
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (नई धारा २० क का रखा जाना)	
वापस लिया गया	९४७-९५८
कर्मकर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३क का रखा जाना)	
पुरःस्थापित	९५९
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक--	
(धारा २ और ४ का संशोधन)--	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव--प्रस्तुत नहीं किया गया	९५९
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक (धारा १७ का	

	स्तम्भ
संशोधन) विचार करने का प्रस्ताव--अस्वीकृत .	९६२–९७२
भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वापिस लिया गया .	९७२–९७९
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक-.	
विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त	९८०
अंक ११--सोमवार, ८ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखा गया पत्र--	
रक्षित तथा सहायक वायु सेना	
अधिनियम के नियमों में संशोधन	९८१
कार्य मंत्रणा समिति-- . .	
बाईसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत . .	९८१
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--	
असमाप्त	९८२–१०४८
अंक १२--मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र--	
सान के पत्थर के उद्योग आदि को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में	
प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	१०४९–१०५०
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	१०५०–१०५१
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	१०५२–११००
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	११००–११२९
खण्ड २ और ३ और १	११२९–११३०
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	११२९–११३२
समवाय विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त .	११३२–११३४
अंक १३--बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र--	
नकली रेशम और सूत एवं नकली रेशम मिश्रित रेशा उद्योग आदि को	
संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	११३५–११३६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
तेतीसवां प्रतिवेदन---उपस्थापित . . .	११३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कलकत्ता पत्तन पर जहाजों से माल उतारने और माल लादने वाले मज-	
दूरों का 'धीरे काम करो' आन्दोलन	११३६–११३८
समवाय विधेयक--	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त	११३८–१२१०

अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश में बाढ़ें १२११–१२१३

अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

पुरःस्थापित . . . १२१३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १२१४–१२४४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . १२४४–१२४५

वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . १२४५–१२८६

वैदेशिक व्यापार पर राज्य एकाधिकार के बारे में संकल्प—असमाप्त १२८७–१२८८

अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १२८९–१३४२

अनुक्रमणिका १–८

लोक सभा

शूक्रवार २९ जुलाई, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये--भाग १)

---

१२ मध्याह्न

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५५-५६ के बारे में सदस्यों के ज्ञापन के उत्तर

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : मैं कुछ और विवरणों, जिन में १९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में सदस्यों से प्राप्त कुछ ज्ञापनों के उत्तर दिये गये हैं, की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [देखए परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १]

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री बाडगील (पूना मध्य) : मैं विश्व-विद्यालयों म संयोजन तथा स्तर निर्धारित करने के हेतु और इस प्रयोजन के लिये एक विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन स्थापित करने की व्यवस्था करने वाले बिल सम्बन्धी संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करता हूं।

भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री अरुण चन्द्र गुह द्वारा २८ जुलाई, १९५५ को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

"कि भारतीय टंक अधिनियम, १९०६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

विधेयक के परिचालन के लिये भी कुछ सदस्यों द्वारा कल सं ोधन प्रस्तुत किये गये थे।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मुझे इस विधेयक का स्वागत करने में प्रसन्नता हो रही है। बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने टंकन की दशमलव प्रणाली का समर्थन किया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

पिछली बार जब इसी प्रकार का एक असरकारी विधेयक राज्य सभा में लाया गया था तो सरकार द्वारा यह कहा जा कर इसका विरोध किया गया था कि सिक्कों के बारे में दशमलव प्रणाली लागू किये जाने से पहले प्रमापों और नाप, तौल इत्यादि के सम्बन्ध में इसका लागू किया जाना आवश्यक होगा। मैं इस विधान के पारित किये जाने

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

के बारे में विलम्ब नहीं चाहता, किन्तु इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार को वैज्ञानिक ढंग से कार्य करना चाहिये। हमारे देश में नाप, तोल इत्यादि के लिये कितनी ही प्रकार के प्रमाप चालू हैं जिनसे बहुत गड़बड़ होती है ; इन के लिये भी समान प्रकार के प्रमाप होने आवश्यक हैं और यथाशीघ्र मैट्रिक प्रणाली लागू होनी चाहिये।

सिक्कों के लिये दशमलव प्रणाली के अपनाये जाने से गिनती के काम में बड़ी सुविधा हो जायेगी किन्तु पूर्ण सुविधा तो तभी होगी जब नाप और तोल के लिये भी यही प्रणाली लागू कर दी जायेगी। इस से सभी प्रकार के लोगों को लाभ होगा। कुछ लोगों द्वारा जो यह आपत्ति उठाई गई है कि इस प्रणाली के लागू किये जाने के फलस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था, विशेषकर हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, नष्ट भ्रष्ट हो जायेगी सर्वथा निराधार है। लोग शीघ्र ही नई प्रणाली को सीख जायेंगे और इससे समय और श्रम दोनों की बचत होगी। इससे बालकों के लिये भी गणित के पढ़ने पढ़ाने में सुविधा हो जायेगी।

विदेशी शब्द सेन्ट के प्रयोग पर सभी लोगों द्वारा आपत्ति की गई है। आधुनिक इतिहास में मैट्रिक प्रणाली के पूर्ण विकास का श्रेय फ्रेंच लोगों को है। उन्होंने 'सांतीम' शब्द का प्रयोग चलाया जो 'फ्रां' का शतांश है। 'सेन्ट' शब्द सांतीम का ही प्रचलित रूप है। किन्तु हमारे लिये 'सेन्ट' शब्द को अपनाना कुछ आवश्यक नहीं है। कितने ही अन्य विकल्पों के सुझाव दिये गये हैं जिन में शतांश, पैसा इत्यादि अच्छे नाम हैं। 'रुपया' शब्द 'चक्र' से अच्छा रहेगा। मेरे विचार में नये सिक्कों के भार का मैट्रिक एककों के साथ अभिन्न सम्बन्ध होना चाहिये, जिस से वह सोना इत्यादि तोलने के काम भी आ सकें। मैं इस विधान में विलम्ब करना नहीं चाहता, किन्तु यदि सरकार कुछ समय तक प्रतीक्षा करे, तो कई महत्वपूर्ण बातें इस में जोड़ी जा सकती हैं, जो लाभप्रद होंगी। पन्द्रह दिन की प्रतीक्षा करना अच्छा होगा।

संक्रमण काल के अन्दर मुद्रा का विनिमय करने वाले लोग जनता की अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाने लगेंगे। इसलिये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि समय अधिक लम्बा न होने पाये, इस के लिये उसने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है?

श्री कामत की इस उक्ति में बड़ा बल है कि मैट्रिक प्रणाली और दशमलव टंकन से जनता को परिचय कराना चाहिये था। सरकार ने अभी तक इस दिशा में कुछ भी प्रचार नहीं किया है और जनता को इसे समझने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हम अन्य साहित्य पर तो बहुत खर्च कर डालते हैं, किन्तु इस के लिये कुछ भी नहीं किया गया। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रणाली को चालू करने का कारण और यह परिवर्तन कैसे होगा, इस सम्बन्ध में जनता को शिक्षित करे और शीघ्र ही इस बात की घोषणा करे कि यह प्रणाली कब से चालू होगी। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में सरकार का जो विचार है उस पर मंत्री महोदय अपने उत्तर में प्रकाश डालेंगे।

श्री तुलसीदास ने कहा है कि क्योंकि हमारा अधिक व्यापार गैर मैट्रिक प्रणाली वाले देशों से है, अतः हमें धीरे धीरे चलना चाहिये। दूसरी बात यह है कि चाहे इस नवीन प्रणाली से लोगों को भले लाभ हो, परन्तु उन्हें पुराने सिक्कों की आदत पड़ी हुई है और वे इसे शीघ्रता से नहीं छोड़ सकते।

अभी तक हमारा व्यापार कुछ विशिष्ट देशों के साथ रहा है, इसी कारण हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न होती रही है और हमारा व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण नहीं कर सका । अब इस प्रक्रिया से हमारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सच्चे अर्थों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बनना आरम्भ हो जायेगा ।

संसार के प्रायः सभी देशों में मैट्रिक प्रणाली प्रचलित है । इसलिये मैं इस उपक्रम का स्वागत करता हूं । परन्तु मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि वह लोगों को इस परिवर्तन और इस की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूरी तरह शिक्षित करेगी । मैं यह भी चाहता हूं कि सैंट शब्द न रखा जाये और इसके स्थान पर भारतीय नाम हो । इसके अतिरिक्त, सरकार को यह भी वचन देना चाहिये कि वह बाट और नाप के सम्बन्ध में भी मैट्रिक प्रणाली को लागू करेगी । इन शब्दों के साथ मैं इस चिर-प्रतीक्षित विधेयक का स्वागत करता हूं ।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस विधेयक को दो एकान्त विरोधी व्यक्तियों के अतिरिक्त इस सभा का प्रायः एकमत सा समर्थन प्राप्त हुआ है । मैं पिछले वक्ता श्री एच० एन० मुकर्जी की कुछ बातों का उत्तर देना चाहता हूं । उन्होंने एक गैर सरकारी विधेयक के उत्तर में दूसरी सभा में दी गई मेरी वक्तृता का उल्लेख किया है । मैं समझता हूं यदि उन्होंने मेरे कल के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना होगा, तो उन्हें इस मामले का उल्लेख करने की आवश्यकता न होती । क्योंकि मैं ने स्वयं अपने भाषण में कहा था कि एक विशेषज्ञ समिति ने सरकार को यह मंत्रणा दी थी कि इसमें १५ वर्ष लगेंगे । वे १५ वर्ष नवम्बर १९५४ से आरम्भ नहीं होंगे जब दूसरी सभा में वादविवाद हुआ था । १९४६ या १९४७ में विशेषज्ञों ने सरकार को मंत्रणा दी थी । अब भी मैं समझता हूं कि यदि हमें बांट और नाप के बारे में इस विधेयक को और बाद में अन्य विधेयक को कार्यान्वित करना है, तो मैं समझता हूं कि १५ वर्ष तो वास्तव में सब प्रकार से मैट्रिक प्रणाली को कार्यान्वित करते करते खर्चा हो जायेंगे ।

उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है जो मैं ने कहा कि टंकन में मैट्रिक प्रणाली लाने से पहले बांट और नाप में मैट्रिक प्रणाली लाई जानी चाहिये ।

मैं ने कल अपने भाषण में इस का भी उल्लेख किया था । यह मूल विचार था, परन्तु अब यह निर्णय किया गया है कि पहले टंकन प्रणाली में मैट्रिक प्रणाली लाना सरलतर होगा और तब दूसरे विषयों में मैट्रिक प्रणाली लाई जाये तो भी यह बात इस प्रकार विधेयक के विरुद्ध नहीं जाती उन्होंने व्यक्तिगत रूप में मेरे विरुद्ध कुछ बातें कहने का प्रयत्न किया है । किन्तु, कुछ अन्य सदस्यों ने, विशेषकर श्री सोधिया और श्री कामत ने, जनता के दृष्टिकोण से इसका विरोध किया था और श्री कामत ने कहा था कि इसका जनता में उचित ढंग से प्रचार नहीं हुआ है और जनता को अपने मत प्रकट करने का अवसर नहीं दिया गया है । कल ही प्रधान मंत्री ने कहा कि यह मामला कई वर्षों से जनता के सामने है । मैं ने भी अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि १९४६ में इस मामले पर केन्द्रीय विधान सभा में चर्चा हुई थी और उसके पश्चात् भी इस विषय पर कई बार चर्चा हुई है ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : बाद में यह वापिस ले लिया गया था ।

श्री ए० सी० गुह : वापिस नहीं लिया गया था । सभा अकस्मात भंग हो गई थी और विधेयक को व्ययगत होने दिया गया,

[श्री ए० सी० गुह]

किन्तु यह वापिस नहीं लिया गया था। मैं ने यह भी बताया था कि विभाजन के पश्चात् और स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्, जब कि देश की राजनैतिक और सामाजिक अवस्था अनिश्चित थी और संविधान भी नहीं बनाया गया था, देश की ऐसी हिलचुल वाली अवस्था के अन्दर यह निश्चय किया गया था कि सरकार उस समय इस विधेयक को न उठाये।

सदस्यों ने दूसरी बात नामावलि के सम्बन्ध में कही है। सरकार को 'सैंट' शब्द से कोई विशेष मोह नहीं है और मैं ने कल कहा था कि हमें उपयुक्त भारतीय नामों के बारे में सदस्यों से कुछ लाभप्रद सुझाव प्राप्त करने के लिये प्रतीक्षा करनी चाहिये और कल माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमें पुराना नाम "पैसा" रखने में भी कोई आपत्ति नहीं है। हमें केवल एक कठिनाई होगी। कि तीन, चार या पांच वर्ष की अन्तरिम अवधि होनी चाहिये, जिसके अन्दर नये और पुराने दोनों प्रकार के सिक्के चलते रहें और नये तथा पुराने सिक्कों में और उनके नामों में भेद करने के लिये कुछ होना चाहिये। केवल यही कठिनाई है। यदि नये मूल्य का पैसा पुराने मूल्य के पैसे के साथ साथ चलाना है, तो जनता में कुछ भ्रांति फैल सकती है, जैसा कि श्री गाडगील ने कल कहा कि कोई चतुर व्यापारी जनता की अज्ञानता का लाभ उठा सकता है। यही कठिनाई है और नये तथा पुराने सिक्कों में किसी प्रकार का भेद करने के लिये....

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : "नया पैसा" और "पुराना पैसा"।

श्री ए० सी० गुह : एक सुझाव यह था कि नये को तब तक "नया पैसा" कहा जाये, जब तक पुराना पैसा चलता रहे और तब धीरे धीरे जब पुराना पैसा खेंच लिया जाये तो हम "नया" शब्द प्रयोग किये बिना ही "नया पैसा" बनाना आरम्भ कर सकते हैं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या नया आना, नई दवन्नी आदि भी होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आध रुपया और चौथाई रुपया होगा।

श्री एस० सी० गुह : जब हम संगत खंड पर विचार करने लगेंगे तो मैं कुछ संशोधन रखूंगा। तब सदस्यों को पता चलेगा कि हम इस मामले में कैसा काम करना चाहते हैं। तात्पर्य हमें अपने कुछ पुराने नाम रखने में आपत्ति नहीं है। केवल एकमात्र कठिनाई यह होगी कि नये और पुराने सिक्कों के सम्बन्ध में भ्रांति को मिटाना होगा।

मैं श्री तुलसीदास के प्रश्न का उत्तर दूंगा कि हमारा ६० प्रतिशत व्यापार गैर मैट्रिक प्रणाली वाले देशों से है और ४० प्रतिशत मैट्रिक प्रणाली वाले देशों से है। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे विदेश व्यापार के सम्बन्ध में इस टंकन प्रणाली स कैसे कोई कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। हमारी आन्तरिक गणना की कोई भी प्रणाली हो, मैं नहीं समझता कि इससे हमारे विदेश व्यापार पर किसी भी प्रकार का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। अतः मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक का इस सभा के सदस्यों ने हार्दिक स्वागत किया है। नवीन सिक्कों की नामावलि और जनता को इस नवीन सिक्के का प्रयोग सिखलाना इन दो विषयों का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता थी। हम सहमत हैं। कल भी मैं ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि अब हमें नये और पुराने सिक्कों के प्रयोग के सम्बन्ध में जनता को बताना चाहिये।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर ज़िला—दक्षिण) : क्या १६ आने मैट्रिक प्रणाली के भाग होंगे या पुरानी प्रणाली के ?

श्री ए० सी० गुह : जैसा कि मैं ने कल बताया, रुपये का मूल्य वही रहेगा । इसे छोटे से छोटा १०० भागों में विभक्त किया जायगा और तदनुसार बीच के टुकड़े भी दस में विभक्त किये जायेंगे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : कितने समय तक पुराने और नये सिक्के साथ साथ चलेंगे ?

श्री ए० सी० गुह : इस में चार या पांच वर्ष लग जायेंगे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : सिक्का बदलने वालों के अनुचित चुंगल से जनता को बचाने के लिये सरकार क्या करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : अनुचित लाभ उठाने वाले व्यक्तियों पर अभियोग चलेगा ।

श्री कामत : मैं प्रधान मंत्री के वक्तव्य का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि दशमलव टंकन के लिये सरकार ने क्या निश्चित कार्य-क्रम बनाया है ?

श्री हेडा : जैसे हैदराबाद में हैदराबाद की मुद्रा बदलने और वहां भारतीय मुद्रा चालू करने में जनता को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उसी प्रकार की कठिनाइयां यहां की अपढ़ और भोली जनता को भी उठानी पड़ेंगी । इसके निवारण के लिये सरकार ने क्या सोचा है ? क्या यहां दोनों सिक्कों का प्रयोग करने दिया जायेगा जैसा कि हैदराबाद के मामले में अन्तर्कालीन अवधि में हमने किया था ?

श्री एस० एस० मोरे : हैदराबाद के तीन चलार्थ होंगे ।

श्री ए० सी० गुह : इन सब प्रश्नों का उत्तर मैं दे चुका हूं । मैं ने कहा है कि सब पुराने सिक्के वापस लेने में चार से पांच वर्ष तक का समय लगेगा और यदि हमारे टकसाल पूरी तेजी से काम करें, नये सिक्के प्रचलित करने में भी तीन से चार वर्ष तक का समय लगेगा । श्री एच० एन० मुकर्जी के प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहूंगा कि तीन या पांच वर्ष का समय तयारी में लगेगा जिसके दौरान में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं किये जायेंगे, परन्तु तोल-नाप की दशमिक प्रणाली के बारे में प्रचार किया जायगा और जहां व्यापारिक हुआ दशमिक प्रणाली शनैः शनैः शुरू की जायेगी । ठोस शब्दों में कार्यक्रम यह होगा : (१) भारत सरकार चलार्थ की दशमलव प्रणाली जारी करेगी जिस में बाट और सिक्के दशमिक होंगे (२) बड़े पैमाने पर शिक्षा और प्रचार अर्थात् प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों, टेकनिकल और इंजीनियरिंग संस्थाओं में शिक्षा दी जायेगी, स्कूलों में सब प्रामाणिक दशमिक बाटों और मापों के नमूने रखे जायेंगे ;

(३) समाचार पत्रों और रेडियो द्वारा प्रचार ;

(४) सार्वजनिक भाषण और पत्रकार सम्मेलन ।

इस प्रकार की और भी चीज़ें हैं । अतः हर प्रकार का प्रचार करेंगे और शिक्षा देंगे ताकि चालाक लोग अन्य लोगों की अज्ञानता से लाभ न उठा सकें ।

श्री राघवैय्या (ओंगोल) : क्या सरकार पुराने सिक्कों के बदले में नये सिक्के लेने के लिये जनसाधारण की सहायता के लिये सारी सरकारी व्यवस्था से सहायता लेगी ?

श्री ए० सी० गुह : जी हां । लोगों को कठिनाइयों से बचाने के लिये सब कुछ किया जायेगा । चूंकि गांधी जी की राय की ओर भी निर्देश किया गया है, इस लिये मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अक्तूबर, १९४६ में उन्होंने एक पत्र में लिखा था कि टंकण और तोल माप में सुधार का प्रश्न हमारी अपनी संसद् को, जब भी वह बने, अपने हाथ में लेना होगा।

[श्री ए० सी० गह]

मेरे विचार में, मैं ने सब प्रश्नों का पर्याप्त उत्तर दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पर राय जानने के लिये इसे ३१ दिसम्बर, १९५५ तक परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य दोनों संशोधन अब अवरुद्ध हैं। अब मैं मूल प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत करूं।

श्री कामत : प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्तावों का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि कोई नाम नहीं दिये गये थे, इस लिये मैं ने उन्हें प्रस्तुत नहीं समझा।

प्रश्न यह है कि :

"भारतीय टंक अधिनियम, १९०६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २—नई धारा १४ का रखा जाना आदि

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने इस खंड म संशोधन करने के लिये एक संशोधन की पूर्वसूचना दी है।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मेरा निवेदन है कि यह खंड मूल खंड से बिल्कुल भिन्न है, इस लिये चर्चा बाद के समय के लिये स्थगित कर दी जाये, जब कि हम इस का अध्ययन कर चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है किन्तु माननीय मंत्री को सुन लेना चाहिये यदि कोई असाधारण बात हुई, तो चर्चा स्थगित की जा सकती है।

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ म, पंक्ति ९ से २६ के स्थान पर निम्न अंश रखा जाये :

"14 (1) The rupee shall be divided into one hundred units and the new coin representing such unit may be designated by the Central Government, by notification in the Official Gazette, under such name as it thinks fit and the rupee, half-rupee and quarter-rupee shall be respectively equivalent to one hundred, fifty and twenty five such new coins and shall, subject to the provisions of sub-section (1) and sub-section (2) of section 13 and to the extent specified therein, be a legal tender in payment or on account accordingly.

(2) All coins issued under the authority of this Act in any denominations of annas, pice and pies shall, to the extent specified in section 13, be a legal tender in payment or on account at

the rate of sixteen annas, sixty four pice or one hundred and ninty-two pies to one hundred new coins referred to in sub-section (i), calculated in respect of any such single new coin or number of such new coins, tendered at one transaction, to the nearest new coin, or where the new coin above and the new coin below are equally near to the new coin below.

(3) All references in any enactment or in any notification, rule or order under any enactment or in any contract, deed or other instrument to any value expressed in annas pice and pices shall be construed as references to that value expressed in new coins, referred to in sub-section (1) converted thereto at the rate specified in sub-section (2),".

["१४(१) रुपये को एक सौ इकाइयों में विभाजित किया जायेगा और केन्द्रीय सरकार ऐसी इकाई का प्रतिरूपण करने वाले नये सिक्के को सरकारी गज़ट में अधिसूचना द्वारा ऐसे नाम से जिसे वह उचित समझे, नामोद्दिष्ट कर सकेगी और रुपया, अठन्नी और चवन्नी क्रमशः एक सौ, पचास और पच्चीस ऐसे नये सिक्कों के बराबर होंगे और धारा १३ की उपधारा (१) और उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन और उन में उल्लिखित सीमा तक तदनुसार भुगतान या लेखे के लिये विधि मान्य होंगे ।

(२) इस अधिनियम के प्राधिकार के अधीन जारी किये गये आना, पैसा, और पाई के किसी राशि के सिक्के, धारा १३ में उल्लिखित सीमा तक भुगतान में या लेखे पर उपधारा (१) में निर्दिष्ट एक सौ नये सिक्कों के बदले सोलह आने, चौसठ पैसे या एक सौ बानवे पाई की दर से विधी, मान्य होंगे जो किसी एक सौदे में दिये गये ऐसे एक नये सिक्के या बहुत से ऐसे नये सिक्के के बदले में निकटतम नये सिक्के, अथवा जहां ऊपरी नया सिक्का या निचला नया सिक्का समान रूप से निकट हों, निचले नये सिक्के के सम्बन्ध में गिना गया हो ।

(३) किसी अधिनियम में या किसी अधिनियम के अधीन किसी अधिसूचना, नियम या आदेश अथवा किसी संविदा, विलेख या अन्य लिखित में आना, पैसा और पाई में व्यक्त किये गये किसी मूल्य के लिये सभी निर्देश उपधारा (१) में निर्दिष्ट नये सिक्कों में व्यक्त किये गये उस मूल्य के जो उपधारा (२) में उल्लिखित दर से परिवर्तित किया गया हो, निर्देश समझे जायेंगे ।"]

यदि आप मूल खंड की इस संशोधन के साथ तुलना करें, तो आप देखगें कि "सैंट्स" के स्थान पर हम ने 'इकाइयां' रख दिया है।

[श्री ए० सी० गुहा]

शेष सब चीज़ें वैसी ही हैं । कठिनाई यह है कि नये सिक्के और पुराने सिक्के म भेद कैस किया जाये । यदि वही नाम रखा जाये, तो और भी धोखा होगा । इस लिये विशेषज्ञों से परामर्श कर के हम कुछ दिनों तक अपना निर्णय घोषित करेंगे और इसे पटल पर भी रखेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्रीराघवाचारी : जब सरकार कोई नये नाम निश्चित कर ले, तो हम इस पर आगे विचार कर सकते हैं । अतः चर्चा को तीन या चार दिन के लिये स्थगित कर देना चाहिये ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : मुझे इस संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं किन्तु मेरा सुझाव है कि कम मूल्य के सिक्के भी होने चाहियें ।

श्री ए० सी गह : मैंने कल उदाहरण दिये थे । कुछ सिक्के १० इकाइयों के और कुछ ५ इकाइयों के होंगे । एक या दो इकाइयों के सिक्के भी हो सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि मूल खंड की तुलना के संशोधन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया । अतः विधेयक पर विचार स्थगित करने का कोई लाभ नहीं होगा । अन्य सब चीज़ अधि सूचना द्वारा की जायगी ।

श्री एस० एस० मोरे : सरकार को विशष्ट मूल्य के सिक्के जारी करने का अधिकार है । इनके अतिरिक्त अन्य सिक्के जारी नहीं हो सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुख्य अधिनियम की धारा ६ के अन्तर्गत सरकार एक रुपये से कम मल्य के सब प्रकार के सिक्के जारी कर सकती है ।

श्री बोगावत : मेरा संशोधन यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति ११ में; "सैंट्स" शब्द के बाद "और दस सैंट्स एक ऐसे सिक्के के, जिसे सैंट-आना कहा जायेगा, बराबर होंगे और एक सैंट को एक पैसा कहा जायेगा" यह शब्द रखे जायें ।

यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये, तो मेरे विचार में सब कठिनाई दूर हो जायगी । १० सैंट का भी कोई सिक्का होना चाहिये । ६४ पैसों की बजाय १०० पैसे और इस पैसे के लिये नया नाम होना चाहिये । यदि ऐसा किया जाये तो निरक्षर लोगों को भी धोखा नहीं होगा । १० आने एक रुपये के बराबर होंगे । यदि कम से कम मूल्य के सिक्के का नाम सैंट-पैसा रखा जाये तो कोई कठिनाई नहीं होगी ।

हम जानते हैं कि हमारा रुपया ६४ पैसों के बदले १०० भागों में विभाजित किया जाने वाला है । कुछ भी हो यदि हम कुछ परिवर्तन करना ही चाहते ह तो वे परिवर्तन इस प्रकार के होने चाहियें कि जिससे ग़रीब और नासमझ लोगों को कोई कठिनाई न उठानी पड़े । यदि ऐसा नहीं होगा तो वे बेचारे ठग लिये जायेंगे । इस विधेयक में यदि हम संशोधन करते हैं और दस सेंटों का नाम एक सेंट–आना रख देते हैं तो हमारा काफी प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने सेंट को तो बिलकुल ही हटा दिया है ।

श्री बोगावत : मैं तो चाहता हूं कि जो भी नाम दिये जायें वे संसद् में रखे जायें और सदस्य उन के विषय में जान सकें । सरकार एक अधिसूचना द्वारा केवल गजट में न प्रकाशित करवा दे ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव) : खण्ड १४(१) में एक रुपया, अठन्नी और

चवन्नी का उल्लेख तो किया गया है किन्तु दो आने और एक आने के बराबर वाले सिक्कों के विषय में कुछ भी नहीं बताया गया है। इनका उल्लेख करना भी आवश्यक था। पांच पैसे के बराबर एक आना होगा और दस पैसे के बराबर दो आना। यदि हम दशमलव प्रणाली को मान लेते हैं तो उससे क्या कठिनाई आयेगी ?

श्री एस० एस० मोरे : तो क्या रुपया २० आने के बराबर हो जायेगा ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : नहीं रुपया १० आने के बराबर होगा।

श्री एस० एस० मोरे : जब एक रुपया १०० पैसे के बराबर होगा और एक आना ५ पैसे के बराबर तो निश्चय ही रुपया २० आने के बराबर होगा। यह तो बड़ा साधारण सा हिसाब है।

श्री गाडगील : इस विधेयक के अधिनियम बन जाने से तो बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न ही जायेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे माननीय मित्र ठीक कह रहे हैं। मेरा यह कहना ग़लत था कि एक आने में पांच पैसे होंगे। हां मैं यह कहूंगा कि इसमें एक आना और दो आना जैसे छोटे सिक्कों का भी उल्लेख होना चाहिये।

श्री ए० सी० गुह : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक के विषय में कुछ उलटा समझ गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक नया कार्य है, इस कारण इस को सत्र के अन्त तक स्थगित कर देने में भी कोई हानि न होगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हम चाहते हैं कि विधेयक में पैस का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। मैं यह औपचारिक प्रस्ताव रखता हूं कि इस विधेयक को तब तक के लिये स्थगित कर दिया जाय जब तक कि अन्य छोटे-छोटे सिक्कों और उनके मूल्यों पर विचार न कर लिया जाये।

श्री ए० सी० गुह : छोटे-छोटे सिक्कों के बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सिक्कों के मूल्यों का निर्धारण सभा में ही होना चाहिये। मुझे हर्ष है कि संशोधन इस सम्बन्ध में है कि रुपये को १०० भागों में ही बांटा जाये। और प्रत्येक भाग का नाम पैसे के अतिरिक्त और कुछ न हो। इसका निर्णय सरकार न करके सभा ही करे।

उपाध्यक्ष महोदय : देश में सिक्के की दशमलव प्रणाली जारी करने का सिद्धान्त तो स्वीकृत किया जा चुका है। अब प्रश्न केवल यह है कि अठन्नी और चवन्नी का आने-पाई के रूप में क्या मूल्य रखा जाये। यदि माननीय मंत्री कुछ दिनों बाद इस विषय में सभा को बतायें तो अच्छा होगा।

श्री ए० सी० गुह : हम रुपया, अठन्नी और चवन्नी आदि चालू सिक्कों का समेकन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो इस नई प्रणाली में भी चलते रहेंगे। पुराने सिक्कों में दुअन्नी नहीं रहेगी। इन सिक्कों के सम्बन्ध में मैं कल उदाहरण देकर बता चुका हूं कि सब से छोटा सिक्का सेंट या पैसा जो भी कहा जाय वह होगा उसके बाद उसका दुगना, पांच गुना और दस गुना सिक्का होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या आप इसे पैसा कहेंगे ?

श्री ए० सी० गुह : यदि आप दोनों को पैसा ही कहेंगे तो नये पुराने में भेद क्या रहेगा ? चार पांच वर्षों बाद पुराना पैसा हटा दिया जायगा किन्तु यह सेंट पैसा कहलायेगा। सरकार को अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि वह चार-पांच वर्षों के बाद भी नाम बदल सके। इस अन्तरिम काल में

[श्री ए० सी० गुह]

सबसे छोटे सिक्के का नाम चाहे जो भी हो उसमें आगे-पीछे कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा। किन्तु चार-पांच वर्षों बाद पुरान सिक्के वापस ले लिये जायेंगे। सिक्कों का नाम फिर से बदलना होगा। यदि हम इसे 'नया पैसा' कहें तो पुराना पैसा वापस ले लिये जाने के बाद वह नाम नहीं चलेगा। इस कारण 'नया' शब्द हटाना पड़ेगा। इसलिये तब भी हमें सब से छोटे सिक्के का नाम बदलना होगा।

श्री एस० एस० मोरे : क्या नये और पुराने पैसे की पहचान करने के लिये उनके डिज़ाइन अलग अलग नहीं किये जा सकते ? मैं समझता हूं कि ऐसा करने से काम चल जायेगा।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मैं अपनी और इस सभा के कुछ लोगों की ओर से कल कह चुका हूं कि रुपया और पैसा चलते रहने चाहिये। इससे अनेक लाभ हैं। मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही होगा भी। अन्तरिम काल में क्या कठिनाइयां उपस्थित होंगी, इसकी प्रविधिकताओं पर मैं ने विचार नहीं किया है। किन्तु मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि इसे पैसा कहने में कुछ कठिनाइयां उपस्थित होंगी तो हम सभा में उन पर फिर चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं कि हम इसे पैसा कहने के लिये सहमत हैं। इस अन्तरिम काल और कठिनाइयों के विषय में जो बातें कही गई हैं। उनके सम्बन्ध में मतभेद है और हो सकता है कि बाद में हमें सभा में वैधानिक परिवर्तन भी करने पड़ें। यह उसका वास्तविक रूप न होकर प्रविधिक रूप है। जहां तक वास्तविक रूप का सम्बन्ध है, सभी सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्थापना यह है कि अधिसूचना के द्वारा कुछ और छोटे सिक्के बनाये जायेंगे। मेरा सुझाव यह है कि उक्त अधिसूचना सभा के समक्ष सदस्यों की जानकारी के लिये रख दी जाये।

श्री ए० सी० गुह : मैं इसे पहले ही स्वीकार कर चुका हूं।

श्री जवाहरलाल नहरू: अधिसूचना के सभा पटल पर रखे जाने के बाद यह सभा चाहेगी कि तो उस पर चर्चा भी की जायेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : भारत सुरक्षा अधिनियम के अधीन तो उस व्यक्ति पर अभियोग चलाया जा सकता था जो बदले में किसी व्यक्ति को कम पैसे देता था। इस नवीन व्यवस्था के अधीन भी २५ सेंट के बदले में १६ पैसे या १६ पैसे के बदले में २५ सेंट से कम देने वाल व्यक्ति पर अभियोग लगाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये। इस खण्ड में जहां तक मैं समझता हूं भारत सुरक्षा अधिनियम जैसी व्यवस्था नहीं है। यदि इसमें दण्ड के लिये खण्ड न रखा जायेगा तो बेचारे ग़रीबों का ही नुक़सान होगा।

श्री एस० एस० मोरे : हमें तो उन ग़रीबों के हितों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी है जो रुपयों के बदले छोटे छोटे सिक्कों का व्यवहार अधिक करते हैं। खण्ड की व्यवस्था होनी आवश्यक है और जनता को यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि उन्हें बेईमान लोग ठग नहीं सकेंगे। खण्ड (२) तो केवल गणना के सम्बन्ध में है।

श्री जवाहरलाल नेहरू: हम सब इस बात से सहमत हैं कि ग़रीब जनता छोटे छोटे सिक्कों का व्यवहार करती है, रक्षा के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये जायें। यदि कोई व्यक्ति किसी को एक सिक्के के बदले में दूसरा सिक्का दे देता है तो यह तो धोखा देना हो जाता है। ऐसे मामलों के लिये दण्ड विधियां पर्याप्त हैं ही। क्या इस प्रयोजन

विशेष के लिये हमें एक विशेष क़ानन बनाना चाहिये ? निश्चय ही यदि कोई व्यक्ति एक सिक्के को कोई दूसरा सिक्का बता कर देता है तो यह धोखा देना कहा जायेगा ।

श्री एस० एस० मोरे : यहां तो प्रश्न यह है कि पुराने और नये सिक्कों का हिसाब ठीक प्रकार से किया गया है, या नहीं । यह चीज़ वर्तमान नियम में नहीं आती है, जिसकी व्यवस्था होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : जानबुझ कर अनुपात से अधिक सिक्के लेने वाला मामला धोखा देना ही कहा जायेगा । क़ानून से मान्य अंश से अधिक लेने वाला निश्चय ही अपराधी है ।

जहां तक एक रुपये से कम के सिक्कों का प्रश्न है, जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया, सरकारी गज़ट में अधिसूचना प्रकाशित की जायेगी । माननीय सभा-नेता ने यह भी बताया कि उक्त अधिसूचना सभा पटल पर रखी जायेगी और यदि आवश्यक हुआ तो इस पर सभा में चर्चा भी की जायेगी ।

श्री कामत : जब तक सरकार मूल्य आदि के सम्बन्ध में अपना निश्चय न कर ले तब तक इस चर्चा को स्थगित क्यों न कर दिया जाये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्री कामत ने जो कुछ कहा उससे तो और भी विलम्ब होगा । एक बार जब सभा ने एक सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया तो फिर विलम्ब करने से क्या लाभ ? विरोधी दल के सदस्यों ने जो बातें कही, हम उन पर पूर्णरूपेण विचार करने के लिये तत्पर हैं । यदि आवश्यक हुआ तो हम इन चीज़ों को स्पष्ट करने के लिये संशोधन रखेंगे क्योंकि हम चाहते यह हैं कि न तो इसमें किसी प्रकार की भ्रांति रहे और न किसी को धोखा देने का ही अवसर मिले । यदि यह चीज़ विधि में नहीं आने पाई है तो हम उसे स्पष्ट करने के लिये कुछ संशोधन भी करेंगे । पैसे को रखने का हमारा पूरा इरादा और इच्छा है । छोटे छोटे प्रविधिक मामलों की जांच करनी पड़ेगी । वास्तविक कार्य करने से पूर्व हम इस मामले को सुअवसर पर सभा में रखेंगे जिससे सभा को इस पर विचार करने का अवसर मिल सके ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ।।

Shri S. S. More : Is this the amendment proposed ?

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं इस धारा का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कल मुझे यह जान कर अचम्भा हुआ कि सारे भारत के प्रतिनिधियों की इस संसद् में जहां दशमलव पद्धति का समर्थन किया गया और कहा गया कि वह हमारे प्राचीन भारत की प्राचीन गणित पद्धति का एक भाग है और उसका आविष्कार पन्द्रह शताब्दी पूर्व किया गया---किसी ने कहा कि पांच छः शताब्दी पूर्व किया गया---वहां किसी ने यह नहीं सोचा कि हमारी वर्तमान मुद्रा में भी हमारी प्राचीन पद्धति का संकेत पाया जाता है या नहीं । हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसका प्रमाण विद्यमान है । आप बाल्मीकी रामायण को उठा कर देखिये । उसमें इस बात का उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर जिन बालकों ने रामायण गा कर सुनाई, उनको---लव तथा कुश को---राम ने दस हज़ार मुद्रा पुरस्कार के रूप में देने के लिये लक्ष्मण को आज्ञा दी । भारत में प्राचीन काल में रत्न और स्वर्ण की मुद्रा का प्रचलन प्रसिद्ध था । जिन मित्रों ने कहा है कि दशमलव पद्धति का आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ था,

[श्री नन्द लाल शर्मा]

उनको शुक्ल यजुर्वेद संहिता की इन पक्तियों से भी अवश्य परिचित होना चाहिये ।

एका च त्रयश्च मे त्रयश्च मे
त्रयश्च मे पंच च मे

और

चतस्त्रश्च मे अष्टौ च मे आदि आदि

में यह निवेदन करना चाहता हूं कि गिनती की सब पद्धतियों में से केवल दशमलव पद्धति ही सब से उत्तम और सरल नहीं है—और भी कई गिनती की पद्धतियां है । कल हमारे प्रधान मंत्री ने एक यूनिफ़ार्मिटी की बात कही । उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट लोगों को अपनी लेबोरेटरीज़ में मापने और तोलने के लिये जिस पद्धति का अनुसरण करना पड़ेगा, अपने नित्य के जीवन में भी हम को उस पद्धति का अनुसरण करना चाहिये । मैं समझता हूं कि एलौपथी और आयुर्वेदिक शास्त्र जिस प्रकार से औषधि खाने को कहते हैं साधारण प्राणी अपने भोजन में उनकी आज्ञा का पालन तो नहीं करता है कि मैं ने इतना विटामिन खाना है, इत्यादि । वह ो समय और आवश्यकता के अनुसार भोजन करता है । यूनिफार्मिटी का यह अर्थ नहीं है कि नाक और टांग एक जैसी बन जाये या सिर और पेट को बराबर बना दिया जाये । हर बात का प्रोपोर्शन होना चाहिये ।

Deputy-Speaker : Order, order: The hon, Member is aware that the House has accepted the principle of the Bill. We are on this clause as to whether it is to be divided into half-rupee, quarter-rupee, annas, pies, *paisas* etc. That is the only point here, There is no use going back to the general principle whether decimal order is to be accepted or not.

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं समझता हूं कि मुझे धारा २ पर बोलने का अधिकार है ।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां पुरुषों की सोलह कला मानी गई है ।

षोड़श कलोऽय पुरुषः

इसी प्रकार चन्द्रमा की सोलह कला हैं । उसकी चौसठ कला भी मानी गई हैं । सूर्य की बारह कला के अनुसार फिर बारह अंश कर दिये गये हैं । इसी आधार पर हमारे यहां रुपये, आने और पैसे की व्यवस्था चल रही है । उसका भी एक वैज्ञानिक आधार है । इस लिये इस व्यवस्था को समाप्त करते समय हम इस बात का ध्यान रखना चाहिये । यहां पर एक व्यापारी ने कह भी दिया है कि वर्तमान पद्धति के कारण कैलकुलेशन में कोई कष्ट नहीं होता है । उनका कहना है कि इसकी तुलना में दशमलव पद्धति के द्वारा इतनी जल्दी केलकुलेशन करना सम्भव नहीं है ।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब संशोधित धारा में "सेन्ट" शब्द का परित्याग कर दिया गया है । परन्तु अभी तक यह निश्चय नहीं किया गया है कि यदि सेन्ट न होगा, तो उसके स्थान पर कौन सा यूनिट होगा ? यद्यपि अभी मुझे रोक दिया गया है कि इस बिल सिद्धान्ततः हम अपने पर जो विचार प्रकट कर चुके हैं, उनके आग अब कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है परन्तु मैं इतना निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में एक बार फिर विचार करे । जैसा कि मेरे कई पूर्व वक्ता भी कह चुके हैं, इस परिवर्तन में दस पन्द्रह करोड़ रुपये का व्यय होगा, जनता को कष्ट होगा और हमारे व्यापार के क्षेत्र

में भी बहुत सी बाधायें उपस्थित होंगी । मैं बताना चाहता हूं कि अपनी प्राचीन गणित पद्धति का ध्यान न कर के केवल दशमलव पद्धति को अंगीकार कर क और रुपये के वर्तमान स्वरूप को हटा देने से जनता को कोई विशेष लाभ नहीं होगा । जनता को लाभ तभी होगा, जब कि उसके पास रुपया आयेगा । आज तो यह अवस्था है कि क़ाग़ज़ का पैसा है और क़ाग़ज़ का रुपया है, जो कि पानी पड़ने और अग्नि से दो मिनट में शान्त हो जाता है ।

इस परिस्थिति में लोबारेटरी के अन्दर जो गणित पद्धति है वह किसी प्रकार का लाभ जनता को नहीं पहुंचायेगी । जनता को लाभ पहुंचाने का तो मार्ग दूसरा है । इसलिये मैं इस धारा का विरोध करता हूं और कहता हूं कि प्राचीन पद्धति का अवश्य अनुसरण किया जाये ।

श्री वल्लाथरास : प्रस्तुत विधेयक अत्यन्त वांछनीय है, यद्यपि यह तनिक विलम्ब से आया है । सन् १९५० में अन्तर्मंत्रालय समिति ने, जो कि भारत में मेट्रिक प्रणाली चालू करने के प्रश्न के गुणावगुणों पर विचार करने के लिये बनाई गई थी, यह कहा था कि पहले तो वह यह जानना चाहती है कि सरकार को इस देश के लिये मेट्रिक प्रणाली स्वीकार्य है भी या नहीं । अक्तूबर, १९५४ में वित्त मंत्रालय की मंशा यह थी कि अब छोटे मूल्य के सिक्के न रखे जायें और दशमलव टंक प्रणाली बाट एवं माप की मेट्रिक प्रणाली के बाद में लागू की जाये, पहले नहीं । अब योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में सब वाद प्रतिवाद खत्म कर दिया और यह बताया है कि इस प्रस्थापना को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाये ।

आज जन साधारण इस योग्य है कि वह नये पैसे का महत्व समझ सकता है । मैं तो यह चाहता हूं कि यह विधान साल भर के अन्दर लागू हो जाये । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह एक निश्चित काल के भीतर, जो एक या दो साल से अधिक न हो, नया पैसा चालू करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करे । उसे यह सूचना निकाल देनी चाहिये कि अमुक तिथि से नया पैसा चालू हो जायेगा और पाई का चलना बन्द हो जायेगा ।

अन्त में मैं एक बार फिर यह कहूंगा कि इस विधान को शीघ्रातिशीघ्र प्रभावी बनाया जाये । मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि उसने यह महान् निश्चय किया है ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं खंड १४(१) के सरकार द्वारा किये गये संशोधन पर एक संशोधन रखना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि नया रुपया दशमलव रुपया कहलाये जो कि वर्तमान १०० पैसों के बराबर हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह संशोधन नियम विरुद्ध होगा । जहां तक रुपये का सम्बन्ध है, उसमें कोई परिवर्तन करने का इरादा नहीं है । रुपये से छोटे सिक्कों में ही परिवर्तन किया जायेगा । इस लिये मैं इस संशोधन के रखे जाने की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मेरा कहना यह है कि यदि रुपया वर्तमान १०० पैसों के बराबर कर दिया जाये तो अन्तर्वर्ती काल में, कोई कठिनाई नहीं होगी । लोग आसानी से यह समझ जायेंगे कि रुपया का मूल्य अब १६ आने नहीं बल्कि २५ आने हैं ।

निस्सन्देह मैं आप के सिद्धान्त को स्वीकार करता हूं परन्तु हम सोच विचार कर के ऐसी योजना बना सकते हैं जिस से कि जनता को कोई कष्ट न पहुंचे । मैं सरकार से कहूंगा

[श्री वी० जी० देशपांडे]

कि वह इस मामले में जल्दबाज़ी न करे। सारी सभा यह मानने के लिये तैयार है कि हमें न केवल गांव के लोगों बल्कि सभी को कष्ट से बचाना है।

श्री ए० सी० गुह : प्रधान मंत्री ने कल जो कुछ कहा था मुझे उस के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना है। वे पहले ही यह आश्वासन दे चुके हैं कि केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी और यदि आवश्यक हुआ तो अधिसूचना पर वादविवाद भी होगा जिस से कि पता चल सके कि हम इस इकाई का क्या नाम रखेंगे इत्यादि। आवश्यक हो तो सभा उस पर भी चर्चा कर सकती है।

मैं ने पहले ही बता दिया है कि विशेषकर अन्तरिम काल में, जब कि पुराने और नये सिक्के साथ साथ चलेंगे। क्या प्रावैधिक कठिनाइयां होंगी। इस काल के लिये हमें यह प्रबन्ध करना पड़ेगा कि लोगों के लिये कठिनाई कम से कम हो और किसी प्रकार की गड़बड़ न हो। इसी विचार से हम चाहते हैं कि यह शक्ति हमारे पास रहे और बाद में हम नया नाम चुन लेंगे। हो सकता है कि अन्तरिम काल अर्थात् चार या पांच वर्ष के बाद, जब कि पुराने सिक्के बिल्कुल वापिस ले लिये जायेंगे, हमें इस के नाम में कुछ परिवर्तन करना पड़े। इन कारणों से मेरा विचार है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ २ में पंक्ति ९ से २६ के स्थान पर निम्न अंश रखा जाये।"

14 *Decimal system of crinhage*.—

(1) The rupee shall be divided into one hundred units and the new coin representing such unit may be designated by the Central Government, by notification in the Official Gazette, under such name as it thinks fit and the rupee, half-rupee and quarter-rupee shall be respectively equivalent to one hundred, fifty and twenty-five such new coins and shall subject to the provisions of sub-section (1) and sub-section (2) of section 13 and to the extent specified therein, be a legal tender in payment or on account accordingly.

(2) All coins issued under the authority of this Act in any denominations of annas, pice and pies shall, to the extent specified in section 13, be a legal tender in payment or on account at the rate of sixteen annas, sixty-four pice or one hunndred and ninety-two pies to one hundred new coins referred to in sub-section (1), calculated in respect of any such single new coin or number of such new coins tendered at one transaction, to the nearest new coin, or where the new coin above and the new coin below are equally near, to the new coin below.

(3) All references in any enactment or in any notification, rule or order under any

enactment or in any contract, deed or other instrument to any value expressed in annas, pice and pies shall be construed as references to that value expressed in new coins referred to in sub-section (1) converted thereto at the rate specified in sub-section (2)."

["१४ दशमलव टंकन प्रणाली–(१) रुपये को एक सौ इकाइयों में विभाजित किया जायेगा और केन्द्रीय सरकार ऐसी इकाई का प्रतिरूपेण करने वाले नये सिक्के को सरकारी गज़ट में अधिसूचना द्वारा ऐसे नाम से जिसे वह उचित समझे, नामोद्दिष्ट कर सकेगी और रुपया, अठन्नी और चवन्नी क्रमशः एक सौ, पचास और पच्चीस ऐसे नये सिक्कों के बराबर होंगे और धारा १३ की उपधारा (१) और उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन और उन में उल्लिखित सीमा तक तदनुसार भुगतान या लेखे के लिये विधि मान्य होंगे।

(२) इस अधिनियम के प्राधिकार के अधीन जारी किये गये आना, पैसा, और पाई के किसी राशि के सिक्के, धारा १३ में उल्लिखित सीमा तक, भुगतान में या लेखे पर उपधारा (१) में निर्दिष्ट एक सौ नये सिक्कों के बदले सोलह आने चौंसठ पैसे या एक सौ बानवे पाई की दर से, विधि मान्य होंगे, जो किसी एक सौदे में दिये गये ऐसे एक नये सिक्के या बहुत से ऐसे नये सिक्कों के बदले में निकटतम नये सिक्के, अथवा जहां ऊपरी नया सिक्का या निचला नया सिक्का समान रूप से निकट हों, निचले नये सिक्कों के सम्बन्ध में गिना गया हो।

(३) किसी अधिनियम में या किसी अधिनियम के अधीन किसी अधिसूचना, नियम या आदेश अथवा किसी संविदा, विलेख या अन्य लिखत में आना, पैसा और पाई में व्यक्त किये गये किसी मूल्य के लिये सभी निर्देश उपधारा (१) में निर्दिष्ट नये सिक्कों में व्यक्त किये गये उस मूल्य के जो उपधारा (२) में उल्लिखित दर से परिवर्तित किया गया हो, निर्देश समझे जायेंगे।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १—संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

श्री कामत : इस विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित करने के सम्बन्ध में मेरा संशोधन सभा ने स्वीकार नहीं किया है और चूंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है, इसलिये मेरा सुझाव यह है कि सरकार की अधिसूचना द्वारा इसे लागू करने की तिथि १९५७ की कोई तिथि रखी जाये और बीच के काल में इस का खूब प्रचार किया जाय जिससे कि लोग इस की बारीकियों को भली भांति समझ सके।

श्री ए० सी० गुह : माननीय सदस्य न कोई विशेष बात नहीं कही केवल इस का प्रचार करने का सुझाव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया

अधिनियम सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये ।

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

मुझे और कुछ नहीं कहना है । इस विधेयक पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और बीच के लोगों की दिक्कतों को कम करने के लिये सरकार पर्याप्त कार्यवाही करेगी । प्रचार का काम किया जायेगा और लोगों को मैट्रिक प्रणाली के बारे में शिक्षित बनाने के लिये प्रत्येक कार्यवाही की जायेगी । जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से एक अन्य विधान नाप-तोल में मैट्रिक प्रणाली को लागू करने के बारे में यथासमय इस सभा के सामने रखा जायेगा । मुझे आशा है कि १५ वर्ष के समय में सभी केन्द्रों में दशमलव प्रणाली शुरू करना सरकार के लिये सम्भव हो सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भू-सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भू-सीमा शुल्क अधिनियम, १९२४, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह बहुत सामान्य विधेयक है । हम समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की कुछ धाराओं को भू-सीमा शुल्क के बारे में भी लाग करना चाहते हैं । भू सीमा शुल्क अधि-नियम की धारा ९ के अधीन समुद्र सीमा शुल्क की कुछ धारायें पहले से ही भू-सीमा शुल्क के बारे में भी लागू होती हैं । पर सभा को याद होगा कि पिछले सत्र में हम समुद्र सीमा शुल्क की कुछ धाराओं में संशोधन करने वाला एक विधेयक पारित किया था और समुद्र सीमा शुल्क में कुछ कुछ धारायें बढ़ाई गयीं थीं । हम उन धाराओं को भू-सीमा शुल्क के बारे में भी लागू करना चाहते हैं ।

मैं इस अवसर पर इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता । यदि सदस्यों ने कुछ बातों को उठाया तो मैं उनका उत्तर दे सकूंगा । यह साधारण सा विधान है और मुझे आशा है कि यह विधेयक पारित हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री कासलीवाल (कोटा—झालावाड़) : माननीय मंत्री ने इसे साधारण सा विधान बताया है । १९५५ के समुद्र सीमा शुल्क द्वारा पुराने अधिनियम की धारा २५ का संशोधन किया गया था । मुझे माननीय मंत्री से यह पूछना है कि क्या पुराने समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा को यहां रखा जा रहा है, या पिछले संशोधन विधेयक द्वारा संशोधित धारा को ? वह संशोधन भू-सीमा शुल्क के बारे में लागू ही नहीं होता ।

इसी प्रकार उस अधिनियम की धारा ३७ का भी संशोधन किया गया था । जिसमें जहाज के आने का उल्लेख था और जिसका भू-सीमा शुल्क से कोई सम्बन्ध नहीं है । धारा ५७ और ४३ ख को भू-सीमा शुल्क अधिनियम में नहीं रखा जा रहा है । मुझे

माननीय मंत्री से पूछना है कि क्या उन्होंने इन सब बातों पर पूरा-पूरा विचार कर लिया है ?

फिर समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम दंड सम्बन्धी धारा ८१ को भी वह भू-सीमा शुल्क अधिनियम में रखना चाहते हैं, यद्यपि उसमें पहले से ही धारा ७ एक दंड सम्बन्धी धारा है । स्पष्ट ही धारा ८६ के खंड ८ को इसमें नहीं रखा जा सकता ।

मुझे भू-सीमा शुल्क अधिनियम में इन संशोधनों के रखे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है । समुद्र सीमा शुल्क में आधे दर्जन बार संशोधन किये जा चुके हैं । अब संशोधनों के रूप में उन उपबन्धों को भू-सीमा शुल्क अधिनियम में रखा जा रहा है । इसी से यह सब गड़बड़ी पैदा हो गयी है । यदि एक संगठित और एकीकृत विधान रखा जाता, तो जनता को यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होती कि भू-सीमा शुल्क का क्या अर्थ है । हमें पता ही नहीं चलता कि संशोधन वास्तव में क्या है, क्योंकि वे आधे दर्जन बार संशोधित किये गये समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम का ही निर्देश करते हैं । बस मुझे यही कहना है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : लैंड कस्टम्स का जो नया बिल आया है उस के अन्दर एक जनरल बात यह है कि जो एमेण्डमेण्ट सी कस्टम्स ऐक्ट में हुआ था उस को इस बिल के अन्दर भी इनकारपोरेट किया जा रहा है । मेरे लायक़ दोस्त श्री कासलीवाल ने तीन, चार सेक्शन्स की तरफ़ तवज्जह दिलाई जिन में न वेसेल का ही सवाल है और न सी का ही सवाल है । फिर भी उस को भी उस को लैंड में लागू कर दिया गया है । इस में कोई शक़ नहीं है कि जो ओरिजिनल लैंड कस्टम्स ऐक्ट है उस के अन्दर जो आख़िरी दफ़ा ९ है, उस में जनाब मुलाहज़ा फरमायेंगे कि बहुत सी बातें इस तरह से तब्दील कर दी गई हैं और इस तरह से लागू कर दी गई हैं कि जैसे सी के बजाय लैंड कर दिया गया हो, लेकिन वह सिर्फ़ सी कस्टम्स में ही लागू होती । वेसेल की भी तारीफ़ कर दी गई है और उस को सी और लैंड दोनों में ही यकसां लागू कर दिया गया है । मैं यह समझ सकता हूं कि लैंड और सी कस्टम्स ऐक्ट अलाहदा बनाने में दिक्क़त होती इस लिये सी कस्टम्स एक्ट को ही लैंड कस्टम्स के लिये भी लागू कर दिया गया । लेकिन जनाब को याद होगा कि जब पिछली मर्तबा ऐमेण्डमेंट किया गया तो एक दफा से ऊपर बड़ा सख्त-तनाज़ा हो गया जो कि बर्डन आफ़ प्रूफ़ के बारे में थी । मैं उस सारे तनाज़े को रिवाइव नहीं करना चाहता । हाउस के अन्दर फ़ैसला हो गया, और दोनों तरफ़ की बातें सुन ली गईं । लेकिन मैं गुह साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि गो उस वक्त उनकी तजवीज़ पास हो गई लेकिन वह तजवीज़ अपने नेचर से ऐसी है, यानी कि लैंड कस्टम्स में और सीकस्टम्स में बर्डेन आफ़ प्रूफ़ किस पर हो, इसमें दोनों में बहुत ज्यादा फ़र्क है । जो हालात सी कस्टम्स के मुताल्लिक़ हैं वह सारे के सारे हालात लड कस्टम्स को ऐप्लाई नहीं करते । सी कस्टम्स के अन्दर जो स्मगलिंग होती है और लैंड कस्टम्स के अन्दर जो स्मगलिंग होती है वह दोनों आइडेन्टिकल तरीक़े से नहीं होती । दोनों के अन्दर जो परेशानियां हैं उन के अन्दर बहुत फ़र्क़ है । मैं अर्ज़ करूंगा कि पिछले मौक़े पर बड़े जोर शोर से इस हाउस में कहा गया था कि इस बर्डेन आफ प्रूफ़ को चेंज करने से लोगों को बड़ी सख्त तक़लीफ़ होगी और बहुत से बेगुनाह आदमी क्लचेज़ आफ़ ला में आ जायेंगे । मैं गुह साहब की खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूं, गो म

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

इस पुरानी कंट्रोवर्सी को रिवाइव नहीं करना चाहता, लेकिन में इस चीज को अपने दिल से हटा नहीं सकता कि उस वक्त मैंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किये थे, यहां तक कई मिनिस्टर साहबान ने वाकयात के बरखिलाफ कर दी थी कि यह कानून सिर्फ ट्रेडर्स को ही लागू होगा। मैं ने उस वक्त भी कहा था कि यह बात ग़लत है कि इस में ऐमेण्डमेंट करने से सिर्फ़ ट्रेडर्स का ही सवाल है। मैं अब भी अर्ज़ करता हूं कि इस का बहुत बड़ा ताल्लुक़ पब्लिक से है। बर्डेन आफ़ प्रूफ़ के तब्दील करने से नतीजे रिगरगू हो जाते हैं। अगर महज़ किसी ओफ़िशिल के माइण्ड में अगर यह आ जाय कि एक चीज़ स्मगल्ड है तो उस को साबित करने की उस को ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि जब हर एक मुक़दमे में, हर चीज़ में यह साबत करना होता है कि यह चीज़ स्मगल्ड है तो क्यों ऐसे मुक़दमों में यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी आफ़िशियल के दिमाग़ में आ गया कि उसको रीज़नेबुल बिलीफ़ है तो यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि यह स्मगल्ड है। रीज़नेबल बिलीफ़ के क्या माने हैं यह मैं नहीं जानता हूं क्योंकि जहां तक मैं ने क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड को पढ़ा है और उस को समझा है उस के मुताबिक़ तो इस के कुछ भी माने नहीं हैं। हर एक थानेदार को यह अख्तियार है कि रीज़नेबुल बिलीफ़ की बिना पर किसी को भी गिरफ्तार कर ले, चाहे बाद में वह, आदमी छटता ही फिरे। यह अलफ़ाज़ वेग अनइनटलिजिबल और फ्लेक्सीबल हैं और हर एक चीज़ इस में आ जाती है। इस का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। रीजनेबल बिलीफ़ के अल्फ़ाज़ को रखने से यह नतीजा निकलेगा कि जो बर्डन आफ़ प्रूफ़ होगा वह एक्यूज्ड पर पड़ेगा। पिछली मर्तबा यह ग़लती हो गई थी और अब मैं चाहता था कि इस ग़लती को फिर नये सिरे से देखा जाता। पिछली दफ़ा जब सी कस्टम्ज़ बिल पर बहस हुई थी उस वक्त मैं ने और श्री टेक चन्द जी ने कई मिसालें दी थीं कि इस से कितनी ज्यादा तक़लीफ़ होगी। उस वक्त यह सवाल तय कर दिया गया था। अब उसी के आधार पर और उसी बिल की प्रॉविज़न के बेसिस पर लैंड कस्टम्स बिल तैयार किया गया है। मैं समझता हूं कि इस से आसान और कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। इस तरह से एक से क़ानून बना देना ठीक नहीं है। हालात डिफ़रेण्ट होते हैं और उन हालात को देखते हुये ही बिल तैयार किये जाते हैं। अगर ऐसा न हो तो बड़ी दिक्क़तें पेश आती हैं। मुझे एक मिसाल याद आती है :

हिसाब ज्यों का त्यों
कुंबा डूबा क्यों ?

मैं अर्ज़ करता हूं कि यह दोनों चीज़ें एक तरह की नहीं हैं। आप को उन्हीं बातों को रिपीट नहीं करना चाहिये था। मैं जानता हूं कि यह बिल चन्द मिनटों में पास हो जायगा। मैं जानता हूं कि सी कस्टम्स बिल जो पास हो चुका है उस से लोगों को बहुत ज्यादा तक़लीफ़ होगी लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल से लोगों को और भी ज्यादा तक़लीफ़ होगी। इस लिये मैं अर्ज़ करता हूं कि कम से कम गुह साहब हम को यह एशोरेंस दे दें कि अगर दो बरस या तीन बरस के बाद उन के नोटिस में यह चीज़ आये कि इस से इन्नोसेंट आदमियों को तक़लीफ़ हुई है तो वह इस को चेंज करेंगे। मैं उन लोगों के बारे में नहीं कहता जो स्मगल करते हैं, उन के लिये तो सख्त से सख्त क़ानून अगर आये तो मैं उस का स्वागत करूंगा और चाहता हूं कि उन को सख्त सज़ा मिले। मैं सिर्फ़ इन्नोसेंट पब्लिक को बचाना चाहता

हूं। उन के काज़ को मैं प्लीड करता हूं। मैं मानता हूं कि गुह साहब आंखें खोल कर चलते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वे हम को कम से कम यह एशोरेंस ज़रूर दे दें कि अगर उन के नोटिस में यह आये कि इस से इन्नोसेंट लोगों को तक़लीफ़ हुई है तो वह इस को चेंज करेंगे। अगर वह यह एशोरेंस दे दें तो मेरा ख़्याल है कि इस हाउस के सब मेम्बर इस बिल को पास करने के लिये एक मत हो सकते हैं। मैं तो चाहता था कि वह अभी कोई एमेंडिंग बिल लायेंगे और दरअसल मैं ख़ुद एक अमेंडिंग बिल लाना चाहता था ताकि इस पर दुबारा बहस हो सके। लेकिन हाउस के रूल्ज़ के मुताबिक़ छः महीने के पहले कोई ऐसा बिल नहीं लाया जा सकता है। इस लिये मैं चाहता हूं कि वह यह एशोरेंश दे दें.....

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : कौन सी क्लाज़ ऐसी है जिस का कि मेरे दोस्त ज़िक्र कर रहे हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे ख़ुशी है कि हमारे मिनिस्टर साहब ने यह जानने की कोशिश की कि वह कौन सी क्लाज़ है। मैं समझता था कि अब उन को फाइनेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी ख़ुशी है कि वह इस में हिस्सा लेने को तैयार हैं। मैं उन को.....

श्री ए० सी० गुह : आप को मालूम होना चाहिये कि ज्वायंट रिसपौंसिबिलिटी है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यानी जब डिफेंस का मामला आयेगा तो यह नहीं बोलेंगे या बोलेंगे और आप बोलेंगे।

ख़ैर मैं अर्ज़ करता हूं कि वह दफ़ा जो मेरे दोस्त ने पूछी है वह दफ़ा है १७८ (ए) जिस के अन्दर बर्डेन आफ़ प्रूफ़ का ज़िक्र किया गया है। मेरा ख़्याल है कि जब सी कस्टम्ज़ बिल ज़ेरे ग़ौर था उस वक्त त्यागी साहब बहस में मौजूद नहीं थे। उस वक्त कई मिसालें दे कर समझाया गया था कि बर्डन आफ़ प्रूफ़ जो एक्यूज्ड पर डाला गया है यह कितना हार्श है। मैं एक मिसाल देकर आज फिर इस को वाज़े कर देना चाहता हूं। आज आप बाज़ार में जाते हैं और एक फाउंटेन पैन ख़रीदत हैं और वह फाउंटेन पैन अगर स्मगल्ड गुड्स में से है और आप के क़ब्ज़े से पकड़ा जाता है तो चाहे आप ने उसको बाज़ार से ख़रीदा हो तो उस सूरत में आप को यह साबित करना होगा कि यह स्मगल्ड नहीं है .....

श्री त्यागी : अगर चोरी का माल किसी सुनार के यहां से पकड़ा जाता है तो सुनार को साबित करना होगा कि यह चोरी का माल नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अब आप ठीक रास्ते पर आये। सुनार के कब्ज़े में जो माल है जब तक आप यह साबित न कर दें कि यह चोरी का माल है आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस बिल के मुताबिक़ आप यह एज्यूम करते हैं कि यह चोरी का माल है। यह है इन दोनों में डिफ़ेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप की समझ में आ गया होगा कि बर्डन आफ़ प्रूफ़ किस पर है।

श्री ए० सी० गुह : यह अब पुरानी बात हो गई है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तो मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि बर्डन आफ़ प्रूफ़ एक्यूज्ड पर न हो बल्कि इस्तगासे पर हो। इस बात को साबित करना कि यह स्मगल्ड चीज़ है इस्तगासे का काम होना चाहिये। जब मैं यह कहता हूं तो मैं इन्नोसेंट आदमियों के काज़ को सामने रख कर कहता हूं कि कहीं

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उन को तक़लीफ़ न हो । जो वाक़ई में गुड्स स्मगल करते हैं मैं चाहता हूं कि उन को सख्त से सख्त सज़ा मिले । मेरी तो सिर्फ़ इतनी सी दरख्वास्त है कि यह देखा जाये कि इस से इन्नोसेंट आदमियों को तक़लीफ़ न हो । मैं चाहता था कि इस के बारे में अभी कुछ कर दिया गया होता और मैं यह भी विचार कर रहा था कि मैं एक प्राइवेट बिल लाऊं लेकिन जो प्राइवेट बिल्ज़ का हाल होता है वह आप को मालूम है । इस लिये मैं कोओप्रेटिव स्पिरिट में काम करने पर बिलीव करता हूं । अगर आप मेरी इतनी छोटी सी बात को भी नहीं मानते जो मैं ने अभी अर्ज़ की है तो फिर जो कुछ होगा देखा जायेगा । मैं अर्ज़ करता हूं कि जो सैक्शन वेसल के बारे में है या शिप के बारे में है और जिन का कोई ताल्लुक़ लैंड से नहीं है उस की तरफ़ भी आप ग़ौर करें । जो चीज़ सी पर लागू होती है वह आप लैंड पर लागू न कर दें । अगर लैंड कस्टम्ज़ बिल में टांगे का ज़िक्र होता तो माना जा सकता था । इस वास्ते मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप इन बातों का भी ध्यान रखेंगे । आप ने फ़रमाया कि हमारे सब-इन्स्पैक्टर्ज़ और लैंड कस्टम्ज़ आफ़िसर बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे अफ़सर हैं । जैसे सब-इन्स्पैक्टर्ज़ हैं वह तो हम जानते हैं ही और अगर लैंड कस्टम्ज़ अफ़सर अच्छे आदमी हैं तो मैं उन्हें मुबारिक़बाद देता हूं । इस से और ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है । लेकिन मैं तो सिर्फ़ इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आप के नोटिस में दो तीन बरस के बाद ऐसी बात आवे जिस से कि यह पता लगे कि इन्नोसेंट आदमियों को तक़लीफ़ होती है, तो आप इस को रिव्यू करें और लैंड और सी कस्टम्ज़ बिल्ज़ के बारे में इन चीज़ों को ध्यान में रखते ये मनासिब तरमीमी बिल लायें ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : समुद्र सीमा शुल्क सम्बन्धी सभी बातें स्थल सीमा शुल्क के बारे में लागू नहीं की जा सकतीं । यदि समुद्र पार या अन्य प्रदेशों से सम्पत्ति लेकर आने वाले व्यक्ति सीमा शुल्क न देना चाहें, तो उन्हें यह सब सिद्ध करना होगा । पंडित ठाकुर दास भार्गव के शब्दों में यह विधि पारित करना ठीक न होगा । माननीय मंत्री इसे वापस लेकर इस पर पुनः विचार कर लें । मान लो बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में किसी के पास कुछ पित्रागत या अन्य सम्पत्ति है, तो पदाधिकारी जा कर उसे तंग कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि यह सम्पत्ति कहां से आई । यह विधि सदोष होगी । इसे सिद्ध करने का भार समुद्र सीमा शुल्क की भांति तथाकथित अपराधी पर होगा । इस प्रकार की कठिनाइयां और गड़बड़ी बढ़ाने वाला विधेयक हमें पारित नहीं करना चाहिये । आशा है, मंत्री जी यहां पर कही जाने वाली बातों को ध्यान में रखते हुये इस विधेयक को वापस लेंगे और यदि आवश्यक हो, तो एक पृथक् और स्पष्ट विधेयक रखेंगे, जिस में सिद्ध करने का भार समुद्र सीमा शुल्क की भांति तथाकथित अपराधी पर न हो । अतः आशा है कि माननीय मंत्री लोगों की व्यर्थ की परेशानी बचाने के लिये इसे वापस ले लेंगे ।

श्री टेक चन्द (अम्बाला—शिमला) : सिद्धान्ततः विधियों का ज्ञेय होना आवश्यक है, जिससे अनजान व्यक्ति भी उनको समझ सकें । विधि को गूढ़ रख कर लोगों को फंसाना ही उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिये ।

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १७८-क की वांछनीयता को लेकर बहुत कुछ आलोचना की गयी थी । अब वही उपबन्ध चुपचाप भू-सीमा शुल्क के बारे में भी रखा जा रहा है । कोई सम्पत्ति छुपे-चोरी

लायी हुई सम्पत्ति नहीं है, यह सिद्ध करने का भार सम्बन्धित व्यक्ति पर डाला जा रहा है। यह तो लोगों को एक सताने वाली बात है। आपके सीमा शुल्क पदाधिकारी के ऊपर निर्भर होगा और वह किसी भी व्यक्ति से कह सकता है कि उसके पास यह जो फाउंटेन पैन या कोई अन्य वस्तु है, यह छुपे-चोरी लाई हुई वस्तु है और इस के लिये वह व्यक्ति तब तक दोषी रहेगा, जब तक वह अपनी निर्दोषिता सिद्ध न कर दे। क्रय की तारीख और कैश मीमो आदि के सिवा यह सिद्ध करना बड़ा कठिन होगा। इस प्रकार अनायास एक आपराधिक प्रकार का अभियोग चलाया जा सकेगा।

फिर इस विधेयक में, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, बिना विचारे समुद्र सीमा शुल्क के उपबन्ध रखे जा रहे हैं और धरती पर भी समुद्री जहाज़ चलाये जा रहे हैं और हमसे पूरी गम्भीरता के साथ इसका समर्थन करने को कहा जा रहा है। इस प्रकार के उपबन्धों और आलेखन से हम अपने आप को इस विधान को पढ़ने वाले विदेशियों और देशवासियों के समक्ष हास्यास्पद बना रहे हैं।

जल्दी में बनाये गये विधान गड़बड़ी ही पैदा करते हैं। इस प्रकार का आलेखन करने वालों की ओर हमसे इस प्रकार के विधान स्वीकार करने के लिये कहने वालों की कोई भी प्रशंसा नहीं करेगा।

श्री ए० सी० गुह : माननीय सदस्यों को कुछ ग़लतफ़हमी हो रही है। समुद्र सीमा शुल्क की धारा ३७ पहले से ही भू-सीमा शुल्क अधिनियम में अनुसूची में विद्यमान है और सम्भवतः धारा ७ अथवा ८ को छोड़ कर वे सब धारायें वर्तमान अनसूची में दे दी गई हैं।

श्री टेकचन्द : तभी एक बार की गई गलती आगे भी चलाई जा रही है।

श्री ए० सी० गुह : ग़लती कुछ नहीं है। जब यह धारा ३७ भू-सीमा शुल्क अधिकारियों के लिये उपयोगी रही है तो उसका रखा जाना उचित ही है।

श्री कासलीवाल : माननीय मंत्री को भारी ग़लतफ़हमी है। मैं ने पूछा था कि पुरानी धारा ३७ को रखा जा रहा है या नई धारा को? १९५५ के विधेयक द्वारा संशोधित धारा ३७ में 'जहाज़' (वैसिल) शब्द रखा गया है।

श्री ए० सी० गुह : कोई भी धारा पुरानी धारा ३७ नहीं कही जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई धारा पुरानी धारा ३७ नहीं हो सकती।

श्री टेक चन्द : तब और भी बुरा है।

श्री ए० सी० गुह : धारा ३७ का संशोधन हो चुका है और नई धारा ३७ ही अधिनियम की संगत धारा है। धारा ३७ का संशोधन भी क्या है, केवल व्याख्या ही वास्तविक और मूल धारा यथापूर्व है। केवल व्याख्या में संशोधन किया गया है। और यह धारा भू-सीमा शुल्क के लिये आवश्यक है, क्योंकि भू सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत आयातित या निर्धारित किसी पदार्थ से सम्बन्धित शुल्क-दर या प्रशुल्क मूल्य उस बारे में भी लागू होता है। अन्तर यही होगा कि प्रविष्टि पत्र के स्थान पर हमें आयात सम्बन्धी आवेदन पत्र लेनी होगी। अतः इतने वर्षों तक सरकार निरर्थक सी बात ही नहीं करती रही है।

श्री टेक चन्द : क्या मैं एक स्पष्टीकरण करा सकता हूं। धारा ३७ में जहाज (वैसिल) शब्द १९५५ में ही रखा गया था। पहली अनुसूची में धारा ३७ के निर्देश का अर्थ था, जहाज़ (वैसिल) शब्द से रहित धारा का निर्देश। अब आप उसे भू-सीमा शुल्क अधिनियम में भी रखना चाहते हैं।

श्री ए० सी० गुह : पहले विधेयक में भी प्रविष्टि पत्र का निर्देश तो था ही, भू-सीमा शुल्क अधिनियम में प्रविष्टि-पत्र के स्थान पर हम आयात सम्बन्धी आवेदन पत्र लेते हैं ।

श्री कासलीवाल : और धारा २५ ?

श्री ए० सी० गुह : वह पहले भी थी।

श्री कासलीवाल : अब वह संशोधित हो गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इस प्रकार की जिरह की अनुमति नहीं दे सकता । श्री कासलीवाल को अपनी बात स्पष्ट करने के लिये पूरा-पूरा अवसर दिया गया था । अब माननीय मंत्री के भाषण के समय वह इस प्रकार प्रश्न नहीं पूछ सकते । यह बिल्कुल ही गलत प्रक्रिया है । प्रत्येक सदस्य को एक ही बार अवसर मिलेगा।

श्री ए० सी० गुह : धारा २५ के बारे में भी कोई मुश्किल नहीं है । यह प्रत्याहरण (ड्रॉबैक) का निर्देश करता है । वस्तुओं का निर्यात समुद्र और भूमि दोनों ही से हो सकता ह । यदि भूमि की ओर से होता है, तो यह प्रत्याहरण वाली धारा लागू होगी । अतः भू-सीमा शुल्क के विषय में इस धारा को रखने से कोई मुश्किल या गड़बड़ी न होगी।

फिर पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा उठाई गई बात के बारे में मैं यह नहीं भूला कि वे यह सब बात उठायेंगे । अतः इस सभा में विधेयक को लेकर आने से पहले मैंने इस बारे में विशेष जांच कर ली थी कि समुद्र सीमा शुल्क की संशोधित धारा ने कैसे काम किया है । मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमें जो सूचना मिली है, उसमें इस धारा के सम्बन्ध में विशेष अधिक भयभीत होने का कोई कारण नहीं है । कलकत्ता और मद्रास की ओर से हम अब तक यह सूचना प्राप्त कर सके हैं कि उन्होंने जिस संशोधित धारा—धारा १७८—का उल्लेख किया है उसके अधीन वहां कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बम्बई से हम एक मामला धारा १६७ (८१) चौर्यानयन के लिये अभियोग चलाना के अधीन, एक मामला धारा १७१ क, साक्ष्य देने के लिये व्यक्तियों को बुलाने का अधिकार, के अधीन, और चार मामले धारा १७२, दस्तावज़ों को पकड़ने का अधिपत्र के अधीन प्राप्त हुये हैं । फिर धारा १७८ क है—वह धारा जो पंडित ठाकुरदास भार्गव और श्री टेक चन्द के विचार में है—इसका सम्बन्ध नगर में पकड़े गये कुछ सोने व हीरों से है, और हो सकता है कि इसम प्रमाण का भार सम्बन्धी उपबन्धक सम्मिलित हो । इमें नये उपबन्ध को कार्यान्वित करने में हम अब तक किसी सीमा शुल्क अधिकारी की शिक़ायत नहीं मिली है । मैं उन्हें यह भी बता सकता हूं कि हमारी अन्तिम सूचना के अनुसार बम्बई में स्वर्ण और अन्य बहु मूल्य पदार्थों का चौर्यानयन कम हो गया है ।

श्री टेकचन्द ने धारा १७८ क पर अपने पिछले भाषण का उल्लेख किया था, परन्तु मेरा ख्याल है कि वह यह नहीं भूले हैं कि वह खंड, जिस रूप में मूल विधेयक में रखा है, पूर्णतया परिवर्तित कर दिया गया था और अब कोई भी उनसे कोई पूछताछ नहीं कर सकता । अब यह थोड़ी ही वस्तुओं पर लागू होता है, अर्थात् स्वर्ण, स्वर्ण की बनी वस्तुयें, हीरा और अन्य बहुमूल्य पत्थर, सिगरेट, सौंदर्य प्रसाधन तथा अन्य वस्तुयें जिनकी सरकार सुचना दे, और यह अधिसूचना लोक सभा के पटल पर रखी जायेगी । यह इतना व्यापक नहीं है जितना कि मल रूप में था । सभा में दिये गये अपने वचन के अनुसार हमने अपने सारे सीमा शुल्क अधिकारियों को विशेष निर्देश दे दिये हैं कि इस धारा का प्रयोग सावधानीपूर्वक और यह ध्यान रख कर किया जाये कि उनकी अति इच्छा

से लोगों को अनुचित कठिनाई न हो। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने मुझ से जो आश्वासन मांगा है वह मैं दे सकता हूं कि हम इस मामले में समय समय पर परीक्षा करायेंगे। यदि हमें बहुत सी शिक़ायतों का पता लगता है या इस धारा के प्रयोग से बहुत कठिनाई हुई है, तो हम देखेंगे कि इस मामले में क्या कया जा सकता है। परन्तु मैं उन्हें यह आश्वासन भी दे सकता हूं कि अब तक कोई शिक़ायत नहीं मिली है। दूसरी ओर, स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य पदार्थों के चौर्यानयन में पर्याप्त कमी हो गई है। यह हमारी सूचना है। अतः मैं आशा करता हूं कि इस छोटे से विधेयक के बारे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भू-सीमा शुल्क अधिनियम, १९२४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ और २ विधयक में जोड़ दिये गये। अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में ओड़ दिये गये।

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्यिक) नियंत्रणविधेयक

वाणिय और उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मद्यसारिक औषधियों तथा अन्य उत्पादों के अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य परलोक हित में कुछ प्रतिबन्ध लगाने, और उनसे सम्बद्ध कुछ अन्य मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के अनुसार ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने के कारण ये हैं कि भारत के अनेकों राज्यों में मद्यनिषेध के परिणाम स्वरूप औषधिक या लगभग औषधिक उत्पादों का उपभोग बहुत बढ गया है। अतः, विधेयक में प्रस्ताव है कि ऐसी वस्तुओं का अन्तर्राज्यिक व्यापार नियन्त्रित किया जाये, ताकि मद्यनिषेध की नीति, जो भारत के अनेकों राज्यों में लागू की जा रही है, और जो संविधान का निदेशात्मक सिद्धान्त है, अधिक दृढ़ता से लागू की जा सके। राज्य केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करते रहे हैं कि संविधान अनुच्छेद ३०२ के अधीन विधान बनाया जाये ताकि वह समस्त राज्यों पर लागू हो सके। अतः यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और हमें आशा है कि संविधि-पुस्त में इस विधेयक के उपबन्धों के सम्मिलित होने से कुछ उत्पादकों को दुरुपयोग को, जो अब बाज़ार मिलते हैं, रोका जा सकेगा विद्यमान परिस्थिति का सामना करने के विद्यमान विधान राज्यिक या केन्द्रीय, पर्याप्त नहीं है। इस मामले में अधिकतर राज्यों से परामर्श किया गया था और वे केन्द्रीय सरकार द्वारा यह विधान बनाये जाने से सहमत है।

अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि मद्यसारिक औषधियों तथ अन्य उत्पादों के अन्तर्राज्यिक व्यापार

[उपाध्यक्ष महोदय]

तथा वाणिज्य पर लोक हित में कुछ प्रतिबन्ध लगान, और उनसे सम्बद्ध कुछ अन्य मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : मैं इस विधेयक का समर्थन व स्वागत करता हूं क्योंकि कम से कम इस से मेरे राज्य में अर्थात् बम्बई राज्य में, मद्यनिषेध को लागू करने में कुछ सहायता मिलेगी । मेरे राज्य में १९५० में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया गया था । परन्तु बाद में बुलसारा के मामले में बम्बई के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मद्यसारिक उत्पादों पर नियंत्रण करने वाली धारा असंगत है । तब से लोग टिंचरों का प्रयोग बड़ी मात्रा में करने लगे हैं । क्योंकि अन्य राज्यों से टिंचर मंगाने पर नियंत्रण करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है । अनेकों प्रकारों की टिंचरों का प्रयोग होता है और मद्यसारिक उत्पादों से वास्तव में मद्यनिषेध प्रभावहीन हो रहा है । क्योंकि यह विधेयक बम्बई राज्य में मद्यसारिक उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाता है इस लिये मैं इसका स्वागत करता हूं ।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । जो लोग टिंचरों का व्यापार करते हैं, वे मद्यनिषेध में बाधक होते हैं । अतः मेरा सुझाव है कि मद्यनिषेध में बाधक बनने वालों को वैकल्पिक दंड—दण्ड या कारावास—की बजाय दोनों और कठोर दंड मिलने चाहियें । यदि माननीय मंत्री वास्तव में इस विधेयक को सफल बनाना चाहते हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि वह मेरे द्वारा सुझाये गये संशोधनों को स्वीकार करें।

गैर सरकारी सदस्यों क विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

३१ वां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ३१वें प्रतिवेदन से, जो २७ जुलाई, १९५५ को इस सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

यह एक साधारण प्रतिवेदन है जिसमें प्रस्तुत किये गये संकल्पों के लिये समावंटन का उल्लेख है, और मैं इसको स्वीकृति के लिये सभा से सिफ़ारिश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ३१वें प्रतिवेदन से जो २७ जुलाई १९५५ को इस सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

केन्द्रीय कृषि वित्त निगम सम्बन्धी संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री एस० एन० दास द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर आगे विचार विमर्श करेगी कि इस सभा का मत है कि देश में कृषि कार्य के लिये सुविधा देने की दृष्टि से केन्द्रीय कृषि वित्त निगम की तुरन्त स्थापना की जाये । पहले श्री एन० बी० चौधरी ने एक संशोधन भी प्रस्तुत किया था । इस संकल्प के लिये तीन घंटे का समय नियत है और उनमें से डेढ़ घंटा लिया जा चुका है । जिन सदस्यों ने संशोधनों की पूर्वसूचना दी है, वे अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री सिंहासन सिंह, श्री बी० के० दास और श्री बोगावत के संशोधन प्रस्तुत हुये ।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन दक्षिण) : विगत २२ अप्रैल को जब यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ, उस के बाद स्टेट बैंक आफ़ इंडिया बिल और रिज़र्व बैंक ऐमेण्डमेंट बिल भी पास हुये, जिन से आशा थी कि जल्दी से जल्दी कृषकों की दशा सुधारने के लिये कोई कार्यवाई की जायेगी। हम लोग आज तीन महीने बाद या उस से भी अधिक दिनों पर यहां मिल रहे हैं। अभी तक मालूम नहीं हुआ कि इन तीन महीनों के बीच में गवर्नमेंट ने किसानों की दशा सुधारने के लिये स्टेट बैंक आफ़ इंडिया की मारफ़त या रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया की मारफ़त कोई क़दम उठाया या नहीं उठाया। मैं उस वक्त कह रहा था कि सरकार की कुछ ऐसी आदत होती है कि वह विलम्ब से काम करती है। जब काम का समय निकल जाता है तब उस काम को किया जाता है। आप देखेंगे कि तकावी का लोन बंटता है, ख़ास कर जब कोई नैचुरल कलैमिटी आती है, जैसे बाढ़ वग़ैरह हैं, लेकिन वह बंटता कैसे है ? जब बाढ़ समाप्त हो जाती है, लोगों के खेत बोये जा चुके होते हैं और जब कृषक अच्छे या बुरे बीज महाजनों से ले कर बो चुके होते हैं, तब उन को तक़ावी लोन मिलते हैं। नतीजा यह होता है कि उस पैसे को किसान लोग खेत में न लगा कर, क्योंकि फ़सल का समय तो बीत जाता है, उसे अपने खाने पीने में ख़र्च कर देते हैं। उस के बाद जब रुपये की वसूली का समय आता है तो न किसानों के खेत में फ़सल ही होती है और न वह रुपया ही दे सकते हैं। अब जब प्रासेस वारेण्ट इश्यू होते हैं तो जो लोग वसूली करने आते हैं उन को कुछ दे ले कर उस वारेण्ट को किसान टालता है। और इस तरह से दो, चार, दस मर्तबा टालने में प्रासेस का ख़र्चा बढ़ जाता है और उन को ड्योढ़ा या दूना रुपया देना पड़ता है, नज़राने के अलावा। नज़राना भी जोड़ लिया जाये तो जो तक़ावी उन को मिलता है उस का तिगुना कम से कम देना पड़ता है।

मैं कह रहा था कि सरकार जो काम करती है वह समय के बाद होता है। मैं इस की तरफ़ भी माननीय मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, लेकिन वह इस समय हैं नहीं।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : एक और मंत्री भी हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : सम्भवत मैं जो कह रहा हूं वह नहीं समझते। मैं कह रहा था कि किसानों की हालत बड़ी ख़राब है। इस में कोई शक़ नहीं कि सरकार किसानों के लिये कुछ करना चाहती है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि जब वह प्राइवेट मेम्बर थे तो उन्होंने बहुत बार इस ओर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित किया था, वह कहते थे कि वह बड़े मुस्तैद पहले थे। मैं चाहता था कि उन की वह मुस्तैदी बरकरार रहती, उन का जोश वही रहता। हम समझते थे कि शायद उन के गवर्नमेंट में चले जाने के बरस दो बरस बाद किसानों की दशा सुधर जाये, लेकिन वह हुआ नहीं। मैं इसी बात पर आ रहा हूं कि सरकार की कुछ देर करने की आदत हो जाती है और अच्छे काम करने का सारा उत्साह दूर हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसे वह अच्छी तरह जानते हैं। मैं दूसरे प्रान्तों के बारे में तो जानता नहीं लेकिन अपने बिहार प्रान्त में अधिकार के साथ बतला सकता हूं। मैं जानता हूं कि वहां कृषकों की क्या हालत है। उस के दो एक उदाहरण भी मैं ने दिये कि समय पर रुपया न मिलने से वह लोग अपने रुपये को ठीक से खेती में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और इसी लिये वह समय से उस को दे भी

[पंडित डी० एन० तिवारी]

नहीं पाते हैं । उन का क़र्ज़ दिन प्रति दिन बढ़ता चला जाता है ।

मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कोआपरेटिव की बात कही थी । मूवर महोदय ने यह भी कहा था कि किसानों को काफी मात्रा में कोआपरेटिव बैंक्स से या गवर्नमेंट से क़र्ज़ा मिलता नहीं है । अगर उन को तीन परसेंट कोआपरेटिव बैंक्स से तीन परसेंट गवर्नमेंट से और चौदह परसेंट सम्बन्धियों से और बिनये या महाजनों से मिलता है पर उन का काम नहीं चलता । उन को जब रुपये की ज़रूरत होती है तब उन को रुपया नहीं मिलता है । जब उन को रुपये की आवश्यकता होती है अगर उन को उस वक्त रुपया न दिया जाये तो इस से उन को कोई लाभ नहीं होता है । उन को रुपये की आवश्यकता खेती के काम के लिये होती है परतु वक्त पर कर्ज़ा न मिलने से उनको बहुत नुक़सान होता है कोआपरेटिव बैंक जो हमारे यहां काम करते हैं उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है । अव्वल तो वह कोआपरेटिव बैंक जिस ग्राम में होता है वह उस ग्राम का प्रतिनिधत्व नहीं करता और दूसरे वह कुछ ख़ास ख़ास लोगों के हाथ ही में रहता है । इन में से अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो कोआपरेटिव बैंक से रुपया लेकर गरीब किसानों को रुपया देते हैं । हमारे यह आम तौर पर लोग महाजन के पास ज्यादा से ज्यादा जाना पसन्द करते हैं । इस के कुछ कारण हैं । पहला कारण तो यह है कि जो रुपया उन को कोआपरेटिव बैंक चे मिलता उस से उन का काम चल नहीं सकता और दूसरे धीरे धीरे उस रुपये पर ब्याज पड़ कर वह इतना बढ़ जाता है जिस को फिर वे अदा नहीं कर सकते हैं । मनीलैंडर्स बिल जो बिहार में पास हुआ है उसके मुताबिक़ दुगने से ज्यादा रुपया, असल को मिला कर, काश्तकारों को देना नहीं पड़ना है लेकिन यह उसूल कोआपरेटिव बैंक्स पर लागू नहीं होता है । कोआपरेटिव बैंक्स के केस में अगर जो रुपया लिया जाता है उस पर सूद बढ़ने के बाद उस की यदि रक़म दुगनी और तिगुनी भी हो जाय तो भी क़र्ज़ा देना पड़ता ह । सरकारी बैंक डेढ़ परसेंट सूद पर रुपया देते हैं लेकिन कृषकों को यह रुपया ९ परसेंट और १२ परसेंट सूद पर मिलता है । आप ऐसी हालत में खुद ही अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि जो खेती करने वाले हैं और जिन को रुपये की ज़रूरत रहती है और वक्त पर उन को रुपया न मिले तो वे कहां जायें । उन को ऐसी हालत में महाजनों के पास जाना पड़ता है और उन से बहुत ज्यादा दर पर रुपया लेना पड़ता है । ऐस करने पर वे लोग मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनको कई बार तकावी का रुपया वापस करना होता है और कई बार जिन दूसरे लोगों से उन्होंने रुपया लिया होता है उन को वापस करना होता है । वे ऐसा अपने खेतों को मार्टगेज करवा कर रुपया लेते हैं । यह हालत किसानों की है । यह हालत उन किसानों की है जो बिहार में रहते हैं और मैं दूसरे प्रान्तों की बात नहीं जानता । वहां पर बड़े बड़े कारख़ाने भी नहीं है जहां जा कर उनके लड़के नौकरी कर सकें और कुछ कमा सकें । दूसरे प्रान्तों में जहां पर कारख़ाने हैं वहां किसानों के लड़के जा कर नौकरी करते हैं और पैसा कमा कर घर भेज देते हैं और उन का काम चल जाता है । बिहार में जो एक से दो कारखाने हैं भी जैसे टाटा का और सिंघरी का कारख़ाना । इन कारख़ानों में जितने भी बडे बड़े नौकरी वाल हैं वे दूसरे प्रान्तों के हैं और जो बिहार के लोग ह वे इन म कुली इत्यादि का ही काम करते हैं । हमारे यहां काश्तकारों के लिये कोई और दूसरे साधन नहीं हैं जिन को अपना कर वे अपना काम चला सकें ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

इस लिये मैं आप से कहूंगा कि आप जो विचार कर रहे हैं कि हर सब डिवीज़न में स्टेट बैंक की शाखायें खोली जायें यह आप कब करेंगे और मेरा ख्याल है कि जब तक आप इस में सकसेसफुल होंगे उस वक्त तक किसानों की रीढ़ टट जायगी ।

माननीय मूवर महोदय ने कहा कि सन् १९७१ तक और सन् १९८१ तक हमें अधिक अन्न की आवश्यकता होगी और हमें किसानों को हर प्रकार की मदद देनी चाहिये । मैं तो यह कहता हूं कि हिन्दुस्तान में अन्न की कमी कभी नहों हो सकती बशर्ते कि किसानों को हर क़िस्म की फैसिलिटीज़ दी जायें जैसी कि आप बिजनैसमैन को देते हैं । बिजनेसमैन को आप क्रेडिट की फैसिलिटीज़ देते हैं और इसी क़िस्म की और कई फैसिलिटीज़ देते हैं । अगर इसी क़िस्म की फैसिलिटीज़ आप उन को दें तो वे आप को और अधिक अन्न पैदा करके देंगे तब आप को अन्न बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा । मैं तो यहां तक कहता हूं कि अब जब कि उन के पास सिंचाई का प्रबन्ध भी नहीं है वे अन्न की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे ।

आप की जो स्कीम है उस में आप ने कहा है :

> "केन्द्रीय संगठन द्वारा कृषि सम्बन्धी ऋण की वसूली बहुत कठिन होगी । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि वास्तुकला के अनुसार बिना आधार के शिखर बनाना मान्य प्रस्थापना नहीं है । "

मैं सोचता हूं कि आप की कोआपरेटिव की आर्गेनाइज़ेशन ऊपरी सतह से चलती है । यानी प्राविंशियल बैंक, डिस्ट्रिक्ट बैंक, सब-डिविज़नल बैंक इत्यादि यह ठीक है नहीं है । इसके बजाय अगर एक थाने को कोआपरेटिव यूनिट रखा जाये और उस का सीधा सम्बन्ध सब डिविजनल स्टेट बैंक से हो तो यह बहुत अच्छा होगा । इस से खर्चा भी कम होगा और कम सूद की दर पर किसा ों को क़र्ज़ें मिल जाया करेंगे । अब तो कुछ सूद रिज़र्व बैंक ले लेता है, कुछ प्राविंशल बैंक ले लेता है, कुछ सब डिविजिनल बैंक ले लेता है, और इस तरह से जब रुपया किसान को दिया जाता है तो उससे सूद की दर ज्यादा हो जाती है । इस लिये मैं सुझाव देता हूं कि थाने को एक यूनिट बना कर उस का सीधा सम्पर्क सब डिविजनल बैंक से होना चाहिये और उसी की रिकोमेंडेशन पर क़र्ज़ा दे दिया जाये तो बहुत सी बाधायें दूर हो सकती हैं ।

मैं एक दूसरा सजेशन भी देना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि अगर मेरा पहला सजेशन नहीं माना जाये तो इसको मान लिया जाय । आप स्टेट बैंक की मार्फत हर थाने में एक एक एजेंसी रखें और वहां पर आप अपना कोई अफसर रख सकते हैं । जब उस थाने के विल्लेज के लोगों को क़र्ज़ें की ज़रूरत हो तो वहां की विल्लेज कोआपरेटिव और इस अफ़सर की रिकोमेंडेशन पर आप सीधे रुपया दिलवा सकते हैं । ऐसा करने से बीच में जितने भी इंटरमिडियरीज़ होते हैं वे सब खत्म हो सकते हैं और किसानों को सीधे और कम सूद पर रुपया दिया जा सकता है । अगर आप इस बात को भी देखना चाहते हैं कि जिस काम के लिये कर्ज़ दिया जाता है यह उसी काम पर खर्च किया जाये तो यह भी आप कर सकते हैं । लेकिन सब से ज़रूरी चीज़ जो है वह यह है कि किसानों को ठीक समय पर और उपयुक्त मात्रा में रुपया मिले । आज कोआपरेटिव बैंक्स से रुपया लेने के लिये लोग इस लिये नहीं जाते हैं क्योंकि उन को मालूम है कि उन को दूसरे साधनों से रुपया मिल सकत ।है ैर कोआपरेटिव बैंक से उन को उपयुक्त मात्रा

[पंडित डी एन० तिवारी]

में रुपया भी नहीं मिल सकता है । इस लिये यदि आप उन को उपयुक्त मात्रा में रुपया नहीं देते हैं जितना कि उन को खेती के काम के लिये ज़रूरी है तो वह रुपया वेस्ट जाता है । आजकल ऐसा होता है कि अगर किसी कसान को खेती के काम के लिये १०० रुपये की ज़रूरत होती है, बीज, खाद इत्यादि ख़रीदने के लिये और अगर आप उसको सिर्फ़ ५० रुपये ही देते हैं तो वह अपना काम नहीं चला सकता है । परिणाम यह होगा कि वह रुपया वेस्ट हो जायेगा । जब तक इस बात का ठीक इन्तज़ाम और उपाय न होगा कि किसानों को फसल बोने के लिये पर्याप्त मात्रा में रुपया मिल जाय, तब तक उनकी अवस्था नहीं सुधर सकती है । आप वेयर-हाउस बनाने की बात सोच रहे हैं। तब आपको यह काम करना होगा कि हर फसल के बाद अन्न के रूप में रुपया लें और वेयर हाउस में जमा कर दें । इस से गृहस्थों का बोझ कम होगा और आपका रुपया भी सुरक्षित रहेगा। ज्यादा समय नहीं है, इस लिये मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं । आप की नीयत पर किसी को शक़ नहीं ह, लेकिन अगर आप अपनी परिपाटी--लाल फीते वाली परि-पाटी--और अनुपयुक्त समय पर और अन-टाइमली काम करने का तरीक़ा छोड़ दें, तो गृहस्थों की भलाई होगी और सरकार का रुपया भी महफ़ूज़ रहेगा ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुये यह बताना चाहता हूं कि जब कि अन्य विधेयक यथासम्भव शीघ्राति-पूर्वक पारित किये जाते हैं, इस पर इतने अधिक दिनों से अभी तक विचार ही किया जा रहा है ।

कई राज्यों में साहूकारा विधेयक तथा राज्य अर्जन विधेयकों के पारित हो जाने से कृषकों को उधार मिलना बन्द हो गया है । दूसरे मध्य व्यक्तियों से भूमि छीन ली गई जिसके कारण उन्होंने बैल आदि देने बन्द कर दिये हैं । मैं यह बता देना चाहता हूं कि किस कार्य का उत्तरदायित्व लेना तथा उस कार्य को पूरा करना दो पृथक् बातें हैं । अधिकोषण नियम इतने सख़्त हैं कि मैं नहीं जानता राज्य बैंक की शाखा कब तक खुलेगी तथा देहाती क्षेत्रों में यह ऋण किन नियमों के आधार पर देंगी । इसीलिये मेरा विचार है कि इस संकल्प पर हमें अवश्य विचार करना चाहिये । मेरे विचार से एक केन्द्रीय कृषि वित्त निगम स्थापित होना चाहिये जिसकी शाखायें प्रत्येक राज्य में हों तो राज्य बैंक जिसको धन दे । तथा यह निगम कृषकों को सहायता दे ।

इस समय हमारी स्थिति भी अच्छी है । परन्तु हमें इस ओर भी अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि साहूकारों तथा अन्य मध्य-वर्ती व्यक्तियों की समाप्ति पर, हमें इस प्रकार की अवश्य व्यवस्था करनी चाहिये जो कृषकों को रुपया उधार दे सके जिससे उन ग़रीब व्यक्तियों को कठिनाई का सामना न करना पड़े ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : आप जानते हैं कि राज्यों ने कई इस प्रकार के विधेयकों को पारित किया है जिससे कृषकों को रुपया उधार मिलना कठिन हो गया है । कृषि विधेयक से अब किसान अपनी भूमि को गिरवी रख सकेंगे । मैं मानता हूं कि यह सब विधेयक किसानों की भलाई के लिये ही हैं परन्तु इस प्रकार जो सहायता उन्हें मिली वह बहुत ही अपर्याप्त है । इसलिये कृषकों को सहायता देने के लिये हमें 'औद्यो-गिक वित्त निगम' के समान ही एक कृषि वित्त निगम की स्थापना करनी चाहिये

जिससे देश की ७० प्रतिशत जनता को लाभ हो सके। मेरे ज़िले में हर तीसरे अथवा चौथे वर्ष कमी पड़ जाती है तथा विशेषतया कुछ स्थानों में तो किसानों की बड़ी बुरी दशा है। इस वर्ष वर्षा न होने के कारण बड़ी कठिनाई है। कुछ ऋण देने वाली सोसायटियां हैं अवश्य परन्तु वे २०० अथवा ३०० रुपये से अधिक ऋण नहीं देतीं। तकावी ऋण में भी बड़ी कठिनाइयां हैं। सभी जानते हैं कि सर्किल इन्स्पैक्टर तथा तलाती के विरुद्ध बहुत सी शिक़ायतें हैं। तथा ऋण का १० अथवा २० प्रतिशत वे स्वयं ले लेते हैं। इसीलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस गम्भीर समस्या को सुलझाये क्योंकि किसानों की उन्नति से ही देश की उन्नति सम्भव है।

उदाहरण के तौर पर आप कूओं को ले लीजिये। किसान कुयें खोदना चाहते हैं परन्तु कोई साहयता मिलने की उन्हें कहीं से भी कोई आशा नहीं है।

इस प्रकार हम इन कृषि वित्त निगमों के द्वारा किसानों की सहायता कर सकते हैं क्योंकि इस समस्या को सुलझाने के लिये करोड़ों रुपयों की आवश्यकता होगी और राज्य बैंक प्रति ज़िले को केवल कुछ लाख रुपयों की व्यवस्था ही कर सकता है।

श्री बी० के० दास (कंटाई) : मेरे संशोधन में मुख्य विधेयक में किसी परिवर्तन के करने की चेष्टा नहीं की गई है। कुछ दिन पूर्व श्री ए० सी० गुहा ने बताया था कि भारत के रक्षित बैंक अधिनियम का संशोधन होने से ग्राम्य ऋण का पर्याप्त प्रबन्ध हो जायेगा तथा कोई कमी नहीं रहेगी परन्तु उनके कथनानुसार इस ऋण की व्यवस्था सहकारिता के आधार पर की जायेगी। परन्तु हमारा अनुभव है कि इस प्रकार सहकारिता का जब भी कभी प्रबन्ध किया गया उनमें से ९० प्रतिशत असफल ही रहीं। तथा मेरे विचार से इस प्रकार का प्रयोग बड़ा ही हानिकारक होगा क्योंकि सहकारी संस्थाओं के संगठन में कमियों के कारण जनता का विश्वास उठ जायेगा। सामुदायिक विकास क्षेत्रों से हमें क्या अनुभव प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम पुनर्मूल्यन संस्था के प्रतिवेदन को पढ़ें तो ज्ञात होता है कि वे सहकारी संस्थायें नहीं बना पाये। यद्यपि प्रतिवेदन में दिया हुआ है कि उन्हें बड़ी आशा है इस संकल्प के समर्थन का एक कारण यह भी है कि इस प्रकार के निगम के द्वारा हम इस समस्या को ठीक प्रकार से सुलझाने में समर्थ होंगे। वर्तमान प्रबन्ध बड़ा असन्तोषजनक है। हमें औद्योगिक निगमों का अनुभव हो चुका है तथा इसी कारण मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार के निगम की आवश्यकता है कृषि विधि से देहाती क्षेत्रों में बड़ा ही परिवर्तन होने जा रहा है। जिसके द्वारा एक कृषक केवल २५ अथवा ३० एकड़ भूमि का स्वामी हो सकेगा तथा यदि उस कृषक को सहकारी संस्थाओं के निर्माण तक प्रतीक्षा करनी पड़ी तो बड़ी कठिनाई होगी। परन्तु यदि इस निगम की स्थापना हो गई तो कृषक को अपनी आवश्यकता पूर्ति में देरी न होगी। हम यह नहीं चाहते कि सहकारी संस्थाओं की स्थापना न हो परन्तु विचार यह है कि निगम की स्थापना से यह कार्य शीघ्र होगा।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर दक्षिण) : यह सभा श्री एस० एन० दास का आभारी रहेगी जिन्होंने अपने प्रस्ताव के ज़रिये भवन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित किया है। इस प्रस्ताव के आने के पहले रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया ने एक कमेटी आफ़ डाइरेक्शन रूरल सर्वे के लिये बनाई, थी उसकी रिपोर्ट भी सन् १९५४ से गवर्नमेंट के पास होगी, गवर्नमेंट का क्या ध्यान उस तरफ़ गया, हमें आप को अभी तक

[श्री सिंहासन सिंह]

पता नहीं है । उस तरफ़ भी गवर्नमेंट का ध्यान जाय, इस हेतु भी यह प्रस्ताव आपके सामने है और जो गवर्नमेंट ने उस पर अब तक विचार किया है वह हम को मालूम भी होगा ।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरा संशोधन यह है कि चूंकि रेट आफ इन्टरेस्ट नहीं बताया गया है, इसलिये हम चाहते हैं कि नामिनल इन्टरेस्ट लिख दिया जाये ।

अब उस कमेटी के क्या क्या सुझाव हैं वह मैं आपको संक्षेप में बतलाना चाहता हूं । उसने तीन बातों पर विशेष तौर पर सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित किया है । हमारा देश क्या है ? क्या कर्तव्य हमारी गवर्नमेंट का होना चाहिये, उन्होंने बड़े साफ़ शब्दों में देश को इस तरह से परिभाषित किया है कि भारत का स्वरूप क्या है । उन्होंने इस प्रकार कहा है :

> "भारत ग्राम प्रधान देश है और उसमें अधिकतः कृषक रहते हैं । देश का सब से बड़ा उद्योग कृषि है ।"

यानी भारत अधिकतर ग्रामीण भारत है और ग्रामीण भारत अधिकतर कृषि प्रधान है और भारत का प्रधान व्यवसाय कृषि है । जिस भारत का प्रधान व्यवसाय कृषि हो और जिस के अन्दर हमारी कुल आबादी का, गत सेन्सस के आधार पर जो संख्या बताई गई है, ६९·८ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है, उसके लिये हमारी सरकार की तरफ़ से क्या क़दम उठाये गये, यह सब लोगों के लिये विचारणीय है । सरकार ने करोड़ों रुपये व्यय किये, खेती को बढ़ाने के लिये ग्रो मोर फूड और अन्य अनेक आयोजन हुये, लेकिन कुछ काम नहीं चला । खाना भी काफ़ी पैदा हुआ और आज झुकाव सस्ते की तरफ है । फ़सल से अधिक पैदा होने से और गल्ले के सस्ते होने से हमारा मसला बदल गया है । शायद किसी स्टेट या कुछ स्टट्स के किसी वर्ग के कष्ट कुछ दूर हो गये हों, लेकिन आज ग्रामीणों की अवस्था और प्रायः उन ग्रामीणों की अवस्था जो छोटे छोटे खेतिहर हैं जिन की संख्या बहुत अधिक गल्ले के सस्ते हो जाने के कारण और ख़राब हो गई है । उन की अवस्था जो लड़ाई के ज़माने में थी, आज उस से कहीं अबतर हो गई है । उन के खाने पीने की सामग्रियां और दूसरी सामान्य पारिवारिक आवश्यकता की चीज़ें महंगी हो गई हैं जब कि उन का गल्ला सस्ता हो गया है और उन की बिक्री बहुत कम है । बाज़ार में उन के गल्ले की कोई बिक्री नहीं है । अभी थोड़े दिन हुये गुड़ और चीनी का मसला चला था । गुड़ का भाव गिरता गया । खेतिहर की खास पैदावार गुड़ है, गन्ने को कैश क्राय कहा जाता है । और वही खेतिहर की आमदनी का खास ज़रिया है । लेकिन होता यह है कि उन के पास पैसे की कमी होने के कारण उन के गुड़ को महाजन मनमानी क़ीमत पर ले लेता है और वह बेचने के लिये मजबूर हो जाते हैं । अक्सर यह देखा जाता है कि गुड़ की फ़सल में मालगाड़ियों की कमी पड़ जाती है । जहां जहां गुड़ की मंडियां होती हैं वहां गुड़ का भाव इतना गिर जाता है फिर भी काश्तकार उस को बेचने के लिये मजबूर हो जाता है क्योंकि उस के पास गुड़ को दूसरी जगह ले जान का कोई ज़रिया नहीं होता है । जब गुड़ का समय ख़त्म हो जाता है तब गुड़ महंगा हो जाता है । लेकिन किसान ने तो उस को उसी समय बेच दिया जब कि गुड़ की पैदावार का समय था ।

इस विषय पर पिछली मर्तबा डा० देशमुख साहब से और प्रधान मंत्री से बातचीत हुई कि इस का कोई उपाय किया जाये ताकि

गुड़ पैदा करने वालों को इतना नुक़सान न हो । चीनी तैयार करने वाली जो मिलें हैं उन से किसानों को ज़रूर कुछ क़ीमत मिल जाती है, लेकिन आज भी बहुत सी मिलें हैं जो कि रुपया नहीं देती हैं । नतीजा यह होता है कि गुड़ वालों की हालत और बदतर हो जाती है । हां, एक कोआपरेटिव सोसायटी ज़रूर बन गयी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है । इस लिये आज गल्ले के सस्ते हो जाने के कारण किसानों की हालत और भी ख़राब हो गई है ।

एक बार हमारे प्रधान मंत्री ने बड़ी सुन्दर हिन्दी में कहा था कि हम ने जमीदारी मिटा दी लेकिन साथ ही ग़रीब किसानों को क़र्ज़ा देने की कोई व्यवस्था नहीं रक्खी । जमींदारी प्रथा के टूटने के पहले दो तरह के मार्ग थे काश्तकारों को बीज खाद इत्यादि मुहैया करने के । काश्तकारों की हालत तीन वक्तों में ख़राब हो जाती है । एक तो मार्च के महीने में जब कि लड़की लड़के की शादी का समय होता है । दूसरा भादों का महीना जब कि वह पैदा किया हुआ अपना गल्ला खा जाता है और तीसरे अगहन का महीना । पहले तो जमींदार अपनी जिम्मेदारी समझता था और अपनी रियाया और काश्तकारों को खिलाता था, उन को क़र्ज़ा देता था, उन की लड़कियों की शादी के लिये पैसा देता था और जो सूद का रुपया होता था उस को वह धीरे धीरे लिया करता था, कभी कभी माफ़ भी कर दिया करता था । इस के अलावा छोटे बड़े मनी लेन्डर्स अर्थात् महाजन हुआ करते थे, वह क़र्ज़ा देते थे, लेकिन जहां खलिहान में ग़ल्ला आया, वह खलिहान में ही आ कर गल्ला उठा ले जाते थे और किसानों की अवस्था और भी बिगड़ती थी । लेकिन जब से हम ने दो क़ानून पास किये, एक तो ज़मीदारी ऐबोलिशन का और दूसरा क़र्ज़ा मोचन का । कर्ज़ा भी तोड़ा और ज़मीदारी भी तोड़ी तो जो क़र्ज़ा देने वाले थे वह सोचने लगे कि आख़िर क़र्ज़ा किस उम्मीद पर देवें । गवर्नमेंट ने क़ानून बनाया, जो पहला क़र्ज़ा था वह साफ़ हुआ, आगे के लिये कोई वसूल करने का ज़रिया नहीं । अब जब जमीदार भी क़र्ज़ा नहीं देते, क्योंकि जमीदारी ख़त्म हो गई, तो छोटे काश्तकार जो हैं वह निराश्रित हो गये हैं । वह आज नहीं समझते कि उन के लिये स्वराज्य का रूप बदला है या नहीं । गांव गांव में हम नहरें बना रहे हैं, ट्यूब वैल खोल रहे हैं इस से फायदा हो तो बहुत अच्छा है । लेकिन ट्यूब वेल से पानी पाने के लिये उन के पास आज पैसा नहीं है । उनका अधिकतर काम उधार पर चलता था, लेकिन इस के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । जो कोआपरेटिव सोसायटी थी, बड़ी बड़ी क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटीज़ वह क़र्ज़ा देने की सहूलियत बढ़ाने की बजाय उन लोगों के लिये दिक्क़त का कारण हुईं । इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमारी कोआपरेटिव सोसायटियां जो गवर्नमेंट की आश्रित थीं, बजाय काश्तकारों को मदद देने के उन पर हुकूमत ज्यादा करती थीं । रुपया तो कम ही देती थीं, हुकूमत ज्यादा किया करती थीं । हम आज हुकुमत के वातावरण में चल रहे हैं । जहां कहीं आप देखिये, आप को हुकूमत ही ज्यादा मिलेगी । कुछ रुपयों की सहायता देने का प्रश्न हो तो हुकूमत करने वाले पहुंच जाते हैं और उसी सहायता में बटवारा हो जाता है । तो कोई उपाय तो इस तरह का हो जिस से हुकूमत की कुछ ढिलाई हो ऐसा होने पर ही कुछ काम हो सकता है । इस लिये इस कमेटी ने बड़े सुन्दर शब्दों में सुझाव दिया है, और उम्मीद है कि हमारे अर्थ मंत्री ने उस को पढ़ा होगा, और विचार भी किया होगा । बड़ा सुन्दर सुझाव है । हम ने ७० फ़ी सदी जनता के लिये अब तक क्या

[श्री सिंहासन सिंह]

किया, उन के लिये क्या सुविधायें प्रदान कीं। हमारी किताबों में इस की कोई गणना नहीं है। लेकिन ३० फ़ी सदी से कम जो बड़े बड़े व्यवसायी हमारे हैं उन के लिये हम ने अनेक कारपोरेशन्स कायम कर दिये। इसी रिपोर्ट के अन्दर है कि हमारे यहां के १०.५ प्रतिशत आदमी हैं जो कि इन्डस्ट्री में लगे हुये हैं। इन १०.५ परसेन्ट आदमियों के लिये हम ने बड़े बड़े इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन्स बना दिये, जिन का क़िस्सा कल भी भवन के सामने मौजूद था कि उन में किस तरह से व्यय हुआ, सभी ने ऐसा किया या किसी किसी ने ही किया, वह तो इतिहास का विषय हो चुका है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या हुई ? हमें सके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ३० फ़ी सदी लोगों के लिये अपनी सरकार का करोड़ों रूपया आप ने बैंक खोल कर दे दिया, उन की मर्ज़ी पर दे दिया, लेकिन जहां तक ७० फ़ी सदी जनता का सवाल है, उनके लिये हमारे सामने प्रश्न उठाया जाता है कि बड़ी विकट समस्या है कुछ होगा या नहीं होगा, पता नहीं, और होगा तो कैसे होगा ? इस पर भी बड़ी गम्भीरता से सरकार को विचार करना है क्योंकि इस मिक्स्ड एकानमी की, इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को रुपया दे कर, बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ क़ायम कर के ही हम अपने मुल्क को आगे नहीं चला सकते। जब तक कि खेतिहर सुख सम्पन्न नहीं होगा तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। अगर खेतिहर आज दरिद्र है, उसके पास क्रय शक्ति नहीं है, खाने के लिये अन्न नहीं है तो सब गल्ला बाज़ार में ज्यों का त्यों पड़ा रह जायेगा, और कहीं पर उस की बिक्री नहीं होगी, और हमारा सारा व्यवसाय ठंडा हो जायेगा। जिस देश के ७० फ़ीसदी आदमी मन में दुखित हों, और उन के लिये सहारा न हो और ३० फ़ी सदी आदमियों के लिये कुल व्यवसाय निश्चित हो, वह उसी अनुपात से अच्छी व्यवस्था वाला नहीं कहा जा सकता। आप इस तरफ़ ध्यान देवें और इस कमेटी ने जो अपना विचार प्रकट किया है उसमें उस ने बताया है कि ग़रीबी का कितना अनुपात है। इस कमेटी ने बड़ी मेहनत की है २ लाख ३० हज़ार परिवारों में उस ने भ्रमण किया है और ७५ ज़िलों के ६०० गांवों की हालत को देखा है। इस लिये इस कमेटी ने जो सर्वे किया है वह बड़ी मेहनत के साथ किया है। और हम सब को उन का आदर करना चाहिये। अगर हम किताबों में ही इन विचारों को पड़े रहने देंगे तो कुछ होना नहीं है। अगर हम सक्रिय आदमी हैं तो हम को उन के सुझावों पर विचार करना चाहिये। उन्होंने ३२वें चैप्टर में यह सुझाव दिया है : कि रक्षित बैंक और भारत सरकार को उन निधियों के लिये जिन से उनका सम्बन्ध है, अर्थात् राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घ काल हित) निधि, राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थायीकरण) निधि, राष्ट्रीय कृषि ऋण (सहायता तथा प्रत्याभूति) निधि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निधि, और राष्ट्रीय गोदान विकास निधि के प्रतिवर्ष क्रमशः कम से कम ५ करोड़, १ करोड़, १ करोड़ और ५ करोड़ रुपया अगले ५ वर्ष के लिये नियत करना चाहिये और तत्पश्चात् पुनरावलोकन करना चाहिये।

यह उन की रिकोमेंडेशन है। साथ ही उनकी रिकोमेंडेशन यह भी है कि आगे चल कर ग्रेन बैंक्स क़ायम किये जायें और मार-केटिंग फैसिलिटीज़ भी दी जायें। आज उनके लिये कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जहां पर जा कर के वे लोग अपना ग्रेन लाकर रख दें और वहां से उस ग्रेन के बदले में

५० प्रतिशत या २५ प्रतिशत मूल्य भी ले लें अगर ऐसा हो जाय तो हमारा काम चल सकता है । आज जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वह बड़ बड़े मर्चेंट्स के लिये नहीं हैं । हमारी कल्याणकारी सरकार है, यह एक वेलफेयर स्टेट है । इस वास्ते हमारा यह परम कर्तव्य है कि जो पिछड़े हुये लोग हैं और जो हमारी सहायता के पात्र हैं उन की हम सहायता करें । हमारी सहायता के जो पात्र हैं वे छोटे काश्तकार हैं और हमारा यह फ़र्ज़ है कि जितनी हम उन की सहायता कर सकते हैं, हम करें । उन की सहायता करने के लिये हम रास्ता अवश्य ढूंढ सकते हैं । आज कल हम देखते हैं कि इन्स्पेक्टरों की भरमार है । जिधर देखो इन्स्पेक्टर ही इन्स्पेक्टर नज़र आते हैं, कोई फूड इन्स्पेक्टर है तो कोई कोआप्रेटिव इन्स्पेक्टर है और कोई एग्रीकल्चरल इन्स्पेक्टर है । ऐसा मालूम होता है कि यह सरकार निरीक्षकों की, निरीक्षकों द्वारा और निरीक्षक द्वारा है ।

हम ने एक कोआप्रेटिव सोसायटी का केस किया । केस दफ़ा ४०९ के अन्तर्गत चलाया गया था । यह केस कोआप्रेटिव सोसाइटी के सभापति पर, उसके सेक्रेटरी पर और इन्स्पेक्टर पर चलाया गया था और यह भ्रष्टाचार का केस था । जो सभापति था न वह पढ़ा हुआ था और न ही सेक्रेटरी कुछ पढ़ा हुआ था । ये लोग अपने नाम भी ठीक तरह से नहीं लिख सकते थे । इस केस में इन्स्पेक्टर व उपरोक्त व्यक्ति बैंक से ६,००० रुपये लाया और जब वह रुपया वितरण किया गया तो उस में से कोई आठ नौ सौ रुपये ग़ायब हो गये । जब यह केस अदालत में गया तो वहां पर सभापति और सेक्रेटरी को तो चार वर्ष की सज़ा हो गई और इन्स्पेक्टर साहब छूट गये । उन का कुछ भी नहीं हुआ । तो यह हालत हमारी कोआप्रेटिव सोसायटीज़ की है । सारा काम तो इन्स्पेक्टर करते हैं और बाद में काग़ज़ात दस्तख़तों के लिये सेक्रेटरी और सभापति के पास चले जाते हैं क्योंकि वे कमेटी के मेम्बर होते हैं और कमेटी के मेम्बर होने के नाते जब वे दस्तख़त कर देते हैं तो उन को जेल जाना पड़ता है । अब चूंकि घंटी बज चुकी है.....

सभापति महोदय : तीन दफ़ा बजाई जा चुकी है ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं अभी ख़तम किये देता हूं ।

तो मझे यह कहना है कि जो सुझाव इस कमेटी ने दिये हैं उन पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिये और शीघ्र किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिये ।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसे स्वीकार करेगी और इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह एटिचूड नहीं बरतेगी कि जो बात उन के अधिकारियों की तरफ़ से आये वह तो मान ली जाय और जो चीज़ें हमारी तरफ़ से पेश हों उन को अस्वीकार कर दिया जाय । अगर ऐसा हुआ तो हमारा यहां आना बेकार सा ही हो जाता है । इस वास्ते मेरी गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि वह इस प्रस्ताव को मान ले और मानने के बाद सक्रिय रूप से इस पर विचार करे और बजट सैशन से पहले पहले इसको कार्यान्वित करे । मैं कहना चाहता हूं कि जिस काम को करने की किसी की इच्छा होती है वह अपने रास्ते में से जो अड़चनें आती हैं उन को दूर कर देता है और उस के लिये रास्ता साफ हो जाता है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इसे स्वीकार करेगी ।

सभापति महोदय : सेठ अचल सिंह ।

सेठ अचल सिंह (ज़िला आगरा--पश्चिम) : यह जो प्रस्ताव पेश किया गया है

[सेठ अचल सिंह]

यह एक बहुत ही अहम प्रस्ताव है । इस का सम्बन्ध २५ करोड़ जनता से है । आप को मालूम ही है कि ७० परसेंट लोग खेती का काम करते हैं । जिस वक्त तक ज़मींदारी उन्मूलन क़ानून पास नहीं हुआ था और ज़मींदार लोग क़ायम थे उस वक्त तो ज़मींदारों से और बोहरों से किसानों को क़र्ज़ा मिल जाया करता था और काश्तकारों का काम चल जाया करता था । लेकिन ज़मींदारियों के ख़त्म होने के बाद उन के लिये रुपया लने के साधन भी ख़तम हो गये हैं । अब उन को रुपया देने वाला कोई नहीं है । इस वास्ते कोई ऐसी व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिये जिस के ज़रिये काश्तकार क़र्ज़ के रूप में रुपया ले सकें । अब उन लोगों को दो तीन रुपयो प्रति सैंकड़ा ब्याज देने पर भी रुपया नहीं मिलता है। अभी हाल ही की बात है फसल के मौक़े पर आप ने देखा होगा कि गेहूं, चने, जौ, तिलहन इत्यादि के भाव गिर गये थे और काश्तकारों को मजबूरी की वजह उन्हीं भावों पर अपनी फ़सल को बचना पड़ा क्योंकि जो उन्होंने क़र्ज़ा लिया हुआ था वह अदा करना था, रेंट और लगान अदा करना था और इसी तरह से उन पर दूसरे ख़र्चों का भार भी था । कोई सोसायटी या इन्स्टीट्यूशन के न होने के कारण उन को कहीं से एडवांस रुपया नहीं मिल सकता था और जो भाव बाज़ार में था उसी भाव पर उन को अपनी फ़सल बेचनी पड़ी । इसका नतीजा यह हुआ कि व्यापारी के हर माल में ड्योढ़े हो गये और काश्तकार को रुपये में दस आने मिले । इस वास्ते इस क़िस्म के बैंक का होना बहुत ज़रूरी है जो कि काश्तकारों को रुपया एडवांस कर सके । हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की हमदर्दी काश्तकारों के साथ है और उसका यह विचार है कि काश्तकार और गवर्नमेंट के बीच कोई मिडलमैन न रहे, न ज़मींदार हों और न बोहरे हों । उस का सम्बन्ध सीधे काश्तकार के साथ हो । इस का नतीजा यह होगा कि काश्तकार को कहीं से क़र्ज़ा नहीं मिल सकेगा और गवर्नमेंट को ही उसके लिये क़र्ज़े का इन्तिज़ाम करना होगा ।

इस वास्ते मेरे विचार में अगर इस क़िस्म के बैंक खुल जायें जो कि काश्तकारों को रुपया एडवांस कर सकें तो हमारे देश की हालत बहुत अच्छी हो सकती है । जो यह सुझाव इस प्रस्ताव में दिया गया है यह बहुत ही अच्छा सुझाव है ।

अभी हाल ही में स्टेट बैंक क़ायम हुआ है और उसकी शाखायें खोलने की बात भी चल रही है । लेकिन मेरे ख़याल में इस बैंक की उतनी शाखायें नहीं खुल सकेंगी जितनी कि हम चाहते हैं खुलें । जो प्रस्ताव पेश किया गया है उस का मतलब यह है कि हर गांव में एक एक शाखा बैंक की होनी चाहिये जिस से कि काश्तकारों को रुपया मिल सके और उन का काम चल सके । इस लिये मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव पेश किया गया है वह बहुत ही ज़रूरी प्रस्ताव है और मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इसे स्वीकार करके हमारी ७० प्रतिशत जनता को राहत दिलायगी और देश का फ़ायदा करेगी ।

श्री राघवैय्या: मुझे केवल पांच मिनट चाहियें ।

सभापति महोदय: मैं दूसरे सदस्य का नाम पुकार चुका हूं ।

श्री ए० सी० गुह: सरकार कब उत्तर देगी ।

सभापति महोदय: सरकारी वक्तव्य पहिले हो चुका है ।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): यदि आप मुझे दस मिनट दें तो मैं जो कहा गया है उसकी पूर्ति करूगा ।

सभापति महोदय : यदि माननीय मंत्री ने मुझे पहले ऐसा सुझाव दिया होता तो मैं उन्हें समय दे देता । परन्तु अब मुझे संकल्प के प्रस्तावक को ३-५० पर समय देना है, क्योंकि इस संकल्प का समय ४-०५ पर समाप्त हो जायेगा ।

डा० पी० एस० देशमुख : तो दो या तीन मिनट पर्याप्त होंगे ।

सभापति महोदय : अच्छा ।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) : मैं जो प्रस्ताव पेश किया गया है उस का स्वागत करता हूं । जो रूरल क्रेडिट को सर्वे करने के लिये कमेटी मुक़र्रर हुई थी उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है । उस कमेटी ने गवर्नमेंट की तरफ़ से ऐसा इन्तिज़ाम करने का सुझाव दिया है जिस से कि रूरल क्रेडिट का मसला हल हो जाये । इस लिये इस रेज़ोल्युशन की स्पिरिट को गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है । इस के साथ ही साथ गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीच्यूशन बनायेगी ही, जिनके द्वारा रूरल क्रैडिट का इन्तज़ाम हो, इस लिये इस रेज़ोल्यूशन को मंजूर कर लेने में कोई हर्ज़ नहीं है क्योंकि इसका सुझाव भी उन सुझावों से मिलता जुलता है । मैं इस हाउस का ज्यादा समय न लेता हुआ दो तीन सुझाव देना चाहता हूं । इस वक्त किसानों की अवस्था यह है कि —मैं खास तौर पर भोपाल की मिसाल देना चाहता हूं—मुझे भय है कि जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, उससे आगे चल कर हमें कई खतरात का सामना करना पड़ेगा । गवर्नमेंट ने १६५३–५४ में एपेक्स बैंक का बजट मंजूर किया और अब जा कर पिछले मार्च में उसका कुछ रूप बना है । अभी तक उसकी कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है । इसी तरह से भोपाल में गवर्नमेंट ने "ग्रो मोर फूड" और तकावी लोन के सिलसिले में क़र्ज़े दिये थे । वे उस वक्त दिये गये थे, जब कि भाव काफ़ी तेज़ थे । अब भाव गिर गये हैं। इस बात का ख्याल रखते हुये गवर्नमेंट किसानों से एक बिजिनसमैन की मैन्टेलिटी से इन के क़र्ज़ों को वसूल करने जा रही ह । इस वजह से किसानों की हालत दुरुस्त नहीं हो पा रही है । मेरा ख्याल है कि गवर्नमें बिज़िनेस मन्टेलिटी से काम नहीं कर रहा है और न ही करना चाहती है । अगर ऐसा होता तो हम ने "ग्रो मोर फूड" के सिलसिले में क़र्ज़े न दिये होते । ऐसी सूरत में मेरा सुझाव यह है कि अगर हम इस वक्त रूरल क्रेडिट को जारी कर के किसानों की हालत को दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो सब से पहले हम गवर्नमेंट के सब लोन्ज़ को, सब टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ को अलग हटा कर यकजाई कर देना चाहिये और उनकी इन्स्टालमेंट्स को इतना रखना चाहिये कि किसान लैंड रेवेन्यू के साथ साथ उनको आसानी से अदा कर सकें ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भोपाल में आपने छः लाख रुपया दिया । परसों उसके बारे में इस हाउस में सवाल आया था । आप यह नहीं बता सके कि उन्होंने कितना ग़ल्ला ख़रीदा है। यह आपकी इन-एफ़िशिएन्सी है कि आप ठीक तरीक़े से रिकार्डस नहीं रख पाते । भोपाल में सात रुपये मन तक गल्ला बिका है और अब पन्द्रह रुपये हो गया है । किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है । ट्रेक्ट्राइज़ेशन और दूसरे चार्जेज़ जो आप वसूल कर रहे हैं, तकावी वसूल करने के सिलसिले में किसानों के ऊपर जो ज्यादती हो रही है, जिस तरह से उनके माल दौलत को नीलाम किया जा रहा है, उससे एक तरफ़ तो उनकी कमर टूट रही है और दूसरी तरफ़ आईन्दा खेती करने में उनको फिर मुश्किल पड़ेगी। गवर्नमेंट की निगाह में तो वे नादिहन्दा हो गये हैं और उसकी तरफ़ से उनको कोई लोन नहीं मिलने वाला है । इसके अलावा

[पंडित सी० एन० मालवीय]

कोई लोन का साधन उनके पास है नहीं । भोपाल में को-आपरेटिव की तारीख़ लिक्विडेशन की तारीख़ रही है और वह अभी तक मज़बूत बुनियादों के ऊपर कायम नहीं हो पाई है । प्राईवेट लोन का स्ट्रक्चर तो ख़त्म हो गया है और इस तरह से भोपाल का किसान इस वक्त बिल्कुल अनाथ की तरह है । वह कहीं से लोन का इन्तज़ाम नहीं कर सकता है । मैं समझता हूं कि भारत के दूसरे प्रदेशों में भी यही हालत होगी । हमारे यहां जो क्रेडिट सिस्टम है, उसमें प्राईवेट सोर्सेज ज्यादा है । इस प्रस्ताव को पास कर के गवर्नमैंट को उन प्राईवेट एजेन्सीज़ को हारनेस करना चाहिये, जो आज भी लोन देती है, ताकि उन को को-आपरेटिव्ज़ में ला कर उस रुपये को इस्तेमाल किया जा सके । इस वक्त तो उन्होंने बहुत नामुनासिब तरीके अख्तियार किये हुये हैं । वे दस बारह पर सैंट से ज्यादा सूद नहीं ले सकते, लेकिन वे उस रक़म पर सूद दर सूद के हिसाब से इस्टाम्प् लिखवा लेते हैं । अदालतों में उनकी जीत होती ही है और वे डिग्री ले कर कुर्की करवा लेती हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि आज चारों तरफ़ से किसानों का शोषण हो रहा है । फिर गवर्नमेंट के लोन्ज भी इतनी तरह के हो गये हैं—उनसे उनकी मदद तो जरूर हुई है—कि उनको बड़ी मुश्किल पेश आती है और वे बोझ से दबे जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि उन सब कर्जों को यकजाई कर दीजिये और उनकी इन्स्टालमैंट इतनी आसान कर दीजिए कि उनको आसानी से अदा किया जा सके। फिर उनका एक ही वक्त होना चाहिए । आज कल हालत यह है कि एक नौटिस आज मिलता है, कल दूसरा मिलता है और फिर तीसरा मिलता है।

आखिर में म फिर कहना चाहता हूं । कि भोपाल में जो एपैक्स बैंक खोला गया है, मेहरबानी करक जल्दी से उसकी कार्रवाही शुरू कीजिए । उसका काम यहां ही रुका हुआ है। मेरा ख्याल है कि दूसरी रियासतो में भी यही अवस्था होगी।

इन बातों की तरफ़ आपका ध्यान दिलाते हुये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं सभा के समक्ष केवल उन बातों को रखना चाहता हूं जिनको सरकार शीघ्र ही करना चाहती है तथा जिनके परिणामस्वरूप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री सिंहासन सिंह इस संकल्प का समर्थन नहीं करेंगे ।

कुछ आधारों के कारण संकल्प की सचमुच आवश्यकता है तथा मैं इस दृष्टिकोण से इसका स्वागत करता हूं कि सभा को एक अवसर तो ऐसा मिला जिससे कृषकों तथा कृषि ऋण की दशा का ज्ञान हो सका । परन्तु इस समय यह संकल्प ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन के कारण एक प्रकार से व्यर्थ ही रहा मुझे प्रसन्नता है कि श्री सिंहासन सिंह ने उनको पूर्णतया पढ़ा है । मैं बता देना चाहता हूं कि इन में से अधिकांश सिफ़ारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली है तथा इस समय सरकार उनको कार्यान्वित करने का यथासम्भव प्रयत्न कर रही है ।

मैं संक्षेप में भारत सरकार के उन निश्चयों को बताऊंगा । जिन्हें सरकार कार्यान्वित करना चाहती है । मध्य तथा लम्बी अवधि के ऋण, राज्य द्वारा विभिन्न संस्थाओं को देने के सम्बन्ध में अभी रक्षित बैंक अधिनियम का संशोधन किया गया है तथा १९६०–६१ तक १५० करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है । यह थोड़ा रक्षित बैंक से लिया जायेगा तथा थोड़ा अन्य प्रकार से ।

दूसरे राष्ट्रीय सहकारी विकास के लिये एक उच्च स्तरीय बोर्ड की स्थापना शीघ्र ही की जायेगी जिसके प्रधान माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री होंगे । इस बोर्ड में विभिन्न विभागों तथा सहकार्य विकास सम्बन्धी अभिकरणों के प्रतिनिधि होंगे । इस बोर्ड तथा इसके सहायकों, जैसे अखिल भारतीय वास्तु निगम तथा राज्य वास्तु समवाय की स्थापना के लिये, निकट भविष्य अथवा अगले सत्र में नहीं प्रत्युत वर्तमान सत्र में, एक प्रारूप विधि बनाई जा रही है । इस बीच में निगम तथा समवायों की स्थापना के समस्त प्रारम्भिक प्रबन्ध किये जायेंगे ।

इन गोदामों के सम्भावित स्थानों को, जिनके बिना मेरे माननीय मित्र का अन्न बैंक का सुझाव व्यर्थ है, छांटा जायेगा । इस प्रकार के मकानों की रूपरेखा बनाई जायेगी, संग्रह होने वाली वस्तुओं की सूची बनाई जायेगी, विभिन्न वस्तुओं की क़िस्म के विशेष स्तर पर विचार किया जा रहा है तथा मकानों की शर्तें और अन्य ब्यौरे बनाये जा रहे हैं जिससे ठीक योजना बन सके ।

इसके अतिरिक्त मेरे मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव के अधीन एक सहकारी विभाग खोला जा रहा है । यह कार्य अभी तक कभी नहीं किया गया । यह विभाग इसलिये बनाया जा रहा है कि जिससे ग्राम्य ऋण सवक्षण समिति के प्रतिवेदन की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित किया जा सके । पिछली अप्रैल में सहकारी मंत्रियों की परिषद् में इन सभी मामलों पर विचार किया गया था तथा ऋण, व्यापार तथा मकानों के विकास का लक्ष्य बना लिया गया है जिसको राज्य सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने जा रही है । इसी आधार पर राज्य सरकारों द्वारा बनी योजनायें प्राप्त हुई है । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय इस पर चर्चा करेगा तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये इनको अन्तिम रूप दिया जायेगा । राज्यों के कई प्रतिवेदन आ चुके है तथा कुछ आने शेष हैं तथा यह सभी सिफ़ारिशें, केन्द्रीय तथा राज्य की द्वितीय पंच वर्षीय योजना में रख दी जायेंगी । इनका प्रशिक्षण भी होगा तथा सहकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण का रक्षित बैंक की सहकारिता में ध्यान रखा जायेगा । इस कार्य के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की जायेगी तथा उच्च कर्मचारियों का एक प्रशिक्षण केन्द्र भी होगा । जो पूना में अभी भी चालू है । मध्यवर्ती कर्मचारियों के तीन स्कूल खोले जायेंगे, एक पूना में, दूसरा मद्रास में, तथा तीसरा बिहार के पूसा में । प्रादेशिक आधार पर दो अन्य केन्द्र बनाने की योजना भी बनाई गई है तथा स्थानों को छांटा जायेगा । यह प्रशिक्षण अक्तूबर, १९५५ के लगभग प्रारम्भ हो जायेगा । क्षेत्रीय सहकारी पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये आठ केन्द्र और आयोजित किये गये हैं । राज्यों में सहकारिता के सम्बन्ध में मुझे शिक़ायतें मिली है । कुछ बताई गई बुराइयों का मुझे पूर्ण ध्यान है परन्तु मुझे फिर भी पूर्ण विश्वास है कि हम सफल होंगे । सहकारी संस्थाओं के स्थान पर ऋण देने का कार्य अन्य अभिकरण को सौंपना उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह सहकारिता से सम्बद्ध है । यदि उत्पादकों को लाभ दिलाया जाये तथा उपभोक्ता को वस्तु कम मूल्य पर दिलाई जाये तो वह केवल सहकारिता से ही सम्भव है । इस लिये मेरे विचार से यह कार्य सहकारिता के द्वारा ही सम्भव है तथा कुछ बुराइयों के बताये जाने पर भी, हम उनको ठीक करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे । तथा इस तरीक़े को हटाने का नहीं ।

इस आधार पर, मेरा विचार है कि यह संकल्प व्यर्थ सा हो जाता है क्योंकि हमने यह निश्चय इस प्रतिवेदन के आधार पर किया है

[डा० पी० एस० देशमुख]

जिसका सभा के सभी सदस्य समर्थन करते हैं । क्योंकि सरकार ने एक विशेष दिशा में कार्यवाही प्रारम्भ करदी है इसलिये अब हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि ऋण वितरण का तरीक़ा बदल कर किसी निगम को दे दिया जाये । मुझे आशा है कि इस स्पष्टीकरण के द्वारा वह अपना यह संकल्प वापस ले लेंगे तथा उस पर ज़ोर नहीं देंगे क्योंकि जो वह चाहते हैं वह शीघ्र ही पूरा हो जायेगा ।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : माननीय मंत्री ने सामुदायिक परियोजना के अन्तर्गत किये गये वर्तमान प्रबन्धों की त्रुटियों का ज़िक्र नहीं किया है ।

डा० पी० एस० देशमुख : सामुदायिक परियोजनाओं वाले क्षेत्रों में हम सहकारी संस्थाओं का यथासम्भव शीघ्रता से फैला रहे हैं । श्री दास का कहना ठीक है कि हम अभी अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाये हैं । न ही हम अभी अपने लक्ष्य तक पहुंच सके हैं । परन्तु हम त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे तथा वास्तव में सहकारी संस्थाओं को उन्नत करने के लिये हम इन अभिकरणों को प्रयोग में लाने तथा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं ।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा—मध्य): में माननीय मंत्री का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त निदेश समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कार्यान्विति का अवाश्सन दिया है । साथ ही मुझे यह कहना है कि पिछले सात वर्षों में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है । सहकारी संस्थाओं के पुनर्वास की आवश्यकता है । सब प्रयत्न होने पर भी इन संस्थाओं से कृषि सम्बन्धी वित्त का ३ प्रतिशत भाग भी नहीं मिल सका है । पिछले सात वर्षों में ग्राम्य उधार की पर्याप्त व्यवस्था के सम्बन्ध में बड़ा ज़ोर दिया जाता रहा है । यद्यपि यह एक संतोषजनक बात है कि सरकार ने कुछ बातों के सम्बन्ध में शीघ्रतापूर्ण फैसले कर लिये हैं फिर भी समस्या एक बहुत बड़ी है । राज्य सरकारों पर अभी तक हमने बहुत कुछ निभर किया है फिर भी समस्या का एक अंश तक भी हल नहीं हो पाया है ।

श्री ए० सी० गुह का कहना है कि बिना आधार शिखर नहीं हो सकता । परन्तु हमारी लोकतन्त्रवादी सरकार बिना आधार का शिखर है । देश के विभिन्न भागों में स्थापित पंचायतें अभी तक संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रही है । फिर भी हमने केन्द्र में एक मज़बूत सरकार बना रखी है । रिज़र्व बैंक में ग्राम्य-ऋण विभाग एक बहुत छोटा सा विभाग है तथा इस सम्बन्ध में धन की भी बहुत कम व्यवस्था की गई है । समय समय पर हमने समितियों तथा आयोगों की स्थापना की है तथा उन्होंने प्रत्येक बार सरकार का ध्यान इस आवश्यक समस्या की ओर खींचा है । सब से अधिक महत्वपूर्ण समस्या की ओर सब से कम ध्यान दिया गया है ।

यदि केन्द्र में एक निगम बनाया जाये तथा राज्यों में उसकी शाखायें हों तो उस निगम से इन सहकारी संस्थाओं का समन्वय हो सकेगा । तब उस निगम पर कृषि ऋण तथा अन्य प्रकार के विकार का उत्तरदायित्व डाला जा सकेगा । ये सब कृत्य रिज़र्व बैंक को सौंपे जाने चाहियें ।

श्री ए० सी० गुह : इसके लिये एक अलग संस्था बनाई जायेगी तथा उसकी शाखायें सारे देश में खोली जायेंगी । इसके अतिरिक्त राज्य निगमों की स्थापना भी की जायेगी ।

सभापति महोदय: मेरे विचार से यह अधिक उचित होता यदि इस प्रश्न को राज्य बैंक विधेयक पर चर्चा के समय उठाया जाता ।

श्री एस० एन० दास : इस संकल्प को शलाका में आने का अवसर केवल अब की बार ही प्राप्त हुआ है। मैं चाहता हूं कि सरकार निदेश समिति की सभी सिफारिशों तथा कुछेक संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी सिफारिशों को कार्यान्वित करे ।

मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहूंगा किन्तु मैं फिर भी यही कहूंगा कि यदि सरकार ने फिर से कुछ न किया तो जो लोग कृषि व्यवसायी हैं उनमें एक क्रोध की लहर फैल जायेगी । केवल इतना ही नहीं बल्कि सरकार की सारी योजना ही असफल हो जायेगी, यदि कृषकों को समय पर सहायता न दी गई।

मैं समझत हूं कि दोनों मंत्रालय समिति की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिये यथासम्भव प्रयत्न करेंगे ।

सभापति महोदय: क्या श्री एन० बी० चौधरी चाहते हैं कि उनका संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा जाये ?

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं इसे वापस लेना चाहता हूं ।

सभापति महोदय: क्या इसे वापस लेने के लिये सभा की अनुमति है ?

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

श्री बी० के० दास: मैं भी अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

श्री दोगावत : मुझे भी अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाये ।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

श्री सिंहासन सिंह : मैं भी अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

श्री एस० एन० दास : मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूं ।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "इस सभा की यह राय है कि देश के वेतन के ढांचे के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक वेतन आयोग नियुक्त किया जाये ताकि अधिकतम वेतन और निम्नतम वेतन के बीच का अन्तर कम से कम हो जाये ।"

जब मैं ने इस संकल्प को प्रस्तावित किया था तो मुझे यह आशा नहीं थी कि यह समस्त देश म इतनी रुचि उत्पन्न कर सकेगा। किन्तु अब मुझे भारत के सभी राज्यों से सैकड़ों पत्र इस बारे में प्राप्त हो रहे हैं । अभी एक पत्र एक कांग्रेसजन का भी आया है । उसमें लिखा है कि सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि कलकत्ता के रैस्टो-रैन्टों में काम करने वाले बेयरों के वेतन के बराबर है जो अत्यन्त ही दुःख की बात है ।

मेरे पास नगरपालिका कर्मचारी संघ, डाक तथा तार कर्मचारी संघ तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ की ओर से सहस्रों पत्र

[श्री डी० सी० शर्मा]

आये हैं । एक सेवा निवृत सिविल सर्जन का भी एक पत्र है जिसमें उसने....

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर--दक्षिण) : वह सेवा निवृत्त कैसे हुआ ?

श्री डी० सी० शर्मा : इसी लिये क्योंकि वह राजनीतिज्ञ नहीं था । उसने बताया है कि देश में जाति पांति का बहुत ध्यान रखा जाता है । वेतन के निर्धारण तथा पदोन्नतियों में बहुत असमानतायें होती हैं ।

श्री सिंहासन सिंह ने एक संशोधन भेजा है जो कि केवल स्पष्टीकरण के लिये है । जहां तक संकल्प के अभिप्राय का सम्बन्ध है वह मुझ से सहमत हैं ।

मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं । मैं तो केवल वही बात कह रहा हूं जो कि हमारे संविधान के निदेशक तत्वों के अनुरूप है । संविधान के निदेशक तत्वों में यह बात स्पष्ट है कि धन का वितरण समान होना चाहिये आय भी तो धन में आ जाती है । आवड़ी अधिवेशन में भी ऐसा ही एक संकल्प पारित किया गया था ।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग़ पश्चिम) : आवड़ी में पारित किया गया संकल्प क्यों, करांची में पारित किया गया संकल्प क्यों नहीं ?

श्री डी० सी० शर्मा : आवड़ी अधिवेशन में हमने समाजवादी ढांचे के निर्माण के सम्बन्ध में नीति अपनाई थी । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह संकल्प आवड़ी संकल्प के अनुरूप ही है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी यही लक्ष्य रखा गया था । इस लिये ये सब बातें मेरे पक्ष में हैं ।

किन्तु आप मुझ से एक प्रश्न पूछेंगे कि मैं केवल वेतन के ढांचे की ओर ही सभा का ध्यान क्यों दिला रहा हूं ? समाज में वर्तमान असमानताओं को समाप्त करने के और भी बहुत से तरीक़े हैं । हम निश्शुल्क शिक्षा दे सकते हैं, चिकित्सा सुविधायें दे सकते हैं और अन्य सुविधायें भी दे सकते हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित किये जायेंगे और बेरोज़गारी समाप्त हो जायेगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद हमारी राष्ट्रीय आय पांच प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ती जायेगी किन्तु आय का समान वितरण करने में बहुत समय लगेगा । इस लिये मैं वेतन के ढांचे की ओर अधिक ज़ोर देता हूं, क्योंकि इस से परिणाम शीघ्र निकलेंगे तथा लोग सन्तुष्ट होंगे ।

'वेतन ढांचे' से मेरा आशय बहुत सी चीज़ों से है । इसमें वेतन की दरें, श्रेणियां, महंगाई भत्ते, मकान भत्ते, बच्चों की शिक्षा के भत्ते, यात्रा भत्ते, काम के घंटे, सेवा की शर्तें आदि आदि बहुत सी बातें आती हैं । इस लिये वेतन का मेरा अर्थ केवल मास के आरम्भ में लिये जाने वाले धन से ही नहीं है, बल्कि उस में वह सभी चीज़ें आती हैं, जिनके बारे मे वतन आयोग के प्रतिवदन में भी लिखा हुआ है ।

मेरे विचार से वेतन आयोग का प्रतिवेदन कोई ऐसा प्रतिवेदन नहीं जिसमें सुधार के लिये प्रगतिशील सुझाव हो । यह एक अप्रगतिशील प्रतिवेदन है । आप अब यह कहेंगे कि १९५० में इस आयोग ने प्रतिवदन दिया ही है अब फिर १९५५ में नये आयोग की क्या आवश्यकता है ? मेरा उत्तर यह है कि इन पांच वर्षों में बहुत से परिवर्तन हो चुके हैं । हमारा सामाजिक ढांचा शीघ्रता से बदल रहा है । अब हमारी

नयी आवश्यकतायें हैं और इन समस्याओं पर हमें नये ढंग से ही विचार करना चाहिये ।

मैं चाहता हूं कि हमें इन समस्यों पर एकीकृत रूप में तथा ईमानदारी से विचार करना चाहिये । समस्त अनियमितताओं को समाप्त कर देना चाहिये । हमारे वर्तमान वेतन के ढांचे में बहुत अनियमिततायें हैं । इस सम्बन्ध में हमें एक व्यापक दृष्टिकोण से काम लेना होगा । उदाहरण के लिये गैर-सरकारी नियोजक अपने कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों से कम वेतन देते हैं । हो सकता है कि कुछ बड़े आदमियों को अधिक वेतन मिलता हो, किन्तु छोटे कर्मचारियों को बहुत थोड़ा वेतन दिया जाता है और सामान्यतया यह बात सच भी है । इसके उदाहरण अध्यापक वर्ग में ही बहुत से होंगे । एक आदर्श नियोजक होने के नाते सरकार को यहां एक ऐसा आदर्श रखना चाहिये जो सभी प्रकार की अनियमितताओं से मुक्त हो ।

अब सरकार केवल विधि तथा व्यवस्था के लिये ही नहीं है । सर्वव्यापी विकास भी सरकार का ही काम है । इस लिये इस वेतन ढांचे के प्रश्न को इस दृष्टि से जांचना आवश्यक है ।

श्रीमान्, प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में हम उतना व्यय नहीं कर सके हैं जितना कि हमें करना चाहिये था । इसका प्रमाण प्रतिवेदन में है । अब हम प्रथम पंच वर्षीय योजना पर अधिक व्यय कर रहे हैं । परन्तु इस कम व्यय किये जाने का कारण क्या है ? इस का कारण यही है कि हमारे प्रशासकों को विकास संगठन जैसी संस्थाओं को चलाने का पहले कोई अनुभव नहीं था और अब हमें उस का अनुभव हो गया है । हम अब बहुत से निगम बनाने जा रहे हैं, हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात सोचते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है । इस कारण से वेतन ढांचे को भी देश की आवश्यकताओं के अनुसार ठीक करने की आवश्यकता है ।

इसके बाद और भी बहुत सी अनियमिततायें हैं । मुझे लोक सभा के गवेषण तथा निर्देशन विभाग से कुछ जानकारी मिली है । मैं जाति पाति के मामले की ओर निर्देश करना नहीं चाहता, किन्तु आपको यहां सचिव, सह सचिव, उप सचिव, अवर सचिव आदि आदि मिलेंगे ।

मैं यह नहीं चाहता कि कर्मचारियों की संख्या कम की जाये किन्तु उनके वेतन ढांचे में किसी प्रकार की समानता लाई जाये और उस ढांचे का अभिनवीकरण किया जाये इसके बाद घोषित पदाधिकारी हैं फिर द्वितीय श्रेणी के अघोषित पदाधिकारी हैं । इसी प्रकार से तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं । यदि आप इन के वेतनों को देखें तो आप इन में महान् असमानतायें पायेंगे । उदारहणार्थ त्रिपुरा राज्य मे एक अध्यापक को २० रुपया वेतन मिलता है । इस मामले में हमें कुछ न कुछ अवश्य ही करना चाहिये । विन्ध्य प्रदेश म मिडिल पास अध्यापक को २० रुपये तथा उत्तर प्रदेश में ३५ से लेकर ५० रुपये तक मिलते हैं । मैसूर में एक वरिष्ट कालेज अध्यापक को १०० रुपये पर रखा जाता है । उस की वार्षिक वेतन वृद्धि २० रुपये है पता नहीं वह प्रति वर्ष मिलती है अथवा कई वर्षों के बाद ?

श्री तिम्मय्या (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : प्रति वर्ष ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) । प्रति वर्ष नहीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्री तिम्मय्या जी कहते हैं कि उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष मिलती है किन्तु फिर भी यह क्या है । १५०

[श्री डी० सी० शर्मा]

रुपये पर वह वेतन क्रम समाप्त हो जाता है। एक प्रोफेसर ४०० रुपये से आरम्भ कर के ७०० रुपये तक जाता है। भारत के एक और राज्य में एक प्रथम श्रेणी का पदाधिकारी १,३०० रुपये से शुरू कर के २,००० रुपय तक पहुंचता है। दफ्तरी को २५ रुपये और चपरासियों को २२ रुपये ८ आने ही मिलते हैं। भारत में सब से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी को ४,५०० रुपये तक मिल रहे हैं। एक वरिष्ट लिपिक को ५५ रुपये ही मिलते हैं। एक महा-सचिव तथा एक क्लर्क के वेतन में आकाश पाताल का अन्तर है।

इस के अतिरिक्त और भी अनियमिततायें हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। करारोपण जांच आयोग के प्रतिवेदन में भी एक स्थान पर यह लिखा है कि न्यूनतम तथा अधिकतम आय में ११ और ३० का अनुपात होना चाहिये और इसस अधिक नहीं होना चाहिये। मैं इसस भी सहमत नहीं हूं। कहने का अभिप्राय केवल यह है कि करारोपण जांच आयोग ने भी इन बातों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है।

कल ही में हमारे एक योग्य नेता ने कहा है कि उन्होंने एक देश के वेतनों में एक और बारह का तथा दूसरे में एक और ६ का ही अनुपात देखा। इसलिये इन सब अनियमितताओं को दूर करने के लिये हमें एक आयोग नियुक्त करना ही चाहिये। यह कार्य हमें केवल सामाजिक न्याय की दृष्टि से ही नहीं अपितु विकासोन्मुख आर्थिक व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुये तथा अपनी योजना को दृष्टि में रखते हुये करना चाहिये। हमारी योजना के लिये केवल बड़े लोगों की सहकारिता की ही आवश्यकता नहीं बल्कि जन साधारण के सहयोग की भी आवश्यकता है। अब मैं वेतन के ढांचे के बारे में कहता हूं उस से मेरा आशय समस्त वेतन प्राप्त करने वालों से होता है। निस्सन्देह हमने इस सम्बन्ध में थोड़ा बहुत कार्य किया है न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाया गया है। उससे केवल कारखानों के श्रमिकों को ही लाभ पहुंचता है। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को कोई लाभ नहीं है। इसी लिए इन सब बातों को हल करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति आवश्यक है। केवल सरकारी कर्मचारियों की ही यह समस्या नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इस से हमारे विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ पहुंचेगा। इस आयोग से हमें बहुत लाभ होंगे। श्री दातार ने नये आई० ए० एस० प्रवेशकों का ध्यान उस सिद्धान्त की ओर दिलाया था जिस के अर्थ शास्त्री दयानाकर्षी उपभोग कहते हैं। हमें आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उपभोग नहीं करना चाहिये। इससे बहुत बचत होगी। मैं यह कभी नहीं कहता कि किसी की आय घटाई जाये किन्तु में चाहता हूं कि नीचे वालों के वेतन बढ़ा कर समानता लाई जाये।

दिल्ली की एक बस्ती शान नगर में अधिकारी वर्ग के लोग रहते हैं और सेवा नगर में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। मेरे कहने का आशय यह है कि छोटे कर्मचारियों को भी वही सुविधाये मिलनी चाहियें जो शान नगर में रहने वालों को प्राप्त हैं।

में चाहता हूं कि हमारा वेतन ढांचा समानता पर आधारित हो और ऐसा हो जिस से कि लोगों को प्रसन्नता हो।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

इस संकल्प पर छः संशोधन प्राप्त हुए हैं। श्री एस० एन० दास के संशोधन की शब्दावलि संकल्प के समान ही

है अतः मैं इसे प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं देता हूं शेष प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

श्री बोगावत : (अहमद नगर दक्षिण) मैं प्रस्ताव करता हूं : --

कि संकल्प में शब्द "Country" ['देश'] के बाद यह शब्द, "with instructions to report to this house before the end of January, 1956." ["जनवरी, १९५६ के पूर्व इस सभा को प्रतिवेदित करने के अनुदेश के साथ"] :- जोड़ दिए जायें ।

श्री सिंहासन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में "the highest salary and the lowest salary is reduced to the minimum." ["उच्चतम वेतन तथा निम्नतम वेतन को घटाकर न्यूनतम कर दिया जाय"] शब्दों के स्थान पर यह शब्द 'the highest and the lowest salaries be reduced to the ratio of 15 to 1.' ["उच्चतम तथा न्यूनतम वेतनों को घटाकर एक पन्द्रह और एक के अनुपात में किया जाये"] रखे जाये ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

कि संकल्प में 'the highest salary and the lowest salary is reduced to the minimum' ["उच्चतम तथा निम्नतम वेतन को घटा कर न्यूनतम कर दिया जाये"] शब्दों के स्थान पर यह शब्द "the highest and the lowest salaries be reduced to the ratio of 10 to 1" ["उच्चतम तथा न्यूनतम वेतनों को घटा कर दस और एक के अनुपात में कर दिया जाये"] रखे जायें ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि संकल्प के अन्त में यह बढ़ा दिया जाये :

"and this house is further of opinion that the minimum wage of an employee in the private as well as public sector should be one hundred rupees per month in terms of present prices"

["और इस सभा की अग्रेतर राय यह है कि सरकारी तथा ग़ैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी वर्तमान मूल्यों के अनुसार एक सौ रुपया प्रतिमास होनी चाहिये "]

श्री एन० बी० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संकल्प के अन्त में यह जोड़ दिया जाये :

"by fixing a minimum of Rs. 100/- and a maximum of Rs. 1000/-

["१०० रुपये न्यूनतम तथा १००० रुपये अधिकतम निर्धारित कर के"]

सभापति महोदय : पांचों संशोधन प्रस्तुत हुये ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । आय-व्ययक सत्र में जब वाद विवाद हो रहा था तो संचार उपमंत्री ने कहा था कि प्रथम वेतन आयोग के बाद अभी पांच छै वर्ष भी नहीं बीते हैं जो हम जान पाते कि उसका

[श्री ए० के० गोपालन]

प्रभाव क्या हुआ है और न देश के निर्वाह-व्यय में ही कोई वृद्धि हुई है। ऐसी परिस्थिति में दूसरे वेतन आयोग के नियुक्त किये जाने का कोई उचित कारण नहीं है।

मेरा कहना है कि कारण मौजूद हैं और यह कारण दो प्रकार के हैं एक तो राजनीतिक और दूसरे आर्थिक। राजनीतिक कारण यह है: जैसा कि संकल्प के प्रस्तुत कर्ता ने कहा है कि रेलवे विभाग तथा डाक विभाग की ओर से वेतन आयोग के नियुक्त किये जाने की मांग रखी जा चुकी है। तृतीय श्रेणी के लिपिक तो ७५ दिन का नोटिस भी दे चुके हैं और अब दुर्भाग्यवश उन की ओर से कोई प्रत्यक्ष कार्यवाही की जायेगी। सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त वाणिज्यिक तथा औद्योगिक समवायों के कर्मचारी तथा श्रम-जीवी पत्रकार भी कह रहे हैं कि उनके निर्वाह स्तर को ऊंचा उठाने के लिये कुछ किया जाये।

मैं बताना चाहता हूं कि वेतन निश्चित करने के लिये कौन से ऐसे सामान्य सिद्धान्त हैं जिन का कि वेतन आयोग को ध्यान रखना चाहिये। पहला सिद्धान्त यह है कि जनता की यह इच्छा होनी चाहिये कि उसका निर्वाह-स्तर ऊंचा किया जाये। सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों की भी कुछ आकांक्षायें हैं, उनकी भी फुछ इच्छायें हैं। वे चाहते हैं कि झौंपड़ों के स्थान पर छोटे मकानों में रहें, अच्छा भोजन खायें, अपने बच्चों को शिक्षा दें और साथ ही उनको भी कुछ सांस्कृतिक आनन्द प्राप्त करने का अवसर मिले, उनका भी सांस्कृतिक विकास हो।

दूसरा तर्क यह है कि वेतन की स्थितियां बहुत बड़ी हद तक राजनीतिक विकास को प्रतिबिम्बित करती हैं। कहा जाता है कि हम समाज के समाजवादी ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं परन्तु जनता का वेतन ढांचा राजनीतिक ढांचे के विकास को तनिक भी प्रतिविम्बित नहीं करता है। एक और कारण यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य ही यह है कि निर्वाह स्तर को उठाया जाये। आज का वेतन स्तर बहुत ही नीचा है। समाज आगे बढ़ रहा है और जब लाभ हो रहे हैं तो काम करने वालों को लाभ का अंश मिलना ही चाहिये।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वेतन आयोग या आर्थिक अविबोध त्रुटि-पूर्ण था। उस ने अपनी सिफ़ारिशें इस अनु-मान पर की थीं कि यदि युद्धपूर्व देशनांक १०० माना जाये तो मूल्य ऐसे स्तर पर स्थिर रहेंगे जिन से निर्वाह व्यय देशनांक १६० और १७५ के बीच स्थिर हो जायेगा। १९४६ में जब वेतन आयोग ने सिफ़ारिश की थी तो निर्वाह व्यय ४०० था और आज ३५४.७ है। १९४६ से लेकर १९५५ तक निर्वाह व्यय देशनांक कभी भी १६० या १७५ के निकट नहीं पहुंचा है। सदा ही ३४० और ४०० के बीच ही रहा है। इसलिये मैं कहता हूं कि वेतन आयोग का आर्थिक अवबोध और उस की सिफ़ारिशों का सारा आधार ही त्रुटिपूर्ण था।

वेतन आयोग ने स्वयं कहा है कि वह निर्वाह वेतन चाहता है। अपने प्रतिवेदन म उस ने यह भी कहा है कि तीन स्थितियां होती हैं एक दारिद्रय रेखा, दूसरे उचित वेतन और तीसरे निर्वाह वेतन। उस ने कहा है कि जो सिफ़ारिशें वह कर रहें हैं वह निर्वाह वेतन की नहीं हैं वरन् केवल दारिद्रय रेखा से उपर रखने वाली हैं। हम जो कुछ चाहते हैं वह निर्वाह वेतन है न कि दारिद्रय रेखा या दारिद्रय रेखा से कुछ ऊपर।

और एक बात ध्यान में रखने की यह है कि वेतन आयोग की सिफ़ारिशों में भी कुछ सिफ़ारिशें ऐसी भी हैं जिनका कि

बिल्कुल परिपालन नहीं किया गया है जब उस ने यह वेतन निर्धारित किये थे तो यह कहा गया था कि शिक्षा की सुविधायें दी जायेंगी पहाड़ का भत्ता होगा तथा औद्योगिक और अनौद्योगिक श्रेणियों का ध्यान रखा जायगा। इनका परिपालन करना तो दूर रहा उलटे जो सुविधायें पहले दी जाती थीं वह भी बन्द कर दी गई हैं उदाहरण के लिये रेलयात्रा के रियायती टिकट तथा अन्य बातें।

केन्द्रीय सरकार का वेतन ढांचा और है और राज्य सरकारों का और है। राज्य सरकारों के अधीन काम करने वाले कर्मचारी २०-२२ रुपये प्रतिमास तक पाते हैं जैसे पुलिस मैन, दफ्तरों के चपरासी, तथा जेल के वार्डर। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक ३०–३५ रुपये और कहीं कहीं तो २५ रुपये प्रति मास वेतन पाते हैं। एक ही दफ्तर में, एक ही अर्हता वाले, एक ही काम करने वाले व्यक्ति वेतन और महंगाई भत्ता अलग अलग मापमान से पाते हैं यदि उन की नियुक्तियां केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा की गई हों तो। मेरे राज्य के ग्राम अधिकारियों जैसे पटवारियों, ग्राम के मुन्सिफ़ों तथा मैजिस्ट्रेटों को, जिनका प्राधिकार सारे गांव पर होता है, केवल १८ रुपये वेतन मिलता है। उनको सभी टैक्स वसूल करने होते हैं। केन्द्रीय सरकार में न्यूनतम वेतन ५५ रुपया बताया जाता है परन्तु ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन का वेतन ३० रुपये से आरम्भ होता है, प्रति वर्ष आठ आने वेतन वृद्धि होती है और उनका वेतन ३५ रुपये तक जाता है और साथ में कुछ महंगाई भत्ता मिलता है।

दुकान कर्मचारियों के वेतन को यदि आप देखें तो उन को दस रुपये से लेकर १८ रुपये मासिक तक मिलते हैं। काफी विक्रय बोर्ड तथा काफ़ी होटलों के कर्मचारियों का मूल वेतन १० रुपये या १८ रुपये है। १५ रुपये उन्हें और मिलते हैं। कुल मिला कर ३५ रुपये मासिक भी नहीं पड़ता है। वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के हिसाब से भी इन का वेतन दारिद्रय रेखा के निकट भी नहीं पहुंचता है।

हमारा लक्ष्य एक नये समाज का निर्माण करना है। वेतन आयोग ने भी कहा है कि जब आयोजन और विकास हो रहा है तो उसका प्रभाव वेतन ढांचे पर भी पड़ना चाहिये। इस के लिये आवश्यकता इस बात की है कि तुरन्त एक वेतन आयुक्त की नियुक्ति की जाये। न्यूनतम वेतन १०० से कम तथा अधिकतम वेतन २००० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। इस सिफारिश का कभी परिपालन ही नहीं किया गया है। अब भी हम ४,००० रुपये, ४,५०० रुपये और इस से भी अधिक वेतन पाने वालों को देखते हैं! द्वितीय पंच वर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये उन लोगों को भी कुछ संतोष मिलना चाहिये जो आज परिश्रम कर रहे हैं। उनको निर्वाह वेतन मिलना चाहिये न कि केवल वह वेतन जो कि दारिद्रय रेखा से केवल कुछ ही अधिक है।

इस के पश्चात् लोक-सभा, सोमवार, १ अगस्त, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।